

Seventeenth Series, Vol. XX No. 16

Monday, August 08, 2022

Sravana 17, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Ninth Session

(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XX contains Nos.11 to 16)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General
Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Mahavir Singh

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Arora

Joint Director

Pankaj Kumar Singh

Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XX, Ninth Session, 2022/1944 (Saka)

No. 16, Monday, August 08, 2022/ Sravana 17, 1944 (Saka)

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
REFERENCE BY THE SPEAKER	
80 th anniversary of 'Quit India Movement' under leadership of Mahatma Gandhi	11
FELICITATIONS BY THE SPEAKER	
Congratulations to sports contingent on their outstanding feat in Medal haul by India in Commonwealth Games, 2022	12
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 301 to 308	13-42
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 309 to 320	43-367
Unstarred Question Nos. 3451 to 3680	368-701

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 702-748

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 749

COMMITTEE ON ESTIMATES

15th to 17th Reports 749-750

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

53rd Report 750

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

8th Report 750

**STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM
AND NATURAL GAS**

14th and 15th Reports 750-751

**STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND
FERTILIZERS**

Action Taken Reports 751

**STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE**

118th and 119th Reports 752

STATEMENTS BY MINISTERS 753-755

- (i) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 40th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprises and Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance

Shri Pankaj Chaudhary 753

- (ii) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 294th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on 'Development and Conservation of Museums and Archaeological Sites - Challenges and Opportunities' pertaining to the Ministry of Culture
Shri Arjun Ram Meghwal 754
- (iii) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 28th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 19th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
Shri Rajeev Chandrasekhar 755
- (iv) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 298th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 288th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Tourism
Adv. Ajay Bhatt 755

ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL, 2022 756-769

**COMMITTEE ON ABSENCE FROM SITTINGS
OF THE HOUSE**

Minutes 778

MATTERS UNDER RULE 377 795-818

- (i) Need to set up a NIFT centre in Chanderi
Shri Krishnapalsingh Yadav 796
- (ii) Regarding opening of new higher Secondary schools in Jharsuguda and Bargarh
Shri Suresh Pujari 797-798
- (iii) Regarding construction of building for Kendriya Vidyalaya in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan
Shrimati Jaskaur Meena 799
- (iv) Regarding setting up of a Eklavya Model Residential School in Tapan Block, Balurghat
Dr. Sukanta Majumdar 800
- (v) Regarding construction of an overbridge at level crossing No. 143 in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat
Shri Parbatbhai Savabhai Patel 801
- (vi) Regarding construction of Darbhanga-Muzaffarpur railway line in Bihar
Shri Gopal Jee Thakur 802
- (vii) Regarding flights to Shirdi
Dr. Sujay Vikhe Patil 803

- (viii) Regarding repair of national highways in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat
Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 804
- (ix) Regarding enactment of a law for population control
Shri Ravindra Kushawaha 805
- (x) Regarding drinking water scheme in Ratlam Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
Er. Guman Singh Damor 806
- (xi) Regarding upgradation of Central Horticultural Experiment Station, Vejalpur in Gujarat as National Tribal Horticulture Institute
Shri Ratansinh Magansinh Rathod 807
- (xii) Regarding storm water drainage system in cities located along Ganga, Gandak and other rivers
Shri Ajay Nishad 808
- (xiii) Regarding refund of money to people who invested in Sahara Group Companies
Shri Subhash Chandra Baheria 809
- (xiv) Regarding clause 28 of the CBSE policy
Shri K. Sudhakaran 810
- (xv) Regarding establishment of a National Seemanchal Flood Management Board
Dr. Mohammad Jawed 811

(xvi)	Regarding withdrawal of Common University Entrance Test (CUET)	
	Dr. T. Sumathy(A)Thamizhachi Thangapandian	812-813
(xvii)	Regarding amendments to the PMLA	
	Prof. Sougata Ray	814
(xviii)	Regarding opening of a Kendriya Vidyalaya at Anakapalle	
	Dr.Beesetti Venkata Satyavathi	815
(xix)	Regarding construction of an elevated junction & railway overbridge in Jehanabad, Bihar	
	Shri Chandeshwar Prasad	816
(xx)	Regarding vacancies in commissions meant for welfare of SCs, STs & OBCs	
	Shri Girish Chandra	817
(xxi)	Regarding life saving devices used by Ostomy patients	
	Shrimati Supriya Sadanand Sule	818
	ENERGY CONSERVATION (AMENDMENT) BILL, 2022	819-890
	Shri Adhir Ranjan Chowdhury	819-829
	Dr. Pon Gautham Sigamani	829-833
	Shrimati Supriya Sadanand Sule	833-839
	Shri Rajiv Pratap Rudy	839-846
	Shri K. Navaskani	847-850
	Shri Hasnain Masoodi	850-852
	Dr. M.K. Vishnu Prasad	852-856

Shri Anubhav Mohanty	856-858
Shri N.K. Premachandran	859-862
Shri Gaurav Gogoi	862-865
Dr. Manoj Rajoria	865-867
Dr. Shrikant Eknath Shinde	867-871
Shri R. K. Singh	871-881
Motion to Consider	881
Clauses 2 to 18 and 1	881-890
Motion to Pass	890
NEW DELHI INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (AMENDMENT) BILL, 2022	891-918
Motion to Consider	891, 918
Shri Kiren Rijiju	891-892, 911-918
Dr. Amar Singh	892-895
Shri Ramesh Bidhuri	895-898
Prof. Sougata Ray	898-899
Dr. Kalanidhi Veeraswamy	900-901
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	902
Kunwar Danish Ali	903-905
Shrimati Supriya Sadanand Sule	906-907
Shri Hasnain Masoodi	907-908
Shri Hanuman Beniwal	908-909

Dr. Nishikant Dubey 910-911

Clauses 2 to 15 and 1 918

Motion to Pass 918

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Farewell ceremony of Hon'ble

Vice-President of India in Balyogi Auditorium 919

VALEDICTORY REFERENCE 920-922

NATIONAL SONG 923

*** ANNEXURE – I** 855-861

Member-wise Index to Starred Questions 855

Member-wise Index to Unstarred Questions 856-861

***ANNEXURE – II** 862-863

Ministry-wise Index to Starred Questions 862

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 863

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, August 08, 2022/Sravana 17, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER

80th anniversary of 'Quit India Movement' under
leadership of Mahatma Gandhi

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सम्पूर्ण देश 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। 9 अगस्त, 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 'भारत छोड़ो' का नारा दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए हमारे संघर्षों में 'भारत छोड़ो आंदोलन' सर्वाधिक निर्णायक क्षणों में से एक था, जिसने पूरे देश को स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य के लिए संघर्ष करने हेतु एकजुट किया। आज जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष में हैं, आजादी का 'अमृत महोत्सव' मना रहे हैं, तब हम यह संकल्प करें कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करते हुए देश में काम करते रहेंगे और उनके उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर हम उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी और अपना सर्वस्व न्योछावर किया।

अब सभा स्वतंत्रता सेनानियों की स्तुति में मौन रहेगी।

The Members then stood in silence for a short while.

11.03hrs**FELICITATIONS BY THE SPEAKER**

Congratulations to Sports contingent on their outstanding feat in Medal haul by India in Commonwealth Games, 2022

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्र मंडल खेलों में भारतीय दल ने अभी तक अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत ने अभी तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में 18 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक एवं 22 कांस्य पदक, कुल 55 पदक जीत कर इतिहास बनाया है। मैं सदन की ओर से तथा स्वयं अपनी ओर से पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी खिलाड़ियों को आने वाले मुकाबले में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों की सफलता देश के सभी युवाओं को, विशेष रूप से युवा खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी, प्रोत्साहित करेगी।

11.04hrs**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS****माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या 301 – श्री खगेन मुर्मु ।**(Q. 301)****श्री खगेन मुर्मु:** अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण पर्याप्त स्तर के मानव संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उल्लेख किया है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को उनके परिजनों के लिए उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कारगर नई योजना बनाने जा रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

राव इंद्रजीत सिंह : अध्यक्ष जी, एनसीएलटी जो कम्पनीज एक्ट के तहत वर्ष 2016 में स्थापित हुई थी, यह उसका विषय है । यह प्रश्न विषय से संबंधित नहीं है ।**श्री खगेन मुर्मु:** महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के खंडपीठों में लंबित 20963 मामलों के त्वरित निपटान हेतु कारगर प्रश्न उठा रही है?**माननीय अध्यक्ष :** मंत्री जी, यह तो संबंधित प्रश्न है ।**राव इंद्रजीत सिंह :** महोदय, वर्ष 2016 के अंदर एनसीएलटी स्थापित हुआ था, चालू हुआ था और उसके चालू होने के उपरांत कुल मिलाकर, जो पहले सीएलबी हुआ करता था, उसके 5,345 केसेज, हाई कोर्ट के 4,276 केसेज, 77 हजार नए केसेज एनसीएलटी के यहाँ दाखिल हुए । कुल मिलाकर इनकी संख्या 87,394 बनती है, जो कि 30/06/2022 तक की सूची है । अब इन 87 हजार में से 66 हजार केसेज ऐसे हैं, जो कि डिस्पोज ऑफ हो गए हैं । केवल 20 हजार केसेज बकाया हैं, जो आज के दिन इसके सामने प्रस्तुत हैं । अगर इस डिस्पोजल रेट को गिना जाए, भांपा जाए तो यह 76 फीसदी बनता है और कोविड के दौरान अगर 76 फीसदी डिस्पोजल रेट किसी ट्रिब्यूनल का हो जाता है तो मैं

समझता हूँ कि यह सराहनीय है और जो अभी ये बचे हुए केसेज हैं, इनको भी जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा।

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU: There is a recent judgement by the Supreme Court which has opened a Pandora's box with respect to how NCLT can admit an insolvency application. Added to this, it has also widely been reported that in 15 Benches across the nation, which are looking into NCLT, there has been almost 50 per cent vacancy until 2020. So, can the hon. Minister state the details of the members retiring in 2022, and the measures being taken to fill up these vacancies?

RAO INDERJIT SINGH: There are 62 posts in the NCLT, in addition to one post of President. Out of this, today, 30 posts are filled up and there is one President of these 15 Benches and one principal Bench. Sir, 15 posts of members became vacant, and in June a selection committee headed by the Chief Justice of India or his nominee has taken interviews of a number of people to fill up these vacancies. Another 17 vacancies already exist and two more vacancies are arising up to 31.12.2022. 19 vacancies have been advertised, and will be filled up as and when the Selection Committee takes interviews of the gentlemen who will apply for these posts.

PROF. SOUGATA RAY: NCLT is the main organisation which decides on the IBC cases, that is Insolvency and Bankruptcy Code cases. IBC cases relate to companies which have gone into liquidation, which decides on the haircut and the compensation to be paid to debtors, and also to workers or employees of the

company. As it is, 32 posts are still vacant, and only 76 per cent of the cases are being dealt with. Sir, 20,000 cases are pending.

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है? आप प्रश्न लंबा मत कीजिए ।

प्रो. सौगत राय: सर, मैं संक्षेप में प्रश्न करूँगा । Therefore, I would like to say that it is a total failure of the Government in terms of being unable to fill up the Benches. The present process is, there is a Committee under the Chairmanship of the Chief Justice of the Supreme Court.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I would like to know the steps being taken....

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप चेयर को संबोधित कीजिए ।

प्रो. सौगत राय: सर, आईबीसी सब खाली हैं और कंपनीज लिक्विडेट हो रही हैं । ये कुछ नहीं कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष : ओ.के. । माननीय मंत्री जी ।

RAO INDERJIT SINGH: Selecting members of the NCLT and NCLAT is under the Chairmanship of the Chief Justice of India or his nominee.

PROF. SOUGATA RAY: Take it away from him, if he cannot select ...

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप बैठे-बैठे चर्चा करेंगे तो आइन्दा प्रश्न काल में आपको मौका नहीं दिया जाएगा ।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please sit down.

राव इंद्रजीत सिंह : आप फैशन की बात कर रहे हो न, आप मुझ से बाहर बात करके देखो ।...

(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आईबीसी वर्ष 2016 में स्थापित हुआ । यहां 38,208 केसेज डील किए गए और 25,361 आईबीसी के तहत केसेज डिस्पोज हो चुके हैं । इतनी भारी उपलब्धि आईबीसी के केसेज की एनसीएलटी के अंदर हुई है, तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मिस-इनफॉर्मड है ।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 302 – श्री एम. सेल्वराज – उपस्थित नहीं ।

... (व्यवधान)

(Q. 302)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I am hailing from a district in West Bengal which is named Murshidabad district. This district shares one of the highest concentrations of bidi workers in the country. मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो बात कही जाती है, जमीनी हालात उनसे बिल्कुल... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, प्लीज । माननीय सदस्य, प्लीज । माननीय सदस्य, आप अपनी सीट पर बैठिये ।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, उन्होंने बुलाया है ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बुलाया है, लेकिन मेरी इजाजत के बिना माननीय मंत्री जी नहीं बुला सकते हैं ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो ।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: सर, मंत्री जी के बोलने का यह क्या तरीका है? ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह गलत है । आपकी तरफ से रूलिंग होनी चाहिए । ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: सर, एक सांसद को इस प्रकार से बोल रहे हैं ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, आपकी तरफ से रूलिंग होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, मंत्री जी ने कहा कि बाहर जाकर बात कीजिए। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, आज कल क्या देख रहे हैं कि काफी अहंकारी हो रहे हैं। काफी अहंकार पैदा हो रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो वेलफेयर की बात कही जाती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग में, तो इसकी जमीनी हकीकत एकदम उलट है। मैं मिसाल के तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक जांगीपुर सब-डिविजन है, जहाँ 10 लाख से ज्यादा बीड़ी वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। वहाँ मिनिमम वेज नहीं मिलती है। दूसरी तरफ मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूँ कि निमतीता में एक चेस्ट क्लिनिक है और तारापुर में एक हॉस्पिटल है। निमतीता चेस्ट क्लिनिक में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, वहाँ एक पीयून बैठा हुआ है। तारापुर हॉस्पिटल में डॉक्टर मरीजों को कहता है कि यहाँ आना है तो घर से खाना मंगवाना पड़ेगा। आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन घर से खाना मंगा कर आप यहाँ खा सकते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है?

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो बड़ी-बड़ी बात कही जाती है, इसके ऊपर निगरानी करने के लिए आपसे यहाँ सवाल पूछा गया कि आप इम्पैक्ट स्टडी कैसे करते हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट में बीड़ी वर्कर्स की हालत और बदतर होती जा रही है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे भारत में 49 लाख 82 हजार 294 बीड़ी वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। उनमें से बंगाल में 18 लाख 29 हजार 203 हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अकेले दस लाख एक तहसील में कैसे हो सकते हैं?... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मंत्री जी वहाँ हैं। यही तो मुश्किल होता है कि आप कुछ कह देते हैं, यही तो मुश्किल होता है। ... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तहसील एक जिले से अलग होती है। एक तहसील में दस लाख की आबादी है, तो इसे मैं चैक करवा लूंगा। लेकिन मैं यहां पर कह रहा हूं कि पूरे बंगाल में... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप चैक करवा लीजिए।... (व्यवधान) यह गलत इन्फॉर्मेशन कैसे बोल सकते हैं? ... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे बंगाल के रजिस्टर्ड आंकड़े दे रहा हूं। पूरे बंगाल में 18 लाख 29 हजार 203 है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नो।

श्री भूपेन्द्र यादव : हम पूरे बंगाल में 18 लाख मान रहे हैं, लेकिन एक ब्लॉक में दस लाख होना, यह सम्भव नहीं है।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने सब-डिविजन कहा है।... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : दूसरा, पूरे देश में बीड़ी वर्कर्स... (व्यवधान) अधीर जी, मैं पूरा विषय रख दूं।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप नहीं रख रहे हैं, इसलिए मैं बोलना पड़ रहा है।... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : आप रख दो।... (व्यवधान) हम पूरे देश में बीड़ी वर्कर्स के लिए तीन तरह से योजनाएं बनाते हैं— पहला हेल्थ कम्पोनेंट, दूसरा स्कॉलरशिप और तीसरा हाउसिंग का है।

जहां तक हेल्थ कम्पोनेंट की बात है, पूरे देश में 285 डिस्पेंसरीज़ और 10 हॉस्पिटल्स चलते हैं। जहां तक स्कॉलरशिप का विषय है, हम बीड़ी मज़दूरों के बच्चों को एक हजार रुपये से लेकर 25,000 रुपये, उनको जिस प्रकार की शिक्षा की योग्यता होती है, उस प्रकार से हम लोग उनको स्कॉलरशिप देते हैं। हाउसिंग का भी डाटा है, हम बेनिफिशरीज़ को तीन कम्पोनेंट्स में देते हैं। जिसमें उसका जो रेश्यो है वह 37,500, 90,000 और 22,500 है। जहां तक अधीर जी ने मुझे समीक्षा की बात कही है, इसकी नियमित समीक्षा हम लोग करते हैं। अगर कोई ऐसा तथ्य किसी

पर्टिकुलर अस्पताल का है और वे हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हम उन अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री दुष्यंत सिंह जी।

... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह: अध्यक्ष जी, मैं राजस्थान के उस जिले से आता हूँ जहां तेंदूपत्ते की ग्रोथ होती है। ... (व्यवधान) मैं उसके विषय में मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी कहा है कि 49 लाख 82,294 रजिस्टर्ड बीड़ी वर्कर्स हैं। ... (व्यवधान) मैं उस ऐस्पेशनल डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, झालावाड़-बारां से, जहां तेंदूपत्ते का उत्पादन होता है। ... (व्यवधान) इसमें महिला समूह एकजुट हो कर काम करती हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका सवाल क्या है?

... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने हैल्थ, स्कॉलरशिप और हाउसिंग स्कीम के बारे में बताया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने बता तो दिया है।

... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह: मेरे जिले में, जहां तेंदूपत्ता बनता है और उससे बीड़ी बनती है, झालावाड़-बारां के लिए और हमारे राजस्थान के उस क्षेत्र, जो पिछड़ा है, के बीड़ी वर्कर्स के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। सर, मुझे आपसे उत्तर चाहिए?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, उन तथ्यों की जांच करवा सकते हैं, उनको बेकार नहीं कहना चाहिए। यह संसदीय परंपरा नहीं है। ... (व्यवधान)

दूसरा, हमारे राजस्थान के सदस्य ने विषय रखा है, हमारे वelfेयर ऑफिसर के द्वारा उस पूरे विषय का संज्ञान लिया जाता है। ... (व्यवधान) देश में जो 17 वelfेयर ऑफिसेज़ हैं, उनमें से एक अजमेर में है, जो पूरे राजस्थान के बीड़ी मज़दूरों के विषय को देखता है। ... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: Sir, first of all, I want to know whether our welfare Government is encouraging smoking or not.

The second thing is that if this Government is not encouraging smoking, why should you keep this beedi industry running forever? Why do you not make some alternative comprehensive welfare measures for these poor people?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लेबर वelfेयर में केवल बीड़ी मज़दूरों के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे समकक्ष उद्योग हैं, जिनमें लगातार असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के वelfेयर के कार्यक्रम किए जाते हैं। जहां तक ऑल्टरनेटिव रोज़गार की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ़ स्किल डेवलपमेंट के साथ मिल कर अनेक विषयों पर हम ऑल्टरनेटिव रोज़गार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जिससे मज़दूर लोग लाभ उठा रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन को डायरेक्शन मत दिया करें। प्लीज़ बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 303 – श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी– उपस्थित नहीं ।

(Q. 303)

डॉ. मोहम्मद जावेद: सर, मंत्री जी ने रिप्लाय में यह बताया है कि the number of students enrolled in this scheme PM-YUVA में 17,409 हैं, बिहार में जीरो है । उसी तरह फाइनल असेसमेंट में 9183 है और बिहार का जीरो है । स्टूडेंट पासड में भी 7392 में से एक भी नहीं है, जीरो है । सर, आप जानते हैं कि मैं किशनगंज सीमांचल से आता हूँ और वह सबसे इकनोमिकली पुअर एरिया है, जिसमें 65 पर्सेंट गरीब लोग हैं । बिहार की भी स्थिति यही है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है ।

महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि 239 Institutes of higher education were empanelled. I would like to know from the hon. Minister how many of them are in the Simanchal area and in the State of Bihar and also what are the measures he wants to take to develop vocational education and training in my area as well as in Bihar so that employability of people in the area is enhanced और उन्हें अच्छे वेजेज मिले । क्या सरकार यह चाहती है कि बिहार राज्य हिन्दुस्तान के विकसित राज्यों के लिए केवल चीप लेबर देने वाला स्टेट रह जाए? क्या बिहार राज्य के विकास में केन्द्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं है, यह मैं जानना चाहता हूँ ।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर): सर, माननीय सांसद जी जानते हैं कि वर्ष 2015-16 से हमारी सरकार ने ऑन्ट्रेप्रेन्योरशिप और स्टार्ट-अप्स के लिए एक माहौल बनाने और उन्हें कैटेलाइज करने के लिए बहुत कुछ किया है और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के सबसे तेजी से उभरने वाले स्टार्ट-अप और इको सिस्टम भारत में बना है । आज भारत में 70,000 से ज्यादा स्टार्ट-अप्स बने हैं ।... (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद: सर, मेरा प्रश्न बिहार राज्य के बारे में है ।... (व्यवधान)

श्री राजीव चन्द्रशेखर : मैं पहले अपनी पूरी बात खत्म कर लूं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्रीगण, आपसे आग्रह है कि आप माननीय सदस्यों से बात न कीजिए, आसन से बात कीजिए।

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, over 100 Unicorns have been created and without any doubt India has created one of the most vibrant entrepreneurial and start-up eco-systems in the world, thanks to the efforts of the Government and multiple policies of the Government. One of the policies was the PM Yuva Scheme which was implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship that I represent today.

सर, उसके दो फेजेज थे – पी.एम. युवा 1.0, माननीय सांसद जी ने जो कहा, this was targeting institutes of higher learning over 26 States and Union Territories. वह वर्ष 2016 में शुरू हुआ था और वर्ष 2018 तक चला। वर्ष 2019 से हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पी.एम. युवा 2.0 दस राज्यों में लॉन्च किया था। उसमें बिहार राज्य भी था। वहां पर हमने टारगेट किया था कि आई.टी.आइज़, एन.एस.डी.आइज़, और स्किल डेवलपमेंट के इको सिस्टम में ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप्स चलाई जाएं। उसके बाद मार्च, 2022 के बाद अब हमने हर स्किलिंग सेन्टर्स में और हर स्किल प्रोग्राम में एक मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप, ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप अवेयरनेस, ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप स्किलिंग को मैनडेट्रीली डाल दिया गया है। आज हर स्किलिंग कोर्स में हमने एक मॉड्यूल इम्प्लीमेंट किया है, जो ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप, स्वरोजगार और माइक्रो ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप के लिए भी ट्रेनिंग देता है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपसे आग्रह करता हूं कि मूल प्रश्नकर्ता ने आंध्र प्रदेश के विशेष कार्यक्रम के बारे में पूछा था। अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रश्न है तो माननीय मंत्री जी आपको उसका जवाब भेज देंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 304 – श्री सुनील कुमार सिंह ।

(Q. 304)

श्री सुनील कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चलाने के लिए जनजातीय मंत्रालय का बजट वर्ष 2020-21 में जो लगभग 5494 करोड़ रुपये था, उसे इस वर्ष बढ़ाकर लगभग 8452 करोड़ रुपये कर दिया है। साथ ही, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विस्तृत जवाब दिया है और प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में झारखण्ड के लगभग 3891 गाँव हैं, जिनमें से मेरे संसदीय क्षेत्र के चतरा, लातेहार और पलामू जिले के 256 गाँवों को शामिल किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ।

महोदय, मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना है कि झारखण्ड सहित त्रिपुरा, यू.पी. आदि कुछ राज्यों में कुछ नई जातियों के एस.टी. में शामिल होने के बाद स्वाभाविक रूप से कई गाँवों और प्रखण्डों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वाली आबादी बढ़ी होगी। ऐसे गाँवों को पहचान कर उन्हें प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में शामिल करने की क्या योजना है?

श्री अर्जुन मुंडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछा है। वैसे तो इसमें पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि 'आजादी की अमृत महोत्सव' को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने देश में इस वर्ष 7500 गाँवों को चिह्नित किया है। यह पाँच वर्ष की योजना है। आगामी पाँच वर्षों में, यानी वर्ष 2024 तक लगभग 36000 गाँवों को इसमें सम्मिलित करते हुए, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से पूरा करेगी। इसमें उन गाँवों का चयन किया गया है, जहाँ आबादी की दृष्टि से 25 प्रतिशत से अधिक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से जो ऑल इंडिया सर्वे किया गया था, उस सर्वे के आधार पर जो गैप मिली है, उन सारे गाँवों को ट्राइबल एरिया के रूप में चयन कर लिया गया है।

महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कई गाँव जो बाद के दिनों में छूट गए थे, जहाँ अनुसूचित जनजाति के मात्रात्मक त्रुटि के कारण या ऐसे अनुसूचित जनजाति जो सूची में छूट गए थे,

वैसे गाँवों में भी हम आगे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उन्हें भी इस तरह के लाभ कैसे उपलब्ध हो सकें।

श्री सुनील कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि इन गाँवों के लिए लगभग 20,38,000 रुपये प्रति ग्राम का प्रावधान किया गया है। साथ ही मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जिन प्रखंडों में जनसंख्या की वृद्धि हुई है और जो एकलव्य स्कूल के मापदंडों को पूरा करते हैं, जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र के कुण्डा, लावालोंग, सिमरिया, टण्डवा और लातेहार जिले के बरिआतू, हेरहन्ज़, बालूमात्र, चन्दवा, मनिका, सरयू तथा पलामू जिले के सतबरवा, पार्की, लेसलीगंज में एकलव्य विद्यालय खोलने की नई योजना क्या है?

महोदय, पहले से स्वीकृत योजनाएं जो कान्हाचट्टी, बरवाडीह, गारू, लातेहार, महुआडांड और मनातू में थी, उसमें से कान्हाचट्टी, महुआडांड और मनातू में अभी तक शुरू नहीं हो पायी हैं। वे योजनाएं कब तक कार्यरूप लेंगी? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री अर्जुन मुंडा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना से संबंधित नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है, इसलिए मैं इसका भी थोड़ा उत्तर उनको दे देना चाहता हूँ। यह जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, सैद्धांतिक तौर से मंत्रिमंडल के द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए कि जिन प्रखंडों में 50 प्रतिशत से अधिक एवं 20 हजार से अधिक आबादी है, उन गाँवों में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाया जाए। उसके तहत कुल मिलाकर 740 से अधिक विद्यालय बनाए जा रहे हैं। ये सारे पाँच साल के अंदर बनाए जाएंगे। वर्ष 2024 तक इनको भी पूर्ण करना है। इस दृष्टि से यह कार्य प्रारंभ हो गया है। इस योजना के लिए लगभग 29,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि की वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति दी है। यह योजना पूरी होने के बाद आगे हम इसकी समीक्षा करते हुए निर्णय लेंगे कि उन क्षेत्रों के बारे में क्या और बेहतर किया जा सकता है।

KUMARI GODDETI MADHAVI: Sir, I represent the tribal constituency of Araku where even now the basic infrastructure needs to be improved vastly. The State Government of Andhra Pradesh has been extending all possible help to improve

the facilities there. I would like to ask the hon. Minister about the steps being taken by the Central Government to improve the basic infrastructure in the State of Andhra Pradesh. I would also request the hon. Minister to see if there is any possibility to increase the number of villages under the Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana which will be very helpful to us.

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट फेज़ में इस तरह के नीतिगत निर्णय लिए हैं और इसकी सूची जारी कर दी गई है। लेकिन, इसके साथ ही यह जो योजना है, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जिन गाँवों को हमने चयनित किया है या वैसे गाँव जहाँ आधारभूत संरचना की कमी है, वैसे गाँवों में सभी मंत्रालयों की उन योजनाओं को पूर्ण रूप से सम्मिलित करते हुए, उस गाँव को सैचुरेशन मोड में लेकर आना है। सैचुरेशन मोड में लाने का माननीय प्रधान मंत्री जी का उद्देश्य है कि एक गाँव का आप चयन करें, तो उसकी पूरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इन्कम जेनरेशन से लेकर, उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन, चाहे वह फोर जी का मामला हो या पोस्ट ऑफिस का मामला हो, सारी चीजें इसमें सैचुरेशन मोड में सम्मिलित होनी चाहिए। मैं माननीय सदस्य से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे गाँव, जिनमें आपको लगता है कि वहाँ गैप है, उनकी सूची जिला स्तर पर देकर स्थानीय स्तर पर सम्मिलित कराते हुए आगे कार्य को जारी रख सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 305 – श्री उत्तम कुमार रेड्डी ।

(Q. 305)

SHRI UTTAM KUMAR REDDY: Mr. Speaker, Sir, in the reply given by the hon. Minister, they have said that the unspent CSR funds can be carried forward for the next three years. I wish to seek a clarification from the hon. Minister, whether it is unspent fund on committed projects or all unspent funds are going to be carried forward for the next three years. The understanding of all company secretaries is that unspent funds on projects which have been commenced will be carried forward and not all unspent funds. Your reply says that.

Secondly, as far as CSR fund is concerned, I want to know from which date or from which financial year the amendment to the Companies Act is applicable. Do you have any penal provisions or do you take any legal actions against those companies which have not followed the Government's rule about spending two per cent of funds? ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ओके । आपको सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का भी मौका दूंगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी एलाऊ करूंगा ।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : नहीं तो फिर आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एलाऊ नहीं करूंगा ।

RAO INDERJIT SINGH: Sir, any company which falls under the purview of Section 135 of the Act, has to spend two per cent. If they have not done it in the given year, then they have to put it in the account, which is called unspent 'CSR Account'. That CSR amount can be spent on the next three years, if the project has not been completed in the first year. Secondly, if they have taken up a

project and if they have not completed it, they can complete it in next three years. Also in a project, if they have overspent, then they can set it off for the next three years. That is what my reply says. I have forgotten his second part of the question.

SHRI UTTAM KUMAR REDDY: Mr. Speaker, Sir, if a company does not spend CSR fund for the year, are they allowed to take it forward to the next three years? From what date or from which financial year, the amendments to the Companies Act, as far as CSR fund is concerned, are applicable? Are you taking any legal action or are there any penal provisions against those companies which became defaulters before the amendments have come into place?

In the Act, it is said that preference should be given to local areas. What do you mean by local areas? Singareni Collieries Company Limited is a joint company of Government of India and the Government of Telangana which is violating CSR fund norms repeatedly. Is there any monitoring of the way it has been spent?

माननीय अध्यक्ष : आपने 4 प्रश्न पूछे हैं । 2 प्रश्न पहले पूछे थे, दोबारा उनको रिपीट किया । 1 नया प्रश्न पूछा है ।

RAO INDERJIT SINGH: Sir, if a company has taken up a project and if they have not completed the project, then they can put the money in unspent CSR Account. For the next three years, they can spend the fund to complete that project. That is what the law states. I do not know what the company has done. He has asked a specific question on that. I will let him know. As far as penal provisions are concerned, recently, they have made a civil wrong. They know the penal

provisions. It is a civil wrong. That decision has been taken consciously because we think that companies are the contributors of wealth to the nation. We should not penalise them.

So, that is on his second question. The third question that the hon. Member asked was: when was it applicable from? I do not have the exact data as to when it was applicable from, but it was, probably in the preceding year.

DR. SHASHI THAROOR: Mr. Uttam, I will follow up on your point because in fact, in the reply of the hon. Minister, there is a lapse.

I have the Report of the High Level Committee on CSR set up under the Secretary, Corporate Affairs, which actually made a number of recommendations, and only one of which he has put into the Companies Amendment Bill. Whereas, Mr. Speaker, Sir, the recommendation and the question that the hon. Member asked is as follows: Unspent CSR amount for a particular year may be transferred to a separated designated account created for the purpose. If you have not spent two per cent – it is not just on incomplete project -- you can put that for another account, such unspent amount and the interest earned thereon be spent within a period of three to five years, failing which the same be transferred to a Fund to be specified by the Central Government which may be used for innovative High Impact Projects related to activities listed.

Now, the question, Sir, is: if that is the case, why was it not reflected in the Companies Amendment Act when it was brought to Parliament in 2020? So, I fully understand my colleague's frustration and confusion which is shared by many companies because they do not understand whether it is the

recommendation of the High Level Committee that was behind the intent of the Bill or whether the Bill actually deliberately omitted, since it is not present in the Bill? The hon. Minister should please clarify.

RAO INDERJIT SINGH: Sir, the CSR amendments became applicable from the 22nd January, 2021. The Act was passed, a year before as you said. Now, about the recommendations and what was the background of those decisions, I cannot specify whether the recommendations of the Committee were considered or not. But the amendments were to be placed a year after the Act was promulgated. Therefore, I do not see what your question is. Afterwards, the Act was promulgated.

HON. SPEAKER: Hon. Finance Minister, please.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, with your permission, I would like to say that the Act may not specify some of those implementable rules which were later clarified either through the rules or even sometimes, through the frequently asked questions and so on.

The hon. Member, Dr. Shashi Tharoor is right in pointing out how it works out; and the concern of the hon. Member Shri Uttam Kumar Reddy is well-taken. But I am not commenting on a specific company he referred to, that is, Singareni Collieries. I am not commenting on it. But in general, periodically the Ministry of Corporate Affairs holds meetings with companies' accountants; and Company Affairs' Secretaries also go round talking to different companies. But I do grant it that more detailed spread of information is required so that this confusion does not prevail. But the question of confusion probably on what hon. MoS has just

said, that for three years you can use – because many companies' Board driven decisions are to build hospitals, for instance, as an example, they cannot be completed within one year. So, the amendment reflected to that extent does say 'keep it carrying forward for the next two-three years; or in the first year, laying of the foundation took away two-thirds of what you wanted to do, which does not come under the yearly limit, you can offset it in the next year.

All these were done with an intention that the Board- driven decisions are going to be facilitated by the rules so that they are not obstructionists, they can carry forward.

But as regards the local matter, I certainly want to highlight the fact that there has been a lot of interest, a lot of desire that the companies spend their money in the local areas. Boards are very conscious of it. After all, CSR is a Board-driven decision. No Government can impose on them saying: "You have to spend it in this area or that area." But companies are greatly, nowadays, more increasingly aware that local area should be taken up on priority. That much I wanted to explain.

Thank you. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री सु. थिरुनवुक्करासर जी

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री, भूपेन्द्र यादव जी

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सु. थिरुनवुक्करासर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपके नाम पर संशोधन करूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गलती किसी से भी हो सकती है, नाम का उच्चारण सही होना चाहिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 306 – श्री सु. थिरुनावुक्करासर ।

(Q. 306)

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Thank you, Sir. There has been a long-pending demand to raise their meagre EPS, 1995 pension amount of Rs. 1000 per month.

In 2012, the Koshiyari Committee had recommended to hike the pension to a minimum of Rs. 3000. Recently, the Parliament Standing Committee on Labour has also given a Report that the minimum pension, which was announced in 2014 and continues to be applicable till date, is grossly inadequate. The amount of Rs. 1000 is reportedly not being given to many pensioners owing to various reasons. Sometimes, the pension amount is as low as Rs. 460 or something like that.

Sir, this is a serious issue. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any proposal to hike the EPS, 1995 pension substantially.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जानकारी के लिए भी बता देना कि वर्ष 2014 से पहले कितनी पेंशन थी और वर्ष 2014 के बाद कितनी पेंशन मिलती है ।

... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष जी, ईपीएस 95 भारत सरकार की एक स्कीम, जिसे 16 नवंबर, 1995 को लागू किया गया था । इसमें पुरानी स्कीमों का मर्जर हो गया था । इस स्कीम के अंतर्गत एम्प्लायर का कंट्रीब्यूशन 8.33 परसेंट है और भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन 1.16 परसेंट है । इस स्कीम के अंतर्गत पहले बहुत मिनिमम पेंशन मिलती थी । इसका फार्मूला पेंशनेबल सर्विस इनटु पेंशनेबल सैलरी को 70 से डिवाइड करने के बाद बनता है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पहले काफी कम मिलती थी और काफी संघों की यह मांग भी थी। यही कारण है कि सरकार बनने के बाद, हमारी सरकार ने 19 अगस्त, 2014 को नोटिफाई किया और 1.9.2014 को न्यूनतम 1000 रुपये किया गया। ऐसे में कोई पेंशन पर आश्रित हो और उनके परिवार के व्यक्ति रह जाते हैं तो सबको न्यूनतम 1000 रुपये मिलेंगे, जिसके द्वारा भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा एक विशेष राशि ईपीएफओ फंड में दी जाती है। यह पेंशन कर्मचारी का अंशदान जोड़कर, उनके मालिक और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अंशदान से बनती है। बीमा का फार्मूला प्राप्त अंशदान के आधार पर ईपीएफओ निर्धारित करता है। वर्तमान में यही स्थिति है।

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Sir, the pension amount is not being credited on time. I would like to know from the hon. Minister whether the due amount will be given with interest.

Secondly, A Ukraine-based cybersecurity researcher and journalist has claimed that about 288 million personal records, containing the full name, bank account number and nominee information of the Employees' Pension Scheme (EPS) holders in the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), were exposed online before being taken off the Internet. If it is true, it is a very serious issue which requires to be investigated. It raises serious questions regarding the effectiveness of the system of EPFO to protect the user data. I would like to know from the hon. Minister whether it is true or not? What steps are being taken by the Government in this regard? Is there any investigation done? If yes, what is the result of this investigation?

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष जी, दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, ईपीएफओ फंड द्वारा और हमारी सरकार द्वारा डाटा प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है? ईपीएफओ की 225वीं बैठक में

ईपीएफओ के आईटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। ईपीएफओ संगठन द्वारा भी कमेटी का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट पिछली बैठक में आई है, इसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

जहां तक इनका यह कहना कि पेंशन न मिलने के कारण सरकार के द्वारा क्या रिफॉर्म किये गए हैं तो मैं आपकी अनुमति से कुछ रिफॉर्म्स पढ़ना चाहता हूँ। हम ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट 99 परसेंट तक कर रहे हैं। हमने Auto-claim settlement for illness and COVID-19 claims भी किए हैं। हमने कोविड-19 स्पेशल एडवांस भी तीन दिन के अंदर सेटल किए हैं। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट के क्विक डिस्पोजल के लिए हमने पूरी स्थिति बनाई है। Facility of Digilocker for passbook or PPO and also Online Passbook Facility को मेम्बर्स पोर्टल पर उपलब्ध कराया है। हमने ई-नोमिनेशन स्पेशल ड्राइव को भी उपलब्ध कराया है। उमंग और खासकर जो शिकायतें आती हैं, उनको पीएम ग्रीवेंस के माध्यम से हमने ईपीएफआईजीएमएस और उमंग ऐप के साथ जोड़ा है। लगभग तीन हजार के करीब शिकायतें आती हैं। उनका विश्लेषण सीपीएफसी द्वारा किया जाता है और मासिक स्तर पर मेरे स्तर पर भी बैठक के माध्यम से किया जाता है, ताकि हम उसका सामाधान निकाल सकें। कई बार पेंशन की गणना के लिए भी दिक्कतें आती हैं। उसके लिए हमने उनको ई-कैलकुलेटर दिया है। उसके साथ जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनको बार-बार पेंशन सेंटर पर अपना वैरिफिकेशन करवाना पड़ता है। पिछली बैठक में हमने एक निर्णय पास किया है। उसमें हमने फेस वैरिफिकेशन को भी अलाऊ किया है, ताकि पेंशन प्राप्त करने वालों को सुविधाजनक रूप से पेंशन मिल सके।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, it is a fact that the 16th Lok Sabha has discussed about EPS-95 on the basis of a Private Member Resolution moved by me. It was discussed for 9 days. Finally, the Government has appointed a High-Level Empowered Committee so as to look into all the issues. The Committee has been constituted, and it has had a consultation with me as per the directions

of the Government and also on the basis of the recommendation to enhance the pension by Rs. 2,000. That is the specific question which was put in. The question is, whether the Government is considering this aspect of enhancement of pension. Also, another direction has been given by the EPFO authorities that 10 years of continuous service is the minimum requirement for the entitlement of pension. But unfortunately, the EPFO authorities have made an interpretation that 10 years means 3,650 days of attendance.

Hon. Speaker Sir, how is it possible for the cashew workers to have 3,650 days of attendance? So, please state whether it is applicable to the cashew workers. ... (*Interruptions*) Kindly clarify that point also because it is adversely affecting the cashew workers.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला सप्लिमेंटरी प्रश्न हाई पावर कमेटी के बारे में पूछा है। हाई पावर कमेटी की बात केवल पेंशन को इन्क्रीज करने के लिए नहीं थी। हाई पावर कमेटी ने आठ प्वाइंट में अपनी बात कही थी, जिसमें The first is, long-term sustainability of pension fund. उसकी सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। दूसरा, जो मंथली पेंशन का विषय है, मैंने आपको पहले कहा है कि वह फंड के माध्यम से कंट्रीब्यूशन से होती है। तीसरा, period over which the average pensionable salary is calculated, उसके लिए हमने काफी सुविधाजनक काम किए हैं। The others are, restoration of commuted value of pension, reintroduction of the provision for the commutation of pension, restoration of the provision of return of capital, linking the monthly pension with the Cost of Living Index, and issue of payment of pension on higher actual wages to the employees of exempted establishment. ईपीएफओ कमेटी ने इन हाई लेवल कमेटी की आठों रेकमेंडेशन्स पर पूरी तरह से विचार किया है। जहां तक ये कैश्यू वर्कर की बात बता रहे हैं,

माननीय सदस्य मुझे पत्र भी दे चुके हैं। वह एक अलग ग्रीवेंस है। मैं उनके पत्र का उत्तर निश्चित रूप से दूंगा।

श्री रवनीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं लुधियाना से आता हूँ। वहाँ बहुत सारे एमएसएमईज हैं। लुधियाना का जो रीजनल ऑफिस है, कमिशनरेट है, उसका रैंक पहला आया है। यह बहुत अच्छी बात है। उनकी जीरो पेंडेंसी है।

मैं अगर एमएसएमई की बात करूँ तो जीडीपी में उसका हिस्सा 29 परसेंट है। लॉकडाउन की बात करूँ तो 9 परसेंट एमएसएमईज बिल्कुल बंद हो गए थे। तकरीबन, 67 परसेंट टेम्परेरी शटडाउन रहे।

माननीय अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य हैं। आप केवल प्रश्न पूछिए। मंत्री जी की तरह जवाब मत दीजिए।

श्री रवनीत सिंह: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, किसी न किसी तकलीफ के कारण चाहे वह एम्प्लॉयर हो, वह अपना हिस्सा नहीं डाल सका या एमएसएमई वाला हो, वह भी अपना हिस्सा नहीं डाल सका। उससे पीएफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनके जो डैमेजेज हैं, जहाँ इंटेस्ट है, उसके लिए सरकार अपनी तरफ से क्या करने जा रही है, जिससे उनका फायदा हो सके?

महोदय, दूसरा सवाल तो नहीं है, लेकिन जो लेबर कमेटी है, उसने तकरीबन अपनी रिपोर्ट में बताया है, जो उनकी ग्रीवांसेज और दिक्कतें हैं, उसमें लगातार गिरावट आ रही है, सरकार उसको हल नहीं कर पा रही है। तकरीबन जो बीस का आंकड़ा है, उसमें 30,400 शिकायतें अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, जिनका हल नहीं हो सका है। ये लगातार बढ़ रही हैं। ये पार्लियामेन्ट्री कमेटी की रिपोर्ट है। अगर आप दोनों चीजों के बारे में बता दें, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन में इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वे गरीब लोग हैं। वे बेचारे कहां जाएंगे?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से लॉकडाउन के समय माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीति के कारण और यहां पर माननीय वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, ईपीएफ का

कॉन्ट्रिब्यूशन सरकार के द्वारा किया गया था। मुझे लगता है कि अगर कोविड में सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा राहत का कोई कदम उठाया गया था, तो वह ये वाला कदम था।

दूसरा जो विषय है, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे लुधियाना के ऑफिस की कार्यक्षमता के बारे में प्रशंसा प्रकट की है। उनका यह कहना बिल्कुल सही है और हमारा भी यह मानना है कि ईपीएफओ दुनिया के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी फंड में है, हमें सबसे ज्यादा जिनकी सेवा करनी है, वह हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हमारे ईपीएफओ संगठन के द्वारा पिछली दो कमेटियों से लगातार ट्राई पार्टी माध्यम से जिसमें वर्कर्स के भी प्रतिनिधि थे, श्रमिकों के भी प्रतिनिधि थे और सरकार के भी प्रतिनिधि थे। हमने चार कमेटियां गठित की हैं। मैंने पूर्व में आईटी कमेटी का भी उल्लेख किया है। हमने एचआर ग्रीवांसेज, पेंशन सॉल्यूशन और कैपेसिटी बिल्डिंग का भी गठन किया है। कमेटियों की रिपोर्ट्स को इस बार हमारी बोर्ड की मीटिंग में स्वीकार किया गया है, हम इसका कार्यान्वयन जल्दी ही पूरा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 307 – श्री बसंत कुमार पंडा ।

(Q. 307)

श्री बसंत कुमार पंडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय को ओडिशा के राष्ट्रीय स्मारकों के बारे में विस्तार से उत्तर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि पश्चिमी ओडिशा का ज्यादातर क्षेत्र पहले सेन्ट्रल प्रोविन्स में था। आज ओडिशा आखिरी छोर पर है, तब भी वह सेन्ट्रल प्रोविन्स के आखिरी छोर पर था, इसलिए वह उपेक्षा का कारण बना है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि निम्नलिखित स्थानों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का विचार करें - समलेश्वरी मंदिर, संबलपुर, पाटनेश्वरी मंदिर, बोलंगीर, पटनागढ़, हरिशंकर मंदिर, जिला बोलंगीर, नरसिंहनाथ मंदिर, जिला बरगढ़, लंकेश्वरी मंदिर, जिला कालाहाण्डी, मणिकेश्वरी मंदिर, जिला कालाहाण्डी, पातालेश्वर मंदिर, जिला नुआपड़ा, जोगेश्वर मंदिर, जिला नुआपड़ा, ददिभावन मंदिर, जिला नुआपड़ा, जगन्नाथ मंदिर, कोरापुट और उसके साथ-साथ अमृत महोत्सव की पावन बेला पर स्वतंत्रता सेनानियों की एक पीठ शालियागढ़ है, जो कि सन् 1930 में जंगल सत्याग्रह से प्रभावित होकर शामिल हुआ था। वहां अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण किया गया था। उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाए एवं उसकी सुरक्षा और विकास के लिए समुचित व्यवस्था की जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ओडिशा के पश्चिमी क्षेत्र के संबंध में कुछ स्थानों को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में सम्मिलित करने का जिक्र किया है। उन्होंने इतिहास बताते हुए यह भी बताया है कि इनकी उपेक्षा हुई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सन् 1861 में हुई थी। उसके बाद अंग्रेजों के समय एनशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 में आया था। देश आज़ाद होने के बाद एनशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, 1958 बना था। इसके माध्यम से राज्यों से जो प्रस्ताव

आते हैं, वैसे तो कोई एनजीओ भी प्रस्ताव दे सकता है, हम उनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में सम्मिलित करते हैं। आपने जिन स्थानों का जिक्र किया है, राज्य के माध्यम से प्रस्ताव आने के बाद वह हिस्टोरिकल साइट होनी चाहिए। हिस्टोरिकल साइट के साथ-साथ उसमें आर्किओलॉजिकल वैल्यू का भी भाव होना चाहिए और ऐसी साइट होनी चाहिए कि उस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने से देश को फायदा हो। अगर ऐसी चीजें सम्मिलित होती हैं और वे स्थान पात्रता रखते हैं तो निश्चित रूप से इसकी जांच करके परीक्षण करवाया जाएगा।

श्री मनोज तिवारी: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार संस्कृति, कला, शिल्पकार और कलाकार के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन, जिस तरह से हमारे देश में ज्योग्राफिकल मैपिंग हुई है, वैसे ही संस्कृति विभाग की कल्चरल मैपिंग करने की क्या कोई योजना है? कलाकारों के लिए स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ दिया जाता है, लेकिन उन कलाकारों की परिभाषा क्या है? Who is an appropriate artist? हमारे देश में कितने कलाकार हैं? कितने कृतनीय हैं, कितने रामायणीय हैं, विभिन्न धर्मों के गायकार भी हैं, जब यह सब पता चलेगा तो सही मायनों में उन तक लाभ पहुंचेगा। क्या सरकार कल्चरल मैपिंग के लिए कोई योजना ला रही है? यदि हाँ तो वह योजना क्या है?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और यह सुझाव के रूप में है। निश्चित रूप से जब विभाग में कार्यवाही होगी तो हम कल्चरल मैपिंग के बारे में चिंतन करेंगे।

SHRI FRANCISCO SARDINHA: Thank you, Sir. There is a very important archeological site in old Goa, which is also a religious centre. One house has been built there in the premises. People are on hunger strike for the last one year. I also brought it to the notice of the Government. I would like to know whether any decision has been taken by the Government to demolish that house because the panchayat has given a decision to demolish that particular house.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सीधा संबंध मूल प्रश्न से नहीं है, फिर भी मैं इसकी डिटेल् ले लूंगा और जवाब दे दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 308 – श्री पी.आर. नटराजन ।

(Q. 308)

SHRI P. R. NATARAJAN: Sir, a detailed reply has been given by the hon. Minister. But sorry to say that it is not clearly mentioned as to who maintains the list of beneficiaries. We need a reply from the hon. Minister whether the list of beneficiaries is maintained by the Centre.

Secondly, opening of more training institutes in Coimbatore, Tamil Nadu has been mentioned there. But I would request the hon. Minister to pass instructions so that it can be done in a timebound manner. Thank you.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, the hon. Member has asked two questions. One is about keeping up a list of the trainees. I just want to point out that details of all the trainees for the short-term training programmes like NAPS, JSS and ITIs are maintained by various institutions which deliver those skilling programmes.

So far as the question about expanding of skilling network in Coimbatore, Tamil Nadu is concerned, I would like to inform the hon. House that Skill India Mission is a demand-driven programme. As the demand for skilling increases, the Government of India and the State Government respond accordingly with either a diversification of skill programmes or increase in the capacity of delivering the skills. So, it is a very demand-driven programme, and as the demand increases, the capacity increases.

11.58 hrs(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

SUSHRI S. JOTHIMANI: Thank you for the opportunity, Sir. Despite the Government's putting continuous efforts for decades, training of women is not giving the desirable outcome. I feel that it is due to gender specific stereotype approach in the training.

Generally, we have a list of many training programmes like tailoring, beauty parlour course, MS Office, etc. The hon. Minister is well aware that we are living in an era of Artificial Intelligence. Women are capable enough to have any new kinds of trainings which are as per today's requirement.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any plan to revamp the training system according to the current need.

Also, today the women need skills of different types like communication, language skills, etc. They do not even know how to write their CVs; they do not know how to appear in an interview; they do not know how to approach a bank with a proposal. I want to know whether the Government has inculcated any such courses in the training programmes.(*Interruptions*)

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: With respect to the hon. Member's query or doubt, I want to clarify that there are over 5,000 programmes in the Skill India ecosystem whereas there is no bar for any of those programmes to be followed by women candidate or women student. I think she is misinformed that there are some programmes for women alone and there are other programmes for men. It is not like that.

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

(Starred Question Nos. 309 to 320
Unstarred Question Nos. 3451 to 3680)
(Page No. 65-701)

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

श्री राव इंद्रजीत सिंह जी ।

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND
PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY
OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH):** Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.895(E) published in Gazette of India dated 19th September, 2018.
- (ii) The National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members (Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.400(E) published in Gazette of India dated 30th May, 2022.
- (iii) S.O.2433(E) published in Gazette of India dated 30th May, 2022, appointing Dr. Ajay Bhushan Prasad Pandey as the Chairperson of the National Financial Reporting Authority w.e.f. 1st April, 2022 (forenoon) for a period of three years or till the incumbent attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.
- (iv) S.O.2434(E) published in Gazette of India dated 30th May, 2022, appointing Shri Praveen Kumar Tiwari as the full-time member of the

National Financial Reporting Authority *w.e.f.* 28th March, 2022 (forenoon) for a period of three years or till the incumbent attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

- (v) The National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members (Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.602(E) published in Gazette of India dated 26th July, 2022.
 - (vi) S.O.3376(E) published in Gazette of India dated 26th July, 2022, appointing Ms. Smita Jhingran as the full time member of the National Financial Reporting Authority for a period of three years *w.e.f.* 19th April, 2022 (forenoon) i.e. the date on which she entered upon her office, or till she attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT7459/17/22]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949, Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 and Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980:-

- (i) G.S.R.222(E) published in Gazette of India dated 26th March, 2022, making certain amendments in Notification No. G.S.R.835(E) dated 3rd November, 2015.

- (ii) S.O.2184(E) published in Gazette of India dated 11th May, 2022, appointing the 10th day of May, 2022, as the date on which the provisions, mentioned therein, of the Chartered Accountants, Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Act, 2022 and shall come into force.

[Placed in Library, See No. LT7460/17/22]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ :

- (1) (एक) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टिट्यूट, बंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टिट्यूट, बंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7461/17/22]

- (3) (एक) इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7462/17/22]

- (5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों) की एक-एक प्रति: -

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग नियम, 2021 (आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2022 जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग नियम, 2021 (वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप) नियम, 2022 जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT7463/17/22]

- (6) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 26 की उप-धारा (3) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों) की एक-एक प्रति: -

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति) विनियम, 2021 जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी-25055/1/2021-एफएंडए में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग का कार्य संचालन और शर्तें एवं शक्तियों के प्रत्योजन की सीमाएं) विनियम, 2021 जो दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आर-11011/1/2021-स्था. में प्रकाशित हुए थे।
- (7) उपरोक्त (6) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7464/17/22]

- (8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 26 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का. आ. 3194(अ) जो 14 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजमार्ग/विमानपत्तन/पोत/तापीय परियोजना की कतिपय श्रेणी में छूट दी गई है।
- (दो) का. आ. 3250(अ) जो 20 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वितीयक धातुकार्मिक प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आने वाले इस्पात पुनःरोलिंग प्रचालनों के बारे में है।
- (तीन) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध (संशोधन) नियम, 2022 जो 16 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 133(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 07 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT7465/17/22]

(9) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का. आ. 1485(अ) जो 22 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में कालेसर राष्ट्रीय पार्क और कालेसर वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (तीन) का. आ. 3100(अ) जो 30 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में भिंडावास वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (चार) का. आ. 3308(अ) जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में खोल ही रैतन वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (पांच) का. आ. 3516(अ) जो 23 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में बीर शिकारगढ़ वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (छह) का. आ. 68(अ) जो 10 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में खापरवास वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (सात) का. आ. 436(अ) जो 14 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में छिछला वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (आठ) का. आ. 1911(अ) जो 01 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में असोला भाटी वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

- (नौ) का. आ. 838(अ) जो 16 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में दरांगघाटी वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (दस) का. आ. 1813(अ) जो 07 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में मजथल वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (ग्यारह) का. आ. 1858(अ) जो 08 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला वॉटर कैचमेंट वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (बारह) का. आ. 2404(अ) जो 28 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में रक्षम-चितकुल वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (तेरह) का. आ. 3193(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में सेचू तुआन नाला वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (चौदह) का. आ. 3710(अ) जो 22 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में तालरा वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (पंद्रह) का. आ. 277(अ) जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में इंदरकिला वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

- (सोलह) का. आ. 2774(अ) जो 01 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में उडवा झील पक्षी पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (सत्रह) का. आ. 2775(अ) जो 01 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में हजारीबाग वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (अठारह) का. आ. 2795(अ) जो 05 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में पारसनाथ वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (उन्नीस) का. आ. 2796(अ) जो 05 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में गौतम बुद्ध वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (बीस) का. आ. 2895(अ) जो 09 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में कोडरमा वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (इक्कीस) का. आ. 2896(अ) जो 09 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में लवालौंग वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।
- (बाईस) का. आ. 2897(अ) जो 09 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में पालकोट वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(तेईस) का. आ. 2898(अ) जो 09 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में पलामु वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(चौबीस) का. आ. 3871(अ) जो 29 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य में जसरोटा वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(पच्चीस) का. आ. 3528(अ) जो 27 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में दरोजी भालू पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(छब्बीस) का. आ. 2996(अ) जो 12 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नई दिल्ली राज्य में असोला भाटी पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT7466/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7467/17/22]

- (3) मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

पंद्रहवीं लोक सभा			
1.	विवरण सं. 37		पांचवां सत्र, 2010
		[Placed in Library, See No. LT7468/17/22]	
सोलहवीं लोक सभा			
2.	विवरण सं. 17		तेरहवां सत्र, 2017-18
		[Placed in Library, See No. LT7469/17/22]	
सत्रहवीं लोक सभा			
3.	विवरण सं. 15		पहला सत्र, 2019
4.	विवरण सं. 11		तीसरा सत्र, 2020
5.	विवरण सं. 10		पांचवां सत्र, 2021
6.	विवरण सं. 9		छठा सत्र, 2021
7.	विवरण सं. 3		सातवां सत्र, 2021
8.	विवरण सं. 3		आठवां सत्र, 2022

[Placed in Library, See No. LT7470/17/22]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) (एक) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
 - (दो) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
 - (तीन) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7471/17/22]

- (3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7472/17/22]

- (4) वर्ष 2021-2022 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा बाजार उधारियों के विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7473/17/22]

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/77 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/78 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/79 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/80 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 27 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/82 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसरसंचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 04 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/83 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक निवेश योजनाएं) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 10 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/84 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/81 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT7474/17/22]

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2809(अ) जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर में न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में अभिविहित किए जाने में संशोधन के बारे में है।

(दो) का.आ. 2810(अ) जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लेह जिले और कारगिल जिले में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, लेह और कारगिल को विशेष न्यायालयों के रूप में अभिविहित किए के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT7475/17/22]

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 22 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/76 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7476/17/22]

(8) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2022 जो 05 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 399(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2022 जो 08 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 524(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT7477/17/22]

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) अधिसूचना संख्या 16/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 11 मार्च, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का.आ.1166(अ) जो 15 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ वेल्यू के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) अधिसूचना संख्या 18/2022-सी.शु.(एन.टी.) 17 मार्च, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) का.आ.1547(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) अधिसूचना संख्या 32/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 7 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का.आ.1824(अ) जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) अधिसूचना संख्या 34/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 21 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) अधिसूचना संख्या 36/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 28 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) का.आ.2030(अ) जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) अधिसूचना संख्या 38/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 29 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय

मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या 40/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 05 मई, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ.2228(अ) जो 13 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ वेल्यू के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) अधिसूचना संख्या 42/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 18 मई, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) अधिसूचना संख्या 43/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 19 मई, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ.2495(अ) जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) अधिसूचना संख्या 49/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 02 जून, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सत्रह) का.आ.2755(अ) जो 15 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) अधिसूचना संख्या 51/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 16 जून, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) अधिसूचना संख्या 53/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 28 जून, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) अधिसूचना संख्या 54/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 29 जून, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) का.आ.2960(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) अधिसूचना संख्या 58/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 07 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तेईस) कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 485(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) नियंत्रित डिलीवरी (सीमा शुल्क) विनियम, 2022 जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 540(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) डाक द्वारा निर्यात विनियम, 2018 जो 04 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 525(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छब्बीस) बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित वस्तुएं) प्रवर्तन संशोधन नियम, 2018 जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 581(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्ताईस) का.आ. 582(अ) जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या 51/2010- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठ्ठाईस) सा.का.नि.572(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017- सी.शु. को संशोधित करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक की डीईसी टेबलेट से संबंधित आयातों और पेट्रोलियम प्रचालनों से संबंधित वस्तुओं पर आईजीएसटी दरों की सिफारिशों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतीस) सा.का.नि. 573(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 06 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 19/2019- सी.शु. को संशोधित करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक की विनिर्दिष्ट रक्षा बलों के आयातों पर बीसीडी संबंधी छूट और आयात संबंधी पर आईजीएसटी दरों की सिफारिशों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीस) सा.का.नि. 574(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 51/96- सी.शु. को संशोधित करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक की सिफारिशों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकतीस) सा.का.नि. 587(अ) जो 20 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या 22/2022- सी.शु. को और संशोधित करना है ताकि टीआरक्यू धारकों को भारत-यूई सीईपीए की टीआरक्यू प्रणाली के अंतर्गत आईआईबीएक्स के जरिए स्वर्ण आयात में सक्षम बनाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बत्तीस) सा.का.नि. 598(अ) जो 23 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 13 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 49/2021- सी.शु. को संशोधित करना है ताकि दाल (मसूर) पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) की वर्तमान शून्य दर को 31 मार्च, 2023 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (10) उपर्युक्त (9) की मद सं. (एक) से (चार), (छब्बीस) और (सत्ताईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7478/17/22]

- (11) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सीमाशुल्क टैरिफ (भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2022 जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 329(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2022 जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 373(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2018 जो 19 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 177(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सीमाशुल्क टैरिफ (कम विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ प्राथमिकता योजना के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2015 जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 179(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2011 जो 1 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 594(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (12) उपर्युक्त (11) की मद सं. (3) से (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7479/17/22]

- (13) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 550(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 13/2017-केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित

करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 553(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 556(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 559(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 5/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 562(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. 2/2022-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 565(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-केंद्रीय कर

(दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 568(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 10/2019-केंद्रीय कर को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 569(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 14/2019-केंद्रीय कर को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT7480/17/22]

(14) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 551(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 554(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत

कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (तीन) सा.का.नि. 557(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 3/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सा.का.नि. 560(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 5/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) सा.का.नि. 563(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. 2/2022-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छह) सा.का.नि. 566(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 47/2017-एकीकृत कर (दर) को निरस्त करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT7481/17/22]

(15) संघ-राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 552(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) सा.का.नि. 555(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) सा.का.नि. 558(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 3/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सा.का.नि. 561(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 5/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (पांच) सा.का.नि. 564(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. 2/2022-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 567(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को निरस्त करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 570(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 2/2019-संघ-राज्यक्षेत्र कर को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 571(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT7482/17/22]

- (16) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 579(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017 को संशोधित करना है ताकि उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तारीख के अंत तक क्षेत्रीय संयोजकता योजनाओं (आरसीएस) के कतिपय विनिर्दिष्ट मार्गों के लिए प्रचालकों और कार्गो प्रचालकों द्वारा लिए गए एटीएफ पर उत्पाद शुल्क की छूट दर को विस्तारित किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT7483/17/22]

- (17) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-2022 के अंत में बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की अर्द्धवार्षिक समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7484/17/22]

- (18) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ-राज्यक्षेत्र वित्त संबंधी जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 2) ।

[Placed in Library, See No. LT7485/17/22]

- (दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 5) (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर) राजस्व विभाग ।

[Placed in Library, See No. LT7486/17/22]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 6) (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)-रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT7487/17/22]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 15) (अनुपालन लेखापरीक्षा) – वित्त और संचार।

[Placed in Library, See No. LT7488/17/22]

(पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (रेल) (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 16) –भारतीय रेल में अवशिष्ट प्रबंधन का निष्पादन लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT7489/17/22]

(छह) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (सिविल) (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 17) –सीजीएचएस में दवाओं का क्रय और आपूर्ति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का निष्पादन लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT7490/17/22]

(सात) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (सिविल) (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 10) (निष्पादन लेखापरीक्षा)– स्मारकों और पुरावशेषों का परिरक्षण और संरक्षण, संस्कृति मंत्रालय की निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई।

[Placed in Library, See No. LT7491/17/22]

(आठ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 4) (निष्पादन लेखापरीक्षा)-तटीय पारितंत्रों का संरक्षण, पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की निष्पादन लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT7492/17/22]

(नौ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 12) (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)- दातव्य न्यास और संस्थानों को छूट संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT7493/17/22]

(दस) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2019-2020 के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 18) – राजवित्तीय और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 का अनुपालन, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

[Placed in Library, See No. LT7494/17/22]

(19) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र सरकार-वर्ष 2020-2021 के लिए विनियोग लेखे।

(दो) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र सरकार-वर्ष 2020-2021 के लिए वित्त लेखे
(खण्ड-एक)।

(तीन) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र सरकार-वर्ष 2020-2021 के लिए वित्त लेखे
(खण्ड-दो)।

[Placed in Library, See No. LT7495/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्रीमती मीनाक्षी लेखी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7496/17/22]

- (3) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7497/17/22]

- (5) (एक) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7498/17/22]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

- (1) (एक) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवपलमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवपलमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7499/17/22]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

- (1) (एक) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7500/17/22]

- (3) (एक) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7501/17/22]

(5) (एक) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (समग्र शिक्षा), लखनऊ के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (समग्र शिक्षा), लखनऊ के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7502/17/22]

(7) (एक) समग्र शिक्षा – दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, सिलवासा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा – दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, सिलवासा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7503/17/22]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धारवाड़, हुबली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धारवाड़, हुबली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7504/17/22]

- (3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7505/17/22]

- (5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7506/17/22]

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7507/17/22]

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7508/17/22]

- (11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7509/17/22]

- (13) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7510/17/22]

- (15) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7511/17/22]

(17) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7512/17/22]

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7513/17/22]

(21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7514/17/22]

(23) (एक) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7515/17/22]

(25) (एक) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7516/17/22]

- (27) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7517/17/22]

- (29) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7518/17/22]

- (31) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोना हिल्स के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7519/17/22]

- (33) (एक) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7520/17/22]

- (35) (एक) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7521/17/22]

- (37) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7522/17/22]

- (39) (एक) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7523/17/22]

- (41) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7524/17/22]

- (43) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7525/17/22]

(45) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7526/17/22]

(47) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7527/17/22]

(49) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7528/17/22]

- (51) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7529/17/22]

- (53) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7530/17/22]

- (55) (एक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7531/17/22]

(57) (एक) डॉ.बी.आर.अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ.बी.आर.अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7532/17/22]

(59) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT7533/17/22]

- (61) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7534/17/22]

- (63) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7535/17/22]

- (65) (एक) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7536/17/22]

- (67) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित

लेखे ।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7537/17/22]

(69) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7538/17/22]

(71) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2022 जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.1-27/2021 (डीईबी-1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT7539/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working and activities of the State Bank of India, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts under sub-section (4) of Section 40 of the State Bank of India Act, 1955 as amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1985.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Bank of India, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT7540/17/22]

- (2) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 and 1980:-

- (i) Report on the working and activities of the Bank of Maharashtra for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7541/17/22]

- (ii) Report on the working and activities of the Central Bank of India for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7542/17/22]

- (iii) Report on the working and activities of the Indian Overseas Bank for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7543/17/22]

- (iv) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7544/17/22]

- (v) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7545/17/22]

- (vi) Report on the working and activities of the UCO Bank for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7546/17/22]

- (vii) Report on the working and activities of the Bank of Baroda for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7547/17/22]

- (viii) Report on the working and activities of the Canara Bank for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7548/17/22]

- (ix) Report on the working and activities of the Indian Bank for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7549/17/22]

- (x) Report on the working and activities of the Bank of India for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT7550/17/22]

- (xi) Report on the working and activities of the Punjab and Sind Bank for the year 2021-2022, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

- (3) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Banks mentioned at (2) above for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT7551/17/22]

12.03 hrs**MESSAGE FROM RAJYA SABHA**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 4th August, 2022 agreed without any amendment to the Family Courts (Amendment) Bill, 2022 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 26th July, 2022.”

12.03½ hrs**COMMITTEE ON ESTIMATES**

15th to 17th Reports

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): सभापति महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ :

- (1) 'भारत में नागर विमानन क्षेत्र की वृद्धि और देश के विभिन्न भागों में विमानपत्तनों के विकास के लिए मानव पूंजीगत और भौतिक अवसंरचना की आवश्यकता' विषय संबंधी 15वां प्रतिवेदन।
- (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'भारतमाला परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के प्राक्कलन और कार्यकरण' के बारे में प्राक्कलन समिति (17वीं लोक सभा) के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।
- (3) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से संबंधित 'सरकारी व्यय के बेहतर प्रबंधन के लिए हाल के

बजटीय सुधार' के बारे में प्राक्कलन समिति (17वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

12.04 hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

53rd Report

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I have to present the Fifty-third Report (Hindi and English versions) on 'Excess over Voted Grants and Charged Appropriations (2019-20)' of the Public Accounts Committee (2022-23).

12.04¼ hrs

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

8th Report

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to present the Eighth Report (Hindi and English versions) of the Joint Committee on Offices of Profit.

12.04½ hrs

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

14th and 15th Reports

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): सभापति महोदय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं :

- (1) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 10वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

- (2) 'पीएनजी और सीएनजी सहित राष्ट्रीय गैस ग्रिड' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 11वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

12.04^{3/4} hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

Action Taken Reports

श्री रमाकान्त भार्गव (विदिशा): महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22)

के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के 'कोविड प्रबंधन के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरण की उपलब्धता' संबंधी 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।
- (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी समिति के 33वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी समिति के 34वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES,
LAW AND JUSTICE

118th and 119th Reports

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice:

- (1) 118th Report on the Subject 'Review of Guardianship and Adoption Laws'.
- (2) 119th Report of the Action taken on One Hundred Eleventh Report of the Committee on 'Strengthening of grievance redressal mechanism of Government of India'.

12.06 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 40th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprises and Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम, और निवेश तथा लोक आस्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी वित्त संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 7455/17/22.

12.07 hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 294th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on 'Development and Conservation of Museums and Archaeological sites - Challenges and Opportunities' pertaining to the Ministry of Culture^{*}

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 294th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on 'Development and Conservation of Museums and Archaeological sites - Challenges and Opportunities' pertaining to the Ministry of Culture.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 7456/17/22.

12.08½ hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 28th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 19th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 28th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 19th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

12.10 hrs

(iv) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 298th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 288th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Tourism*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट) : महोदय, मैं पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 298वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 7457/17/22 and LT 7458/17/22 respectively.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 21A – Shri Ravneet Singh.

... (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, यह बिल वापस ले लीजिए । हिन्दुस्तान के किसानों की बात है तो आप इसको वापस ले लीजिए । (व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): सर, यह बिल वापस लेना चाहिए ।...(व्यवधान) यह एंटी फार्मर बिल है । ...(व्यवधान)

12.11 hrs

ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL, 2022*

THE MINISTER OF POWER AND MINISTER OF NEW AND RENEWABLE

ENERGY (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Electricity Act, 2003. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Electricity Act, 2003.”

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri N. K. Premachandran.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप सभी बैठ जाइए । कोई आपत्ति है, तो वह विषय रख रहे हैं ।

...(व्यवधान)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2 dated 08/08/2022.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, thank you very much. I rise to oppose this Bill very vehemently under Rule 72 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha on three Constitutional grounds.

First, many of the provisions in the Electricity (Amendment) Bill, 2022 are against the federal structure of the Constitution. ... (*Interruptions*) It is an accepted Constitutional position that the basic features of the fundamental characters of the Constitution shall not be amended or altered, but the federal fabric of the Constitution of the country is being altered by particular States of the Union of India not being taken into consideration. So, the provisions of the Electricity (Amendment) Bill, 2022 is violating the provisions of the federal character of the Constitution. This is the first objection that I would like to raise.

The second objection is that power or electricity is a subject, which comes under the Concurrent List in Item No. 38 of List No. III under Schedule VII of the Constitution. Since it is a subject that is coming within the purview of the Concurrent List, definitely it is the bounden duty or the mandatory obligation on the part of the Government to have an effective consultation with the States and stakeholders also. But unfortunately, no consultation has been done with the States before proposing this legislation. In the year 2001, effective consultation was there at the time of enacting the law.

It was sent to the Standing Committee and effective consultation, deliberation and everything was done, but in this case, unfortunately, no consultation was done with the States. So, we urge upon the Government that

before proposing the legislation, the States of the Union of India should be consulted. This is the second objection that I would like to make.

The third objection is that this is a violation of Article 39 (b) -- the Directive Principles of State Policy of the Constitution. Why am I saying so? The indiscriminate privatisation of the distribution system in power sector by granting licence to multiple agencies to give service in the same area will result in tariff hike, and that will adversely affect the interest of the ordinary consumers as well as the farmers because they are getting power subsidy. The entire distribution network and infrastructure was built up on thousands of crores of rupees spent from the public exchequer. It is our money, but the private companies are being allowed to mint money out of the infrastructure made from public exchequer. ... *(Interruptions)* It is against Article 39 (b) of the Constitution. So, on all these grounds, that is, indiscriminate privatisation, against the federal principles, and power being a Concurrent subject, which is coming under List III, I strongly oppose the introduction of the Electricity (Amendment) Bill, 2022. Thank you very much, Sir.

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Chairperson, Sir, I rise to oppose the introduction of the Electricity (Amendment) Bill, 2022.

Any amendment to an Act of Parliament cannot frustrate the object of the parent Act, especially if it goes against the Statement of Objects and Reasons and the scheme of the parent Act itself. This Bill seeks to amend the Constitution through a statute, and therefore, is beyond the legislative competence of this House.

Secondly, the Object of the Electricity Act, 2003 was to protect the interest of consumers and supply of electricity to all areas. Sections 4, 5, and 6 of the Act create obligations on both the Centre and the States for ensuring supply of electricity to rural areas, and by extension to the poor.

Sir, this amendment Bill substantially weakens the power of the States to achieve this objective by providing for multiple privately-owned distribution companies in the same area to allow them to use the existing infrastructure. I am afraid this will lead to the privatisation of profits and the nationalisation of losses. My penultimate objection to this Bill is that the Bill usurps the rights of the States through an amendment to Section 79 (j). The Centre is empowered to issue a licence to a multi-state distribution company with no consultation with the State. The State Commission's role is drastically reduced even though the responsibility for operation and management stays with the States. My final objection is that the Bill adds that if any State Commission is unable to perform its functions on account of vacancies, the Central Government may, in consultation with the State Governments concerned, entrust its functions to any other State Commission. This is consultation but not consent. The other State Commission may not be aware of the local dynamics of power distribution in the targeted State. This, again, usurps the power of the State. In conclusion, Sir, may I say that the tariff-setting applied within a State has been under the purview of the respective State Commissions, but this amendment Bill appears to give an overriding power to rules prescribed by the Centre when it comes to the State Commission's power to fix the tariff for the retail sale of electricity. The words "prescribed by the Central

Government" occur eight times in the original Act, whereas they occur nine times in the amending Bill. For these reasons, I would like to urge the Government to withdraw this Bill and have a detailed consultation with all the State Governments.

Thank you, Mr. Chairperson, Sir.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I vehemently oppose the introduction of the Electricity (Amendment) Bill, 2022 on behalf of my Party, CPI(M) under rule 72 of the Rules of Procedure on the following grounds.

Sir, the Bill is a proposal for complete centralisation of authority and it is a frontal attack on the federal principle of our Constitution. Many States have strongly protested against this Bill as 'electricity' comes under Article 246 of the Concurrent List, Schedule VII, No. 3 and Item No. 38 in the Constitution. So, it falls purely under the Concurrent List. So, a detailed discussion needs to be held with the stakeholders.

It is against the principle laid down by the hon. Supreme Court on April 11, 2017 in the Energy Watchdog case – Civil Appeal Nos.5399-5400 of 2016. The hon. Supreme Court upheld the role of the State Electricity Boards. I quote from the judgement: "It gives the State enough flexibility to develop their power sector in whatever manner they consider appropriate." Withdrawal of this Bill was one of the main demands of the year-long farmers' struggle. The Government had given a written assurance to the farmers.

HON. CHAIRPERSON: Okay, you have made your point.

ADV. A.M. ARIFF: Hence, I strongly oppose the Bill.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you, Sir. I rise to oppose the introduction of the Electricity (Amendment) Bill, 2022 under rule 72(2) of the Rules of Procedure & Conduct of Business in Lok Sabha. First of all, the Bill clearly violates the principle of cooperative federalism in our country, as has been stated by my colleague also. The Bill puts more power in the hands of the Central Government effectively diluting the powers of the State Government. This goes against the Concurrent List of the Constitution where 'electricity' is a subject in the List.

माननीय सभापति : आपके कुलीग बोल चुके हैं ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ, वह नहीं बोला गया है । ... (व्यवधान) The establishment of a Central Authority like the proposed National Load Despatch Centre rips away the decision-making power of the States.

माननीय सभापति : ठीक है, हो गया ।

श्री टी.आर. बालू जी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, ये क्या हो रहा है?... (व्यवधान)

माननीय सभापति : हो गया आपका ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह अलग मुद्दा है । मुझे बोलने दीजिए । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Manish Tewari has made all the points. Please don't repeat.

... (Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, आपको बुरा लगा हो, तो आप डिलीट कर दीजिए। ... (व्यवधान) अगर मैं कायदे के बाहर हूँ, तो आप उसे डिलीट कर दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

12.20 hrs

At this stage, Prof. Sougata Ray and Shrimati Harsimrat Kaur Badal came and stood on the floor near the Table.

SHRI R.K. SINGH (ARRAH): I have already given a letter to you. ... (Interruptions) I have already given a notice of my intention to move that the Electricity (Amendment) Bill be referred to the Standing Committee for examination. ... (Interruptions) वहां पर डिस्कशन हो ही जाएगा। ... (व्यवधान) ये जो पॉइंट्स उठाए गए हैं, उनका मैं जवाब दे देता हूँ। ... (व्यवधान) लेकिन इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए मैंने आपको नोटिस दे दिया है। ... (व्यवधान) ये ...* में हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं। ... (व्यवधान) स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन हो ही जाएगा। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति जी, यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में जा रहा है। ... (व्यवधान) वहां सारा कन्सलटेशन होगा। ... (व्यवधान) सारे दल स्टैंडिंग कमेटी में रहेंगे।

श्री आर. के. सिंह : स्टैंडिंग कमेटी में सब दलों के प्रतिनिधि हैं। ... (व्यवधान) वहां डिस्कशन हो ही जाएगा। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी ने अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय सभापति : आप सब, प्लीज, अपनी सीट्स पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adhir ji, you are the leader. That is why you should sit.

... (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, क्या हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा? ... (व्यवधान)

12.21 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

At this stage, Prof. Sougata Ray and Shrimati Harsimrat Kaur Badal went back to their seats.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप सब अपनी सीटों पर बैठिए। पहले मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मंत्री जी कह रहे हैं कि हाउस का समय ... * हो जाएगा। ... (व्यवधान)

क्या मंत्री जी को ... * बोलना चाहिए? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कोई भी शब्द बोला गया होगा, तो रिकॉर्ड से निकाल देंगे।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

SHRI R. K. SINGH: Hon. Speaker, Sir, I have already given a notice for my intention to move the motion that the Electricity (Amendment) Bill, 2022, be referred to the Standing Committee on Energy for examination.

My simple submission is that this entire matter will be discussed in the Standing Committee and the Standing Committee has representatives from all the parties. Therefore, my entire point was that we can save the time of the House.

माननीय अध्यक्ष : नो प्रॉब्लम । जब बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का निर्णय कर लिया है, तो वहां डिस्कशन हो जाएगा न?

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध करने के लिए हम लोग नोटिस देते हैं । क्या इसके कोई मायने नहीं होते हैं? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठिए । आज लास्ट दिन है, प्लीज, ऐसे मत कीजिए ।
... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, कमेटी में जाने के बाद भी विरोध करने का मौका नहीं मिलेगा? ...
(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जब भी कभी बिल इंट्रोड्यूस होता है, तो मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं । कभी ऐसा नहीं हुआ, जब आपको पर्याप्त समय न दूं । जब माननीय मंत्री जी इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के लिए मेशन कर रहे हैं, तो उस समय, जब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आप उस रिपोर्ट पर चर्चा कर सकते हैं ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब क्लियर कर दिया न? आप सबकी डिमांड यही थी न ...

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, विरोध करने के कुछ मुद्दे थे । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन साहब, मेरी बात सुनिए । आपका मुद्दा यह था कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजो ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: नहीं सर, हमने इंट्रोडक्शन के समय विरोध किया । ... (व्यवधान) इसके यह मायने न निकाले जाएं कि हम लोग इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग कर रहे हैं । ... (व्यवधान) यह बिल नहीं आना चाहिए, न स्टैंडिंग कमेटी में और न ही सदन में, यही हमारी मांग है । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आपकी बात सुन ली है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, आप भी बोल लीजिए । कोई बात नहीं ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मुझे भी बोलने दीजिए । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने बोल लिया न । आपने मेन बात बोल दी ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: नहीं सर, आपने बोलने का मौका नहीं दिया है । ... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, it is very simple. Even before what we have to say, if the Minister is eager to send it to the Standing Committee, why should he introduce the Bill at all? He should have kept quite for some time.

Sir, 35 years ago, while my late leader, Dr. Kalaingar Karunanidhi, was the Chief Minister of Tamil Nadu, he introduced a free power scheme. More than 22 lakh pump sets were availing free power. Farmers having 14.38 lakh hectares are

enjoying the free power. What will happen to them? What will happen to the poor farmers? We have to get the answer from the hon. Minister. Then only, we can allow that. The same thing should continue. That is why the Bill has to be withdrawn or it has to be sent it to the Standing Committee. There is no problem.

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष जी, तेलंगाना, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, पंजाब की सरकारें इसका विरोध पहले ही कर चुकी हैं और सबसे बड़ी बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा, जिनके साथ सरकार की चर्चा चल रही थी, उस समय इन्होंने वायदा किया था कि यदि कुछ बदलाव या परिवर्तन किया जाएगा, तो संयुक्त मोर्चा के सभी संगठनों से बात करके ही किया जाएगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, यह किसानों के लिए सबसे बड़ा सर्वनाश करने वाला बिल है।...

(व्यवधान) हिंदुस्तान की 27 लाख... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं। सौगत राय जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, on behalf of All India Trinamool Congress, I oppose the introduction of the Electricity (Amendment) Bill, 2022. This is an anti-people Bill. ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कानूनन बात कीजिए। आप इस विषय पर बात कीजिए कि 'क्या सरकार यह बिल ला सकती है या नहीं?' आप कानूनी परिधि में बात कीजिए। आप भाषण मत दीजिए, आपका यह तरीका गलत है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिल को इंट्रोड्यूस करते समय आपका विरोध करने का हक है, तो कानूनी तरीके से आप बात कहिए। आप नियम से चलिए।

... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, this Bill seeks to transfer state-owned power utilities to private hands. This Bill seeks to give several power companies the right to distribute power in the same area. इससे ऐसा होगा कि जैसे मोबाइल फोन... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नियम प्रक्रिया से बात कीजिए ।

... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, one last point. The Government gave in writing to the Samyukt Kisan Morcha on 9th December ...

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आपको भाषण नहीं देना है । आप इस पर बोल सकते हैं कि इस बिल को लाने का अधिकार सरकार को है या नहीं ।

... (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, वकील साहब आप बोलिए ।

... (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: अध्यक्ष जी, मेरा माइक चल रहा है ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं । मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, मैंने आपको भी इजाजत नहीं दी है । आप आपस में डिसकस मत कीजिए । वकील जी, आप बोलिए । आप सदन को बता दीजिए कि बिल इंट्रोड्यूस करते समय क्या नियम है ।

... (व्यवधान)

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Speaker has asked me to give my view on this. The legislative competence of the House is the only criteria for introduction; there is no other criteria. And, once the hon. Minister is saying he is sending it to the Standing Committee, Shri Baalu has also said the same thing, it will go to the Standing Committee. That is the end of the matter.

माननीय अध्यक्ष : किसी भी सदस्य को इस पर बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

12.29 hrs

At this stage, Adv. Dean Kuriakose came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : यदि सौ माननीय सदस्य इंट्रोड्यूज के समय बोलना चाहेंगे, तो क्या सौ लोगों को मौका दिया जा सकता है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं। माननीय सदस्या, मैंने आपको कह दिया है। आप वरिष्ठ सदस्या हैं, मंत्री रही हैं। आप कृपया सीट पर जाएं।

... (व्यवधान)

12.30 hrs

At this stage, Shrimati Harsimrat Kaur Badal came and stood on the floor near the Table.

श्री आर. के. सिंह: अध्यक्ष जी, मैं दो-तीन बिंदुओं पर बोलना चाहता हूँ और यह आवश्यक भी है कि बोला जाए ताकि जो फाल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसका मैं प्रतिकार करूँ।... (व्यवधान) महोदय, इस बिल में सब्सिडी का कोई विरोध नहीं है। जो किसानों को फ्री बिजली मिलती थी, वह मिलती रहेगी।... (व्यवधान) इस बिल में सब्सिडी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। जो कह रहे हैं कि एक क्षेत्र

में मल्टीपल लाइसेंसेज का प्रावधान है, यह पहले से वर्ष 2003 के लॉ में है। ये जान-बूझकर यहां गलतबयानी कर रहे हैं ताकि ये पब्लिक को गुमराह कर सकें।... (व्यवधान)

यह इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सही नहीं है।... (व्यवधान) हमने हर राज्य से कंसल्ट किया है, स्टोक होल्डर से कंसल्ट किया है। यह बिल प्रो-पीपल है, यह बिल लोगों के हक में, किसानों के हक में है।... (व्यवधान) यह बिल पॉवर सिस्टम के हक में है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विद्युत अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डिविजन सीट से मांगा जाता है। आप अपनी सीट पर जाएं।

... (व्यवधान)

SHRI R.K. SINGH: Sir, I introduce the Bill.

... (*Interruptions*)

SHRI R.K. SINGH: I pray that this be referred to a Standing Committee for examination. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती जसकौर मीना जी ।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): महोदय, राजस्थान में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों को देखिए ।... (व्यवधान) माननीय श्रीमती रंजीता कोली जी भरतपुर से सांसद हैं ।... (व्यवधान) जिनके ऊपर चौथा अटैक हुआ है ।... (व्यवधान) उनके ऊपर चौथी बार अटैक हुआ है ।... (व्यवधान) बार-बार खनन माफियाओं का अटैक वे झेल रही हैं ।... (व्यवधान) अब उनकी जान को भी खतरा है ।... (व्यवधान)

12.31 hrs

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार को, जिसमें महिलाओं के प्रति इतने अत्याचार हुए हैं ।... (व्यवधान) वहाँ बेटियों की सुरक्षा नहीं है ।... (व्यवधान) महिलाओं की सुरक्षा नहीं है ।... (व्यवधान) जिस प्रांत में माननीय संसद सदस्य की सुरक्षा नहीं है ।... (व्यवधान) दलित परिवार से आने वाली उस महिला के प्रति, हमारी सांसद बहन के प्रति जो अत्याचार हो रहा है ।... (व्यवधान) हमें न्याय चाहिए ।... (व्यवधान) राजस्थान की सरकार जिस तरह से अन्याय कर रही है ।... (व्यवधान) राजस्थान की सरकार अन्याय कर रही है ।... (व्यवधान) यह उनके ऊपर चौथा अटैक है ।... (व्यवधान) यह उस महिला सांसद पर चौथा अटैक है ।... (व्यवधान) जब राजस्थान सरकार सांसद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो वह महिलाओं की सुरक्षा कैसे कर सकती है? ... (व्यवधान) उनकी गाड़ी को तोड़ा गया और उनके ऊपर प्रहार किया गया ।... (व्यवधान) उनकी जान को खतरा है ।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): यह बड़ा मुद्दा है ।... (व्यवधान) वे हमारी सांसद हैं ।... (व्यवधान)

श्रीमती जसकौर मीना: महोदय, इसका संज्ञान लिया जाए कि राजस्थान की सरकार बेटियों और महिलाओं के प्रति कितनी असंवेदनशील है ।... (व्यवधान) इसका न्याय होना चाहिए ।... (व्यवधान) कांग्रेस की सरकार..... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी बात ध्यान में आ गई है । आपकी बात रजिस्टर हो गई है ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने कह दिया है। आपका विषय आ गया है। अब आप कृपया बैठ जाइए। अब आप जीरो ऑवर को आगे चलने दीजिए। जीरो ऑवर में बहुत महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्य प्रस्तुत करते हैं।

डॉ. संजीव कुमार शिंगरी जी।

श्री जुगल किशोर शर्मा जी।

... (व्यवधान)

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका दिया है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र और विधान सभा विजयपुर की तरफ ले जाना चाहता हूँ।... (व्यवधान) यहाँ से रेल लाइन जा रही है और आजकल 25-30 से लेकर 40 रेलगाड़ियाँ रोजाना चल रही हैं।... (व्यवधान) यहाँ रोड ओवर ब्रिज की जरूरत है।... (व्यवधान) गुड़ा सलाथिया, पुरमंडल, उत्तर बहिनी, नगरोटा और विजयपुर क्षेत्र के लोगों के लिए रोड ओवर ब्रिज की आवश्यकता है।... (व्यवधान) यह विजयपुर स्थित है।... (व्यवधान) यहाँ रेलवे लाइन के ऊपर रोड ओवर ब्रिज चाहिए ताकि सैंकड़ों गाड़ियाँ जो घंटों तक खड़ी रहती हैं, वे न खड़ी रहें और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि रोड ओवर ब्रिज गुड़ा सलाथिया और... (व्यवधान) राह्य सूचानी... (व्यवधान) में बनाया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो।... (व्यवधान) धन्यवाद।... (व्यवधान)

12.33 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.

KUMARI CHANDRANI MURMU (KEONJHAR): Thank you, Chairperson, Sir. Public hearing plays an important part towards development of local areas where

industries and mines are located or are about to be set up to address environmental issue. People have their own concerns especially when business and environment become the point of contention. Health and wealth are directly associated with environment.

12.34 hrs

*At this stage, Shrimati Harsimrat Kaur Badal
went back to her seat.*

KUMARI CHANDRANI MURMU: It is necessary to inform you that my parliamentary constituency, Keonjhar, Odisha is enriched with natural resources like iron ore, manganese ore and others having a tribal density where tribals are surviving with a lot of difficulties for their livelihood even after 75 years of Independence.

All the big corporates like Tata, Jindal Steel & Power Limited, JSW, ArcelorMittal, Rungta Group and many more have their remarkable presence in my parliamentary constituency by means of their mining operation and mineral based industries. I feel proud by representing such a constituency.

But simultaneously, I have much more concern about forest and environment of my locality along with the health of my people. Many a time, I have received grievances from my people, mostly from my dear tribals regarding forest, environment and health issues. Ignorance of such issues by the damagers is a major point which is really to be considered.

However, public hearings linked with such issues sound baseless if you analyse the current environment of my locality.

Sir, I would like to draw the attention of the esteemed Ministry to public hearings that took place during the extreme situation of COVID-19. In my constituency, ignoring the public interests, such events were arranged very irregularly.

Sir, my point is that during such public hearings, I, as a representative, am not allowed to participate. Public representatives can be the voice of local people, especially tribals. However, they are not valued in such public hearings meant to preserve forests, environment, and local interests. Public, many a time, look to their elected representatives for support or for leading them during such hearings. If local elected representatives are not allowed to participate in such proceedings, who else are entitled to participate?

HON. CHAIRPERSON: What is your demand?

KUMARI CHANDRANI MURMU: It is really sad that a system has been developed to keep the public representatives at bay and at the same time allow various other stakeholders to participate. At times, they allegedly arm-twist the public for their self-gain. Therefore, I urge upon the hon. Minister for Environment, Forest and Climate Change to look into the matter and make necessary changes so that public representatives like me, Members of Parliament, can take part in public hearings.

श्री राहुल कस्वां (चुरु): सभापति महोदय, बीते हुए चार-पांच सालों से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का एक बेहतरीन फायदा मेरे लोक सभा क्षेत्र को मिला है। मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरु के अंदर हनुमानगढ़ जिले में तीन तहसील लगती हैं- नोहर, भादरा और रावतसर। इन तीनों तहसीलों के ऊपर जो इंश्योरेंस कम्पनी है, वह एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी है, जो बीमे का काम देखती है। पिछले साल

2021 में जो खरीफ का बीमा कटा था, बीमा कटने के पश्चात इंश्योरेंस कम्पनी ने राजस्थान सरकार के समक्ष क्रॉप कटिंग के इश्यु को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई।

सभापति महोदय, क्रॉप कटिंग की जो व्यवस्था है, उस क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट पर पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक, बीमा कम्पनी का अधिकारी और एक किसान के सिग्नेचर होते हैं। उसी के आधार पर किसान को क्लेम मिलता है।... (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं दो मिनट का समय लेना चाहूंगा। इश्यु इस बात का है कि मेरे पूरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर और हनुमानगढ़ जिले के नोहर, भादरा और रावतसर में स्पेशली क्रॉप कटिंग का काम किया गया। फिर भी इंश्योरेंस कम्पनी ने राजस्थान सरकार के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई और अचंभे की बात यह है कि राजस्थान सरकार की जो स्टेट लेवल टेक्नीकल असेसमेंट कमेटी है, उस कमेटी ने उस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है। जब बीमा कम्पनी के अधिकारियों के द्वारा क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट में सिग्नेचर किए हुए थे, उसके बावजूद भी उस कमेटी के द्वारा उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। राजस्थान सरकार की कमेटी ने और उनके प्रशासन के अधिकारियों ने भारत सरकार को सैटेलाइट के आंकड़े मांगने के लिए पत्र लिखा। एक तरफ तो राजस्थान सरकार के पदाधिकारीगण भारत सरकार से आंकड़े मांगते हैं और दूसरी तरफ वहीं के लोकल विधायक शिकायत दर्ज कराते हैं कि भारत सरकार ने सैटेलाइट के आंकड़े क्यों दिए? पिछली बार खरीफ में किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और आज हम वर्ष 2022 की खरीफ की फसल के समय खड़े हैं। पिछली बार का क्लेम आज तक मिला नहीं। मेरा आपके मार्फत अनुरोध है कि भारत सरकार राजस्थान सरकार को यह लिखकर भेजे कि स्टैक (STAC) की कमेटी के अंदर पहले इस बार सुनिश्चित किया जाए कि कितने पटवार मंडलों में क्रॉप कटिंग के अंदर इंश्योरेंस कम्पनी के सिग्नेचर हुए हैं। अगर सिग्नेचर हुए हैं तो किसानों को सैटेलाइट के आंकड़ों के आधार पर बीमा न दिया जाए, सिर्फ क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम दिया जाए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद।

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): I would like to raise a very important issue, pertaining to my constituency, regarding public transport system.

Sir, public transport to Lakshadweep is only through ship. We had seven ships operating from Kochi to Lakshadweep. For the last one year, only three ships are being operated. When seven ships were operating, about 2,300 passengers used to travel from Kochi to various islands of Lakshadweep. When the number was reduced to one ship, in the last six months only 400 passengers could travel from Kochi to Lakshadweep or *vice versa*.

You can understand the agony and hardship that people are facing due to the shortage of passenger ships. The shortage of passenger ships can be attributed to a number of reasons. Initially, the administration did not sanction any fund for the maintenance of ships. Later, when the fund was sanctioned, there was an issue with regard to docking. Till now, we are left with only three ships which connect our island with the mainland. Students, who have to travel for their studies, or patients, who have to travel for getting treatment, are all in great distress.

Hon. Chairperson, Sir, this is not my point exactly. Considering the aspect of transportation and cargo movement, the Ministry of Shipping, Shipping Corporation of India, Ministry of Home Affairs, and Lakshadweep Administration combinedly made a prospective plan for fifteen years, that is, a futuristic plan, including the tourism demand also. Accordingly, six new passenger ships and six new cargo ships in place of the old ones, were proposed. If that goes well, by 2022, we should have, in place, 500 capacity passenger ships which were tendered by the Shipping Corporation of India.

But now, this is the situation. After the new Administrator has joined in, the prospective plan, which was formed by the entire committee, was thrown away. He has not followed the prospective plan. By then, ships which were proposed to come to Lakshadweep, are now on a halt. I do not know what is the present status of the prospective plan.

Therefore, I would like to know from the Government, especially from the Ministry of Home Affairs, what is the present status of the prospective plan from 2015 to 2030. Thank you so much.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Chairperson, Sir, the hon. Chief Minister of West Bengal met the hon. Prime Minister on 6th of August and she submitted a memorandum with a demand of rupees one lakh crore plus, which is yet to be received by the State Government from the Centre.

I would like to request the Government of India to, at least, release fifty per cent of the amount which is due, and the remaining fifty per cent of the amount be released at the end of this year.

Hon. Chairperson, Sir, we apprehend that there is an attempt to block the economy of the State of West Bengal in a very rude manner. We protest that. We request the Government of India to strengthen the federal structure of the country. We also request that the dues of the Government of the West Bengal be released at the earliest possible time as prayed by the hon. Chief Minister to the hon. Prime Minister. Thank you.

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Hon. Chairperson, Sir, millions of Indian citizens living in rural areas do not have access to education and job

opportunities because of the digital divide and digital illiteracy in the country. The Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan scheme was rolled out in 2017 to usher in digital literacy in rural India. The scheme was expected to make six crore rural households, that is, one person per household digitally literate by 2019. Although steps were taken to adequately implement the scheme, this goal was not met by 2019. In the Budget of 2022-23, allocation to this scheme has been decreased by 16.67 per cent as compared to the revised and budget estimates for the year 2021-22. This decrease in the Budget is especially alarming as being digitally literate is of utmost importance in the current tech-savvy times.

As per ITU's World Telecom database, only 43 per cent of the population in India uses internet. There are 58 per cent male internet users and 42 per cent female internet users. The National Family Health Survey (2019-21) shows a significantly larger gender gap in internet usage. The NFHS Report suggests that only 57.1 per cent of the male population and 33.3 per cent of the female population had ever used the internet. This is a matter of great concern as inability to use computers and electronic devices was one of the causes of high dropout rates amongst girls during the pandemic.

I urge upon the Government to scale up digital literacy programmes so as to bridge the digital divide between rural and urban India.

Thank you, Sir.

12.44 hrs

HON. CHAIRPERSON: Now, Item No. 21A, Shri Ravneet Singh Ji.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS
FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

Minutes

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay on the Table the minutes (Hindi and English versions) of the Seventh and Eighth sittings of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House held on 04.04.2022 and 03.08.2022 respectively.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Adhir Ranjan Chowdhury Ji,

***SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):** Hon. Chairman, Sir, I am a public representative from the Murshidabad district of West Bengal. The Government of West Bengal has recently decided that 7 new districts would be carved out in the State. I have no objection to the creation of new districts.

As newer States are created in the country, new districts can also be created, its natural. At present, there are 773 districts in the country. But people of my district Murshidabad, and the adjoining district Nadia, are being emotional, because Murshidabad is a historical district and Nadia is also a historical place. This Murshidabad was once the combined capital of Bengal, Bihar, Odisha. It was named after Nawab Murshid Kuli Khan. This district was created in the year 1706 and after 1790, the capital was shifted out by the Britishers.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

Once Robert Clive had commented that Murshidabad was as rich and popular as London. The adjoining district of Nadia was regarded as the Oxford of East India and Asia. Sri Chaitanya Mahaprabhu was born there. So, the people of the region want that they should not be robbed off their history. There can be ten districts, but the names of Murshidabad and Nadia should not be erased. History of Murshidabad, culture of Murshidabad, emotions of the people of Murshidabad, traditions of Murshidabad must be respected.

Through this august House, I urge upon the Government of West Bengal to never change the nomenclature of Murshidabad and Nadia. Murshidabad district has been recognized as a treasure trove of history, archaeologically, culturally, politically, economically. Sir, my only submission is that Murshidabad can be divided into East-West-North-South Murshidabad but the name of Murshidabad must be retained.

HON. CHAIRPERSON: You please do not reply.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There cannot be any debate like this.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : राम्या हरिदास जी ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दादा, ऐसे नहीं हो सकता है ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : राम्या हरिदास जी, आप बोलिए ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: केवल राम्या हरिदास जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

... (व्यवधान)... *

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हमारी बात पूरी नहीं हुई।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दादा, आपकी बात पूरी हो गई। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Sir, I want to mention about a very serious issue here.

It is unfortunate and wrong stance to regulate MNREGS working days. It is stated that the Central Government has issued a new rule stating that the Gram Panchayat can undertake 20 work projects in a day. But in Kerala, there are more than 20 wards in several Panchayats. So, workers from some wards are compelled to stay away from work. So, they will not get 100 working days in a year. We all know that the UPA Government implemented this scheme to eradicate poverty and several families depend on MGNREGS for their livelihoods.

A new order which had been issued by the Central Government will affect local self-Government bodies also. So, the Government should repeal this order immediately and reinstate the status quo.

श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदय, पूर्व मध्य रेलवे के दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अन्तर्गत ट्रेन नं. 18635, सासाराम-राँची इन्टरसिटी एक्सप्रेस, सासाराम से चलकर डिहरी-ऑप-सोन, सोननगर, अकोढ़ा, नवीनगर होते हुए झारखण्ड में गढ़वा, पलामू होते हुए राँची को जाती है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवीनगर स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। वहाँ एन.टी.पी.सी. के बी.आर.बी.सी.एल. के दो-दो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। वहाँ से हजारों की संख्या में

* Not recorded.

पदाधिकारी, कर्मचारी सासाराम, डिहरी और पलामू को जाते हैं, लेकिन इन्टरसिटी एक्सप्रेस के वहां ठहराव न होने के चलते वहां के लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जबकि सासाराम के बाद बिहार के किसी भी स्टेशन पर वह ट्रेन नहीं रुकती है। जब वह ट्रेन सासाराम से चलती है तो सीधे झारखण्ड के कई स्टेशनों पर रुकती है, लेकिन नवीनगर स्टेशन, जो बिहार का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, वहां पर इन्टरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं हो रहा है।

अतः आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि ट्रेन नं. 18635, सासाराम-राँची इन्टरसिटी एक्सप्रेस का नवीनगर स्टेशन पर ठहराव किया जाए। डिहरी रेलवे स्टेशन उस मंडल में सबसे ज्यादा राजस्व देता है। डिहरी स्टेशन पर ट्रेनों का बहुत कम ठहराव होता है, जिसके चलते वहां बहुत भीड़ लगी रहती है, इसलिए अन्य ट्रेनों का भी डिहरी स्टेशन पर ठहराव किया जाए।

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to raise an important matter during the Zero Hour. This is regarding the New Education Policy. I would like to bring to the notice of the hon. Education Minister that recently the Government of India has come up with a proposal to merge some primary education schools with secondary education schools. It is, in fact, a good scheme, but in the process of its implementation, some of the States, for example in my own State of Andhra Pradesh around 5,980 schools were planned to be moved away from the rural areas to the nearby areas which would be around 8 to 10 kilometers distant from their present locations and consequently there has been a dropout of around 11 lakh students in rural areas. Recently, the High Court of Andhra Pradesh has also made an observation that it appears that it is against the principle of Right to Education and such an action is likely to affect a lot of students belonging to the

OBC, SC and ST communities who cannot afford to go to private schools and are solely dependent on those schools for their education.

So, I would like to appeal to the Government to have a discussion with the States so that neither the number of schools are reduced, nor the number of teachers is reduced. This is my humble request to the hon. Education Minister.

माननीय सभापति: श्री संजय काका पाटील – उपस्थित नहीं।

श्री छेदी पासवान (सासाराम): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

महोदय, इसका विषय सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान शीघ्र कराने के संबंध है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया को संचालित करने के लिए केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 1978 में लाइसेंस मिला था। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी सहित अन्य सोसायटीज की ओर से मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम सहित देश भर में अपने एजेंट रखकर स्कीम के नाम पर पैसे जमा कराते थे। इसके बदले में मियाद पूरी होने के बाद ब्याज सहित रकम को वापस लौटाने का वादा किया जाता था। आम जनता को स्कीम से जोड़ने के लिए इन सोसायटीज ने ऐसी स्कीम रखीं, जिसमें गरीब लोग भी अपनी बचत के पैसे जमा कर सकते थे, जैसे प्रतिदिन 10 रुपये जमा कराने आदि। उनके स्कीम में दुकानदार, ठेलेवाले, सब्जीवाले, ऑटो चलाने वाले तथा भोले-भाले किसान आदि को टारगेट किया जाता था। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा आम लोगों को अधिक ब्याज और बचत का लाभ देकर उनसे निवेश करवाया जाता था। सहारा इंडिया द्वारा लूटे गए निवेशकर्ता आज भुखमरी की कगार पर हैं। गरीबों का सारा सपना टूट गया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एवं बच्चों की पढ़ाई का सपना मन में रखा था। अतः सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि सहारा इंडिया में लोगों द्वारा जमा की गई राशि की भुगतान शीघ्र कराने की कृपा की जाए।

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity. I would like to draw the attention of this august House to the catastrophe faced by the people of Kerala due to attacks from stray dogs.

The cases of stray dogs are increasing in the State of Kerala and due to that sufferings of the people are also increasing. It has created a panic amongst the people, especially amongst the pedestrians, people moving on two-wheelers and school going children. The stray dogs are roaming in public places, including at the railway platforms, bus waiting shelters. The situation is further compounded by the fact that a considerable number of stray dogs are infected by Rabies. Owing to this alarming situation, people are compelled to take Rabies injection for bites even from pet dogs.

Sir, I hereby join the families and relatives of the victims of violence from stray dogs including a little child, Muhammad Razan alias Rifu, of Chelembra locality belonging to my constituency who was attacked by stray dogs in front of his own house on the road and who succumbed to death after being hospitalised for a few days.

HON. CHAIRPERSON: What do you expect from the Government?

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, it is a national issue. A lady named Sheela aged 52 years of Kandanacherry, Thrissur district..... (*Interruptions*) The local bodies are struggling to save the people from stray dogs. They have passed unanimous resolutions and are trying to sterilise the stray dogs but the Central Animal Welfare Board is not giving ABC licence..... (*Interruptions*)

***SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD):** Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity to raise an important issue related to the farmers of my Dharashiv Lok Sabha constituency. Sir, during last 15 days, in Barshi and Ausa legislative assembly constituencies and in my Dharashiv District too, we have been witnessing a heavy rainfall and it has incurred heavy losses to the farmers. In addition to this, the standing crops are infected with many insects and worms. Soyabean crop has also got infected with Yellow Mosaic virus and that is why the farmers are compelled to destroy their crops themselves. Due to this, the farmers are in distress.

Chairman sir, I want to remind you that this is an aspirational district having maximum number of farmers suicide cases. The central team which came to take stock of the situation went to the districts like Nanded and Nagpur. But they did not visit my Lok Sabha constituency and undertook a survey to evaluate the losses.

Hence, I request the central government to send their team to undertake a survey to assess the damage caused to the crops due to heavy rains in my Dharashiv District too and also provide substantial help to the needy and distressed farmers.

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अण्णा भाऊ साठे जी मराठा साहित्य जगत के एक श्रेष्ठ रचनाकार थे। उनका जन्म 1 अगस्त, 1920 में मेरे संसदीय क्षेत्र हातकणंगले में, सांगली जिले के वाटेगांव में हुआ।

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

मैं यह कहना चाहूंगा कि वे एक छोटे से दलित परिवार से आते थे। वर्ष 2020 में उनकी जन्म शताब्दी हुई। डेढ़ दिन की पाठशाला सीखे हुए अण्णा भाऊ साठे जी ने 30 उपन्यास, 16 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 10 लोक नाट्य अपने जीवन प्रवास में लिखे। उनके उपन्यास पर मराठी फिल्म भी बनी। अण्णा भाऊ साठे द्वारा फकीरा नामक उपन्यास को राष्ट्रीय मान्यता मिली और 27 भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका पवाड़ा प्रसिद्ध होते ही रूस सरकार ने उसे नोन लेते हुए उनको निमंत्रित किया और रूस में उनके पवाड़े को प्रसिद्धि मिली। दलित साहित्य का एक अच्छा काम उन्होंने उस टाइम में किया, मार्क्सवाद को बढ़ाने का काम किया।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उनके गांव में उनकी स्मृति चिरंतन रहने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक की रचना भी वहां की जाए।...

(व्यवधान)

माननीय सभापति: अगर आपको सम्बद्ध करना है तो स्लिप भेज दीजिए।

13.00 hrs

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, yesterday, in NITI Aayog meeting also, hon. Prime Minister mentioned about doubling the farmer's income and also about adding new technologies in the agriculture sector.

Sir, I come from the backward area of Palnadu which is very famous for chillies and cotton. In the last two years, because of new infestations like thrips, production of chilly crops has been wasted and the farmers have lost almost Rs.80,000 to rupees one lakh.

The whole district of Guntur is a very big agricultural power house. But it does not have a single Krishi Vigyan Kendra. During the last three years, a lot of efforts has been put to set up a Krishi Vigyan Kendra in Palnadu area, especially in Guntur. This Government is saying that a lot of benefits is being given to

agriculture but they are not giving Krishi Vigyan Kendras in private society. The State Government has applied for the same, but they are not sanctioning it.

I had the opportunity to visit Baramati. They have one of the best KVKs there. The amount of work that they are doing with sugarcane farmers there is to be seen to be believed.

This Government is talking about agriculture, doubling the farmers' income etc. So, I request the Government, through you, to sanction one Krishi Vigyan Kendra. The application has been pending with the Government for the last three years. We request the Government to process it as soon as possible and sanction one KVK in Palnadu area.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, बिहार राज्य के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र मधेपुरा के ग्वालपाड़ा प्रखंड में विश्वारी घाट, कोसी नदी पर स्थानीय जनता द्वारा विगत कई वर्षों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है। जबकि पुल का सर्वेक्षण किया जा चुका है और वहां पर 6X21.75 मीटर आकार का उच्च स्तरीय पुल की आवश्यकता बताई गई है। यह विश्वारी घाट मधेपुरा और सहरसा जिले की सीमा पर अवस्थित है, जो दोनों जिला के विभिन्न गांवों को जोड़ती है। यहां पर पुल नहीं रहने से आम लोगों को आवागमन में भारी कठिनाई होती है। एनएच-106 ग्वालपाड़ा से विश्वारी घाट तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पथ का निर्माण हुआ, लेकिन उक्त पथ के अंतिम छोर पर नदी में पुल नहीं बनाया गया है। विश्वारी घाट पर पुल बन जाने से सहरसा जिले के लोगों को एनएच-106 पर आने में काफी सुविधा होगी।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि मधेपुरा एवं सहरसा जिले की सीमा पर विश्वारी घाट पर पुल निर्माण कराया जाए।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मैं पलामू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिसके

दोनों जिले पलामू एवं गढ़वा आकांक्षी जिले की श्रेणी में आते हैं। जब से ये अकांक्षी जिले घोषित हुए हैं, निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता बढ़ी है। उपायुक्त एवं विकास उपयुक्तों का प्रखंडों में दौरा हो रहा है, जनता की समस्याएं उनके द्वारा सुनी जा रही हैं। इससे हमारे यहां की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पलायनवाद की है, प्रति वर्ष करीब दो से तीन लाख लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं, जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वहां एक जपला सीमेंट फैक्ट्री थी, जो वर्षों से बंद पड़ी हुई है और उसके खुलने की भी कोई संभावना नहीं है। हालांकि सीमेंट फैक्ट्री दूसरे कंपनियों के द्वारा खोली जा सकती है। चूंकि वहां रॉ मटेरियल है, पानी है, बिजली है और लेबर भी है। इसके अलावा रेलवे के द्वारा एक एक्सेल फैक्ट्री खोली जा सकती है या अन्य मंत्रालयों द्वारा इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पलामू जैसे अत्यंत पिछड़े संसदीय क्षेत्र में किसी प्रकार की फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। धन्यवाद।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं इस सदन में पिछले 13-14 साल से झारखंड में घुसपैठ के बारे में हमेशा मुद्दा उठाता रहा हूं। बांग्लादेश से जुड़े होने के कारण हमारे क्षेत्र में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इसका हिन्दू और मुसलमान से कोई लेना-देना नहीं है। जब वे आते हैं तो हमारे मुसलमान भाइयों का भी रोजगार छीनते हैं।

पूरे इस्लामीकरण के लिए अभी जो नया ट्रेंड चालू हुआ है, मैं तीन-चार प्वाइंट आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं। भोले-भाले आदिवासियों के साथ शादी करके, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके बांग्लादेश के मुसलमान पूरी डिमोग्राफी को चेंज करने पर उतारू हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मेरे बगल के जिले साहबगंज में जिला परिषद् की जो अध्यक्षा बनी हैं, आदिवासी कोटे से हैं। यह सीट शैड्यूल्ड ट्राइब से रिजर्व थी। उनकी शादी मुसलमान से हुई। मैंने एक उदाहरण दिया है, इस तरह के लाखों उदाहरण हैं।

दूसरी बात है, माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना डिजिटल इकोनॉमी का है। यदि आपने ध्यान दिया हो, जामताड़ा सीरियल बना था। देश के जितने साइबर क्राइम होते हैं, सारे साइबर क्रिमिनल उसी संथाल परगना में हैं। उसी जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पापुड़ और साहबगंज में हैं।

तीसरी बात है, यहां बहुत गाय हैं। यदि आप मेरे क्षेत्र के रास्ते में जाएंगे, गोड्डा, देवघर से चलेंगे तो रात में लाखों गायें जाती हुई नजर आएंगी, सब बांग्लादेश जा रही हैं। बालू जा रहा है, गिट्टी जा रही है, सब इल्लीगल है, सब गलत है। ... (व्यवधान)

महोदय, आज से दो दिन पहले मैंने इसी सदन में इस्लामीकरण का मुद्दा उठाया था, जिसे झारखंड सरकार ने माना। वहां सरकारी स्कूल उर्दू हो गया है और रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी होती है। इन चार-पांच मुद्दों के कारण क्षेत्र पूरा अशांत हो गया है क्योंकि इस्लामीकरण बढ़ रहा है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि वहां एनपीआर लागू करें। वहां एनआईए का ऑफिस हो। चूंकि झारखंड सरकार और कांग्रेस मिलकर इन सारी एक्टिविटीज में मदद कर रही है, इसलिए धारा 356 के अंतर्गत झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो। जय हिंद, जय भारत। ... (व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): माननीय सभापति जी, मैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी के ध्यान में एक विषय लाना चाहता हूँ, मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बाला के अंतर्गत पंचकूला जिले के पिंजौर वाया नालागढ़ फोर लेन व पुल तथा सूरजपुर वाया बद्धी पुल बहुत बुरी दशा में है। इस कारण आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। बरसात के दिनों में सड़कों पर गड्ढे होने से जल भराव भी काफी बढ़ जाता है। इस कारण सड़कों पर दुर्घटनाओं का होना स्वाभाविक है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पिंजौर वाया नालागढ़ फोर लेन व पुल तथा सूरजपुर वाया बद्धी पुल का शिलान्यास किया गया था, परंतु अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है।

महोदय, मैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूँ कि बढ़ते हुए ट्रैफिक व आए दिन सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पिंजौर वाया नालागढ़ फोर लेन व पुल तथा सूरजपुर वाया बद्धी पुल का कार्य अतिशीघ्र पूरा किया जाए ताकि लोगों को आने-जाने में आसानी हो और साथ ही ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिल सके।

मैं आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में फोर लेन सड़कों का जाल बिछाया है। धन्यवाद।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Hon. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter related to unemployment and national security in this country.

The Agnipath Scheme was announced by the Government of India on 14th June, 2022, whereby the Indian Armed Forces, namely, the Army, Navy and Air Force will recruit young people from the age of 17.5 years to 21 years as Agniveers for a period of service of four years including six months of training.

Sir, we all know that serving in the Armed Forces demand a longer training to guard the country, and to guard the lives of fellow soldiers and themselves. But, six months of training is inadequate to serve the country efficiently in the

Armed Forces to meet the challenges of the modern battlefield. We are at a juncture where we need to strengthen our Armed Forces by equipping them with technological advancements and professionalism as we are facing severe threats from our neighbouring countries looking at the the recent scenario.

Sir, any move to dilute the efficiency of the Indian Army is compromising on the national security. The Armed Forces of our country namely the Army, Navy and Air Force have been the pride of our nation. Sir, Agnipath and the Agniveers are not going to be an alternative for unemployment. जब नरेन्द्र मोदी जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हर साल दो करोड़ जॉब्स देंगे । This is not a way of satisfying it. ...
(Interruptions) Agniveers are not eligible for allowances like pension, gratuity, healthcare scheme, canteen facilities, departmental store facilities, extended insurance scheme or ex-servicemen status.

Sir, this is a very important issue. The Government of India should withdraw the Agnipath Scheme and provide employment to the unemployed people of this country.... (Interruptions)

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं आज आपके बीच लोक सभा में बैठने वाली मेरी साथी संसद सदस्य रंजीता कोली जी के बारे में बोलना चाहती हूँ । एक महिला सांसद होने के नाते मुझे भी आपको जरूर बताना चाहिए कि कल राजस्थान के भरतपुर में एक घटना घटी, हमारी बहन के ऊपर हमला हुआ है । जो गलत काम कर रहे हैं, उन लोगों को सजा नहीं दी जा रही है । बहन के ऊपर यह चौथी बार हमला किया गया है ।

सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करती हूँ कि वहां पर कांग्रेस की जो सरकार है, वहां के जो सीएम हैं, हमने कायदा बनाया है कि जो बेटियां हैं, उनके ऊपर बलात्कार होगा तो उनको फांसी की सजा होगी, लेकिन राजस्थान के सीएम ने, बेटों के बलात्कारी को फांसी नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने अपना खुद का कानून बनाया है ।

सभापति महोदय, हम आपसे मांग करते हैं कि कल हमारी बहन के ऊपर जो हमला हुआ है, उन हमला करने वालों को सजा होनी चाहिए । जो गलत काम कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए । ऐसी हम सभी महिला सांसद आपसे मांग कर रहे हैं । धन्यवाद । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: हम सभी को संबद्ध कर देते हैं ।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये ।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया ।
Shri Mohammed Faizal P.P.	Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma

	Shrimati Supriya Sadanand Sule
Shrimati Sarmistha Sethi	Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	Shri Kuldeep Rai Sharma
Kumari Ramya Haridas	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Mahabali Singh	Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Chhedi Paswan	Shri Malook Nagar Shri Gopal Shetty Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Dr. M P Abdussamad Samadani	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane	Shri Malook Nagar Shri Shrirang Appa Barne Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Manoj Kotak Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Girish Chandra Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Om Pavan Rajenimbalkar	Shri Malook Nagar

	Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Shrirang Appa Barne Shri Dhairyasheel Sambhajirao mane
Shri Vishnu Dayal Ram	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Nishikant Dubey	Shri Uday Pratap Singh
Shri Rattan Lal Kataria	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Jugal Kishore Sharma	Shri Malook Nagar Shri Uday Pratap Singh Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rahul Kaswan	Shri Malook Nagar Shri Uday Pratap Singh Shri Parvesh Sahib Singh Verma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Raghu Rama Krishna Raju	Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Jaskaur Meena	Shri Malook Nagar Dr. Kirit P. Solanki Shri Uday Pratap Singh
Shri Dinesh Chandra Yadav	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	Shri Kuldeep Rai Sharma

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही दोपहर दो बजकर पंद्रह मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.13 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Fifteen-
Minutes past Fourteen of the Clock.*

14.15 hrs

The Lok Sabha reassembled at Fifteen-Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है एवं जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें।

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to set up a NIFT centre in Chanderi

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): चंदेरी साड़ियों का प्राचीन इतिहास है और महाभारत काल से ही इस ऐतिहासिक नगरी का वर्णन कई ग्रंथों एवं पुराणों में होता आया है। चंदेरी में तीन तरह के फैब्रिक्स तैयार किये जाते हैं-प्योर सिल्क, चंदेरी कॉटन और सिल्क कॉटन। चंदेरी साड़ी को वर्ष 2005 में GI tag भी दिया गया है। चंदेरी साड़ी की भारी मांग के बावजूद भी यहाँ के बुनकरों की हालत चिंताजनक है और कोरोना महामारी के कारण उनके जीवन यापन और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन बुनकरों की प्रगति के लिए सरकार द्वारा कुछ व्यापक कदम उठाने होंगे जिसमें सबसे प्रमुख है कि चंदेरी में NIFT की एक शाखा को स्वीकृति दी जाए जिससे नवीनतम तकनीक और डिज़ाइन के माध्यम से बुनकरों को SKILL DEVELOPMENT और TRAINING दी जा सके और चंदेरी रेशम पर R&D को भी प्रोत्साहन मिले। इसके अतिरिक्त मेरी मांग है की गुना/अशोकनगर में जो रेशम केंद्र बंद किये जा रहे हैं उन्हें यथावत रखा जाए ताकि चंदेरी साड़ियों को कच्चा माल और सरलता से उपलब्ध करवाया जाए। मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है की अशोकनगर के चंदेरी रेशम के विकास और बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए NIFT का केंद्र बनाया जाए और रेशम केंद्रों के rehabilitation के लिए भी प्रावधान किया जाए।

(ii) Regarding opening of new Higher Secondary Schools in Jharsuguda and Bargarh

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Odisha in general and western Odisha, in particular, has been lagging far behind the other States so far as Primary Education, Secondary Education and Higher Education are concerned. My Parliamentary Constituency comprising the districts of Bargarh and Jharsuguda is also educationally backward in the field of Education. The District of Jharsuguda, though more than 25 years old, does not have a single Government College.

Both the districts are also educationally backward so far as the education of girl students and ST and SC students are concerned.

The Ministry of Education is providing financial assistance for the opening of New Higher Secondary Stream/ School during 2022-23 under the Samagra Shiksha Abhiyan across the Country. In this connection, the Ministry of Education has asked the state governments of the Country to send their proposals in pursuance of which the Government of Odisha had sent 57 proposals which have been accepted by the Ministry.

In the entire list of Schools recommended by the state government to the Centre, not a single School of my Parliamentary Constituency finds place.

In this connection, I have made a request to the Hon'ble Chief Minister of Odisha to send proposals from my Parliamentary Constituency. Proposals have been sent to the Dept. of School and Mass Education, government of Odisha from the district of Jharsuguda and Bargarh under my Parliamentary Constituency for opening of New Higher Secondary Schools in AHS Muralipali and Lakhanpur

High School of Lakhanpur block of Jharsuguda. This area is adjoining the Chhattisgarh State where there is practically no facility for higher education and students go to nearby Raigarh district of CG for higher education.

Similarly, proposals have been sent to the state government for the opening of New Higher Secondary School in Panchayat High School, Saranda and Jahnpara High School, both of Attabira Block, C.S High School of Jagalpur of Jharbandh Block, Rusuda High School of Bheden Block, Govt. High School, Panimura of Sohela Block, all of Bargarh district.

Therefore I request the Hon'ble Minister of Education to call for a report from the state government and get those schools approved by the Project Approval Board (PAV) for opening of one new Higher Secondary Schools in Jharsuguda and Bargarh.

**(iii) Regarding construction of building for Kendriya Vidyalaya in Dausa
Parliamentary Constituency, Rajasthan**

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा (राजस्थान) में उच्च माध्यमिक स्तर का केन्द्रीय विद्यालय वर्षों से चल रहा है। विद्यालय के निजी भवन हेतु प्रशासन द्वारा भूमि कई वर्षों (दो वर्ष) से आबंटित की जा चुकी है। भवन निर्माण की प्रक्रिया में विलंब होने से शैक्षिक व्यवस्था भी उचित ढंग से नहीं हो रही है। मुख्यालय के राजकीय विद्यालय के भवन के एक भाग में विद्यालय के संचालित होने से दोनों ही विद्यालयों के छात्र प्रभावित हो रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि अतिशीघ्र केन्द्रीय विद्यालय के निजी भवन के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। दौसा संसदीय क्षेत्र में आठ विधान सभा हैं। यह क्षेत्र जनजाति के लिए आरक्षित है। इसमें एक और विद्यालय लालसोट में स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है ताकि जनजाति के छात्र/छात्राओं का उचित शिक्षा की व्यवस्था का लाभ मिल सके। इस अति महत्वपूर्ण विषय को संज्ञान में लेकर आश्वस्त करेंगे ऐसा विश्वास दिया जाये।

(iv) Regarding setting up of a Eklavya Model Residential School in Tapan Block, Balurghat

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Eklavya Model Residential Schools (EMRS) are model residential schools for Scheduled Tribes set up by the Ministry of Tribal Affairs. EMRS were introduced to ensure that tribal students get access to quality education in the remote tribal areas. EMRSs are set up in States/UTs with grants under Article 275(1) of the Constitution of India. In the budget 2018-19, Government had promised to open EMRS in every block with more than 50% ST population or at least 20,000 tribal persons, by the year 2022. In my Parliamentary constituency Balurghat, Tapan is the largest Scheduled Tribe populated Block of West Bengal state. Therefore, I demand from the Government to set up a Eklavya Model Residential School in Tapan Block, Balurghat at the earliest to provide affordable quality education to the ST population of my Parliamentary constituency so that the actual empowerment of marginalized scheduled tribes may happen.

(v) Regarding construction of an over-bridge at level crossing No. 143 in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा (गुजरात) से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण विषय के संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में भी दिनांक 03-02-2022 को पत्र के द्वारा माननीय मंत्री जी को अवगत करवाया गया है और एक बार फिर से उनका ध्यान इस विशेष विषय की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अमीरगढ़ रेलवे फाटक संख्या 143 पर रेलवे की ओर से वर्ष 2018 -19 में एक सर्वे किया गया था जिसमें वहां से आने जाने वाले वाहनों की संख्या एक लाख दस हजार आंकी गयी थी और इसलिए रेलवे के अनुसार वहां पर इतने वाहनों की आवाजाही होने पर ओवर ब्रिज बनाये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में रेलवे क्रॉसिंग पर जो अंडरपास है वहां घातक मोड़ है जिसके कारण वाहन को आने जाने में और वाहन को घुमाने में अत्यंत कठिनाई होती है, विशेषकर बड़ी गाड़ियों जैसे बस और ट्रक वहां से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। साथ ही जब बारिश का पानी वहां भर जाता है तो वहां पैदल चलने वाले राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। ज्ञात हो कि वहां के ग्रामीणों को रेलवे लाइन पार करके राज्य परिवहन की बस आवागमन के लिए पकडनी होती है। इसलिए यदि इस स्थान पर रेलवे द्वारा ओवर ब्रिज का निर्माण हो जाये तो ग्रामीणों और गुजरने वाले नागरिकों को इस समस्या से निजात मिल जाएगी। आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार द्वारा इस कार्य के लिए 55.48 करोड़ रुपये की राशि दिनांक 25-05-2021 को स्वीकृत की जा चुकी है इसलिए यदि रेलवे मंत्रालय भी बाकि बची लगभग 50% राशि को स्वीकृत करके कार्य को शुरू करवा दे तो वहां के निवासियों का कल्याण हो जायेगा। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि रेलवे फाटक संख्या 143 पर एक ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र करवाए जाये।

(vi) Regarding construction of Darbhanga-Muzaffarpur railway line in Bihar

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): उत्तर बिहार की अति महत्वाकांक्षी रेल परियोजना जिसके माध्यम से दो बड़े शहर दरभंगा और मुजफ्फरपुर को एक-दूसरे से रेलमार्ग के जरिए जोड़ने का लक्ष्य था वह आज़ादी के 75 साल बाद भी पूर्ण नहीं हो सका है और इस बार के आम बजट में भी रेलवे द्वारा नगण्य राशि का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ही दरभंगा-मुजफ्फरपुर रेल खंड निर्माण का निर्णय लिया गया था और जिसका प्रमाण 1905 में प्रकाशित जिला गजट में भी मिलता है। इस रेल परियोजना को लेकर 2008 में आस जगी थी क्योंकि तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था लेकिन तत्कालीन मंत्री जब सिंहवाड़ा शिलान्यास करने पहुंचे तो पता चला इधर होकर तो दरभंगा- मुजफ्फरपुर रेल खंड जाएगी ही नहीं। भीड़ आक्रोशित थी तत्कालीन मंत्री ने मंच से एक नए रेल खंड की घोषणा कर दी और कहा कि जनकपुर रोड से एक नई रेल लाइन बिछेगी जो सिंहवाड़ा होते हुए दरभंगा- मुजफ्फरपुर रेल खंड से जुड़ेगी। इस प्रकार की गलती को सुधारने कुछ दिनों बाद तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री डीलाही स्टेशन पहुंच दरभंगा-मुजफ्फरपुर रेल खंड का शिलान्यास किया लेकिन इसके कुछ दिनों बाद रेलवे के अधिकारियों द्वारा उस शिलापट्ट को यह कहकर हटवा दिया कि, “अब तक सर्वे का काम पूरा नहीं किया गया है।”। वास्तविकता तो यह है कि अब तक सर्वे का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। आदरणीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि 66 किलोमीटर वाले इस रेलखंड का जल्द सर्वे कार्य पूर्ण करते हुए अति महत्वपूर्ण जनहित के इस रेल परियोजना का कार्य भी यथाशीघ्र प्रारंभ करवाया जाय। माननीय मंत्री जी को यह बात भी संज्ञान में देना चाहूंगा कि बीते कई वर्षों से मुजफ्फरपुर और दरभंगा के कई संगठन के द्वारा भी दरभंगा- मुजफ्फरपुर रेलमार्ग को लेकर मांग की जा रही है। अतः जनभावना को ध्यान में रखकर इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना का कार्य यथाशीघ्र संपादित करने की कृपा की जाये।

(vii) Regarding flights to Shirdi

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): The footprints of Saibaba have made Shirdi, a small town in Ahmednagar District, a holy place where millions of devotees regularly flock from all over India and abroad round the year to have sacred Darshan of Sathya Sri Saibaba. Earlier, Air India used to operate a flight – Mumbai-Shirdi-Mumbai. Air India has now discontinued this flight. Now all the flights from/to Mumbai – Shirdi are routed through Hyderabad or New Delhi taking a long period of 5.10 hours. The distance between Mumbai and Shirdi is about 250 Kms and the travel time by road is also about 5 hours. There is no time saving for a passenger travelling by air-Mumbai-Shirdi-Mumbai. In the absence of any direct flight, domestic as well as international devotees have to spend a lot of time and face a lot of difficulties in visiting Shirdi by road as well as by air. In view of the above, I request the Government to either start a new daily direct flight Mumbai–Shirdi–Mumbai or the flights operating between Shirdi – Delhi should be routed through Mumbai-Shirdi–Mumbai–Delhi for the benefit of lakhs of domestic as well as international devotees visiting Shirdi.

(viii) Regarding repair of National Highways in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरुच): गुजरात में पिछले दिनों वर्षा के कारण किसानों, आम जनता के साथ साथ सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच में नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे के जो मार्ग थे वे भारी वर्षा के कारण टूट गये हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र पूरी तरह एक औद्योगिक क्षेत्र है। देश के विभिन्न राज्यों से यहां पर वाहनों का आवागमन होता रहता है। मेरे उक्त क्षेत्र के सारे मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भरुच-दहेज अंकलेश्वर से वाल्या, सागबारा से महाराष्ट्र बार्डर तथा नेतरंग से राजपीपला तक के मार्गों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये सारे मार्ग भारी वर्षा के कारण टूटकर बह गए हैं। देश भर से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले पर्यटकों के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों अंकलेश्वर, पनौली तथा दहेज आने वाले वाहन चालकों को भी बहुत परेशानी हो रही है। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि टूटे हुए क्षतिग्रस्त मार्गों की तत्काल मरम्मत के साथ ही स्थायी रूप से मजबूत और अच्छा रोड बनाया जाए।

(ix) Regarding enactment of a law for population control

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): पूरी दुनिया की आबादी इस समय करीब 8 अरब है, जिसमें सबसे ज्यादा चीन की आबादी 1.43 अरब है जबकि भारत आबादी के मामले में 1.35 अरब जनसंख्या के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व की कुल आबादी में से 17.85 फीसदी लोग भारत में रहते हैं और दुनिया के हर 6 नागरिक में से एक भारतीय है, परन्तु दुनिया के कुल भू-भाग में से भारत का भू-भाग सिर्फ 2.5 फीसदी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पछाड़कर विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है जहां प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन, खाने-पीने से लेकर रहने और पहनने तक की कमी होगी, जिसके लिए हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएंगे, गरीबी में बढ़ोत्तरी होगी, पलायन की मजबूरी, सहित तमाम तरह की समस्या देश के सामने होंगी। बढ़ती जनसंख्या के प्रमुख कारण धार्मिक रूढ़िवादिता हमारे यहां एक विशेष समुदाय की प्रजनन दर दुनिया में सबसे अधिक है, साथ ही जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी, शिक्षा की कमी, परिवार नियोजन की कमी मृत्यु दर के मुकाबले जन्मदर में अधिकता, भी है।

महोदय मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार श्रद्धेय अटल जी द्वारा गठित वेंकटचलैया आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखे और आयोग के सुझावों पर गंभीरता से चर्चा करें, तथा जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर जनसंख्या विस्फोट से होने वाले विकराल समस्याओं को रोकने की कृपा करें।

**(x) Regarding drinking water scheme in Ratlam Parliamentary Constituency,
Uttar Pradesh**

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): मेरे लोकसभा क्षेत्र रतलाम (मध्य प्रदेश) के जनजाति बाहुल्य विकासखंड बाजना, सैलाना, रतलाम, थांदला, पेटलावद, मेघनगर, झाबुआ, रानापुर, रामा, उदयगढ़, जोबट, चन्द्रशेखर आजाद नगर, आलीराजपुर, सोण्डवा, कट्टीवाडा विकासखंडों में वर्तमान में नलकूप आधारित नलजल योजना स्थापित है, किन्तु इन विकासखंडों में ग्रीष्म ऋतु में भू-जल का जलस्तर अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण अधिकांश योजना बंद हो जाती है, जिसके कारण ग्रामवासियों को पेयजल प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त वर्णित विकासखंडों में सतही स्रोत पर आधारित नलजल योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालय को उचित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

**(xi) Regarding upgradation of Central Horticultural Experiment Station,
Vejalpur in Gujarat as National Tribal Horticulture Institute**

श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल): माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी से अनुरोध है कि विगत कई वर्षों से गोधरा तथा आस पास के आदिवासी किसानों द्वारा केन्द्रीय बागवानी परिक्षण केन्द्र वेजलपुर, ता0 कालोल, जिला पंचमहल, गुजरात को अपग्रेड कर राष्ट्रीय आदिवासी बागवानी संस्थान बनाने हेतु मांग की जा रही है। इस उपकेन्द्र को अपग्रेड करने से गुजरात के आदिवासी और गरीब किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण (आर्थिक एवं सामाजिक) सुधार होगा लेकिन उप-केन्द्र होने की वजह से स्थानीय आदिवासी किसानों को जितना लाभ होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। किसानों की मांग एवं संवेदना को ध्यान में रखते हुए इस उपकेन्द्र को संस्थान के रूप में प्रस्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्रीय बागवानी परिक्षण केन्द्र वेजलपुर तहसील - कालोल, जिला पंचमहल, गुजरात को अपग्रेड कर राष्ट्रीय आदिवासी बागवानी संस्थान बनवाने की कृपा करें।

(xii) Regarding storm water drainage system in cities located along Ganga, Gandak and other rivers

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): बिहार के ऐसे सभी शहरों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो शहर गंगा नदी या गंडक या फिर अन्य किसी नदी के किनारे बसे हैं। ऐसे सभी शहर बरसात के मौसम में जल जमाव की समस्या से रूबरू होते हैं और शहर के लोगों का जीना दूभर हो जाता है। बरसात के मौसम में नदियों के जलस्तर में अति वृद्धि के कारण शहरों में भारी जल जमाव की समस्या पैदा होती है और ऐसी स्थिति में नालों की जर्जर स्थिति और समुचित नाले के अभाव में जल निकासी नहीं हो पाती है जिसका खामियाजा शहरवासियों को झेलना पड़ता है।

मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि गंगा नदी, गंडक नदी एवं अन्य नदियों के किनारे बसे शहरों के नगर निकायों को निर्देशित किया जाय ताकि वे समुचित नाला निर्माण का डीपीआर बनाकर शीघ्र भेजे एवं सरकार द्वारा ऐसे निर्माण हेतु राशि का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

(xiii) Regarding refund of money to people who invested in Sahara Group Companies

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): बड़ी संख्या में निवेशको को अपना जमा धन परिपक्वता अवधि के बाद भी सहारा इण्डिया से कथित रूप से नहीं मिल रहा है। निवेशको ने पैसा सहारा इण्डिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लि., सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में जमा कराया था, सेबी के माध्यम से यह पैसा वापस निवेशको लौटाना था परन्तु सहारा ग्रुप ने इन कम्पनियों में जमा पैसा कागजों में जमाकर्ताओं को लौटाते हुये सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसायटी, सहारा मल्टी परपज सोसायटी एवं सहारा क्यू शॉप में जमा कर लिया। उपरोक्त कारण से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण सहारा ग्रुप ने जो 24 हजार करोड़ रुपये सेबी में जमा कराये परन्तु सेबी के माध्यम से नाम मात्र का ही भुगतान हो पाया। सेबी और वित्त मंत्रालय यह कह कर कि निवेशको का पैसा कॉर्पोरेटिव सोसायटियों में जमा है इसलिए सहकारिता मंत्रालय का मामला है अपने को अलग कर रहा है। सहारा ग्रुप ने निवेशको का जो पैसा कागजों में लौटाते हुये कॉर्पोरेटिव सोसायटियों में जमा किया है उसका भी भुगतान परिपक्वता पर नहीं कर रहा है मेरा सरकार से आग्रह है कि पैसा सेबी में जमा है तथा निवेशको का पैसा सोसायटी में बाकी है अतः दोनों मंत्रालय मिलकर कोई रास्ता निकाले ताकि लाखों निवेशको का भुगतान हो सके।

(xiv) Regarding clause 28 of the CBSE policy

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): The Hon'ble Supreme Court, on 7th January, 2022, struck down Clause 28 of the CBSE Policy which held that marks in the later (improvement) exams will be considered final for the assessment of class 12 exams for the previous year. The bench had then further directed that the CBSE shall provide the option to the candidate to accept the better of the two marks obtained for the final declaration of the results. However, CBSE is still implementing Clause 28 for unknown reasons. As such, lakhs of students who wish to improve their academic marks have been reluctant and petrified to appear for an improvement exam as they fear that securing a lower mark will jeopardize their overall result. Furthermore, the worst case of a failure in the improvement exam can even derail a student's academic future in spite of securing a higher mark during the regular exam. Such practices by the CBSE are outright denial of justice to Class 12 students and the Hon'ble Minister of Education should urgently intervene to allow students to choose 'better of the two' option for the final declaration of results.

(xv) Regarding establishment of a National Seemanchal Flood Management Board

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): The four districts of Kishanganj, Katihar, Araria, and Purnia which is also known as the Seemanchal region in north-eastern Bihar get heavily flooded during monsoon. Water from Nepal enters India through Kishanganj district and also from others states. Floods in the last few years have washed away thousands of acres of land including whole villages and displaced lakhs of people of Purnea and Kishanganj districts. Every Monsoon, government schools, graveyards, anganbadi Kendras, Mosques, houses are devoured by the rivers. Kishanganj is ranked economically lowest amongst other districts of India by NITI Aayog's report. I raised this matter several times on the floor of the house and also took up the matter with the Hon'ble Jal shakti Minister. The minister, in his reply, stated that the matter comes under Bihar government. I then took up the matter with Bihar government but the issue still persists. Mahananda basin project of the central government is still in its nascent stage. Speedy completion of this project would save many lives and land in the Seemanchal region. Flood rescue work in Seemanchal faces issues like alleged corruption coupled with non-cooperation of government officials. I demand a National Seemanchal Flood Management Board immediately to manage the flood crisis.

(xvi) Regarding withdrawal of Common University Entrance Test (CUET)**DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):**

The recent announcement by the Union Government for the academic year 2022-2023 that the University Grants Commission (UGC) for various courses in all Central Universities will admit students only through the Common University Entrance Examination (CUET) conducted by the National Testing Agency (NTA) is unfortunate.

CUET, similar to NEET, will side-line the diverse school education systems across the country and grossly undermine the relevance of the overall development oriented long-form learning in schools and make students rely upon coaching centres for improving their entrance examination scores.

CUET like NEET, will affect the students who are from non-NCERT syllabus. Any entrance examination that is based on NCERT syllabus would put deserving students from other syllabus at a disadvantage and will not provide an equal opportunity to all students who have studied in varied State Board syllabi across the country. In most states, State Board syllabus students constitute more than 80% of the total student population and these students invariably hail from the marginalised sections.

The Hon'ble Chief Minister of Tami Nadu has written to the Hon'ble Prime Minister requesting him to withdraw the Common University Entrance Test (CUET) for admissions in all the Central Universities.

Therefore, I urge upon the Union Government to immediately withdraw the newly proposed Common University Entrance Test (CUET) for admissions in all Central Universities.

(xvii) Regarding amendments to the PMLA

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): We place on record our deep apprehension on the long-term implication of the recent Supreme Court judgement upholding, in entirety, the amendments to the PMLA without examining whether some of these amendments could have been enacted by way of the Finance Act. If tomorrow the Hon'ble Supreme Court upholds that the challenged amendments through the Finance Act is bad in law, then the entire exercise would become futile and a loss of judicial time. I hold the SC in highest respect, yet compelled to point out that the judgement should have awaited the verdict of a larger Bench for examining the Constitutionality of the Finance Act route to carry out amendments. These far reaching amendments allegedly strengthened the hands of the government, by using these very amended laws relating to money laundering and investigative agencies, to target its political opponents. I urge upon the Government to stop such types of alleged anti-democratic steps.

(xviii) Regarding opening of a Kendriya Vidyalaya at Anakapalle

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): The opening of Kendriya Vidyalaya at Anakapalle was decided by the Committee on School Education, Ministry of Education. In this connection, a team of Kendriya Vidyalaya Sangathan and the Ministry of Education had an inspection of the building which was earmarked by the state government for the above purposes.

I have come to know that the sanctioning of the Kendriya Vidyalaya at Anakapalle has been given but no official notification has been issued for the academic session 2022-2023. I would also like to bring to the notice of the Government that the CPWD has already visited the allocated site and taken possession of the same.

I would request the Government to kindly start the academic session from the Month of August 2022, so that the economically backward students of the area can get good quality education in the Kendriya Vidyalaya. I would like to assure you of all the proactive support and co-operation of the state government in this matter.

(xix) Regarding construction of an elevated junction and railway overbridge in Jehanabad, Bihar

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): बिहार राज्य के जहानाबाद शहर में एनएच 110 एवं NH-83 के जंक्शन के पास एक अंडरपास अवस्थित है जो काफी पतला है एवं उक्त स्थान पर जलजमाव की समस्या बनी रहती है। इसके साथ अंडरपास से 100 मीटर की दूरी पर एनएच-110 एवं पुराना NH-83 का जंक्शन है जिसके कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। मैंने पहले भी लोकसभा में इस मामले को उठाया था। माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग-110 पर दरधा नदी के पास से उत्तर दिशा में बाईपास बनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग-83 के बाईपास में मिलाने के निर्णय के बारे में सूचित किया है। इस बाईपास के बन जाने से जिन वाहनों को जहानाबाद में नहीं प्रवेश करना है एवं अरवल एवं बिहार शरीफ जाना है उसके लिए सुविधा मिलेगी जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सरकार का ध्यान अंडरपास द्वारा शहर में आने वाले वाहनों के कारण जाम की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। जाम की समस्या से मुक्ति के लिए अंडरपास के स्थान पर एक एलिवेटेड जंक्शन एवं रेल ओवर-ब्रिज की आवश्यकता है। अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त जंक्शन पर एलिवेटेड जंक्शन बनाया जाए तथा उसके पहुंच मार्ग को एनएच-110 पहुंच मार्ग से रेल ओवर-ब्रिज (आर.ओ.बी) बनाया जाए।

**(xx) Regarding vacancies in Commissions meant for welfare
of SCs, STs, and OBCs**

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग तथा समाज में वंचित लोगों के लिए सरकार ने उनकी समस्याएं और उनके विकास के लिए मदद करने हेतु अलग-अलग आयोग का गठन किया है, इन्हीं आयोगों का गठन समय रहते न किए जाने से लोगों की समस्याओं का निराकरण भी नहीं हो पा रहा है, जैसे एसटी आयोग में 3 सदस्य व राष्ट्रीय एससी आयोग में 1 सदस्य की रिक्ति लगभग डेढ़ वर्षों से लंबित है। इसी प्रकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सभी पद मार्च 2022 से खाली पड़े हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में हमेशा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का पद 6 माह से 1 वर्ष तक रिक्त पड़े रहते हैं। सभी आयोगों का संबंध समाज में रह रहे दलित, एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के हितों से संबंधित है। यदि सरकार वास्तविक रूप से उक्त सभी के हितों का ध्यान रखना चाहती है तो इनसे संबंधित आयोग का गठन जिस प्रकार संसद भवन में समितियों का गठन समय समाप्त होने से पहले कर दिया जाता है उसी प्रकार समय रहते आयोग का भी गठन कर दिया जाए तो बेहतर होगा।

(xxi) Regarding life saving devices used by ostomy patients

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): 90% of the medical life saving devices that ostomates require are imported, which leads to extremely high recurring costs, which ostomates bear as out-of-pocket expenditure. This condition is considered a legal disability in many developed nations. Considering that there are approximately 4 lakh ostomy patients in India, it seems necessary to consider their plight and amend requisite legislation in this regard. Additionally, it may be noted that the incontinence of urine and stools is included in a notification released by the Ministry of Social Justice and Empowerment. However, it specifies that only incontinence on account of neurological disorders and spinal cord injuries are covered under its ambit. I request that ostomy be added to both of the aforementioned categories. In this regard, the Ministry of Social Justice, Maharashtra had sent a positive letter to the Health Ministry, requesting it to study and recommend Ostomy as a disability. However, the Ministry of Social Justice and Empowerment rejected this request citing that Ostomy is not a “disability” but instead a “Medical Condition”. I urge the Ministry to hold stakeholder consultations with medical experts and Ostomy doctors and hospitals in order to further assess the gravity of this situation.

14.16 hrs

ENERGY CONSERVATION (AMENDMENT) BILL, 2022* – Contd.

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 24, ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022.

श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Where is the Minister concerned?

... (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : कैबिनेट मिनिस्टर भी आ रहे हैं । यहां पर राज्य मंत्री कृष्ण पाल जी बैठे हुए हैं ।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister is there. अधीर दा, आप प्रारंभ करें ।

... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, in the inception, I must extend my affirmative note to the tone and tenor of this legislative document, titled “The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022”. ...

(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister is in the House now.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I warmly welcome him. ... (*Interruptions*)

Sir, as we know, now, carbon is going to be an article of commodification. It is a new phenomenon that we are witnessing across the globe. मैं शुरू में 38 देशों की सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने सन् 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में हिस्सा लिया था । उसी समय

* Further discussion on the motion moved by Shri R.K. Singh on the 5th August, 2022.

कार्बन ट्रेडिंग की बात शुरू हुई थी। The genesis of this carbon trading is allied to the Kyoto Protocol signed in 1997. Thereafter, a couple of years had elapsed without any tangible impact on this Protocol but later, in the year 2015, the Paris Agreement had also come into existence. That means, over the decades, across the globe, the issue of carbon trading has been going on. So, we cannot afford ourselves to be left out of this international endeavour on carbon trading. To that end, the Bill proposes to amend the Energy Conservation Act, 2001 which was last amended in the year 2020. The Bill seeks to provide regulatory framework for carbon trading in India, to encourage penetration of renewables in energy mix, and for effective implementation and enforcement of the Energy Conservation Act.

Sir, as we know, India already stands committed to reduce carbon emissions intensity of its GDP by 33 to 35 per cent by 2030 from the 2005 level. Also, it is committed to achieve over 40 per cent of its power generation capacity from non-fossil fuel energy resources by 2030, as part of the National Determined Contributions under the Paris Agreement.

What is the present status of the compliance of our agreement? What is the share of our renewable energy in the entire spectrum of energy mix? These are very relevant issues that also need to be highlighted.

Sir, I shall focus my deliberation on the issue pertaining to the legislative document itself. First of all, a new Section 14AA has been inserted which empowers the Central Government or any agency authorised by it to issue a

carbon credit certificate to the registered entity which complies with the requirements of the carbon credit trading scheme.

सर, आप मुझे स्पीच खत्म करने के लिए दो-तीन मिनट पहले बोल दीजिएगा, लेकिन अचानक मत बोलिएगा।

माननीय सभापति: आप मुझे कंप्लीट करने से पहले बता दीजिएगा।

... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I am firmly of the view that the right should be provided to the State Governments also as per the federal spirit of our Constitution. Every day, here, inside the House, we are debating on cooperative federalism, etc., because a concern has been generated across the nation that by one way or the other, cooperative federalism is being eroded or is being diluted. So, here also, I would like to emphasize that the right should be provided to the State Governments also as per the federal spirit of our Constitution. The State Governments play a very crucial role in promoting the usage of renewable energy and they duly deserve this right to issue Carbon Credit Certificate.

The second point that I would like to highlight is on Section 26 of the Energy Conservation Act, 2001. The original Act says that no person shall be liable to pay penalty within five years from the date. However, the substituted relevant Section in this Bill has no such clause.

Another cause of my concern is that this Bill seeks to bring in large residential buildings within the fold of Energy Conservation Regime. How will the relevant penalties affect the common man? How will they be able to cope with in complying with these provisions of compliance and penalties? I would like the

hon. Minister to provide a distinct clarification on this issue because it is also a new phenomenon in this sector.

Also, I would like to draw the attention of the hon. Minister that the initial capital investment in constructing a green building is very much expensive. Additional cost of building an energy efficient home is 5-15 per cent and the payback period is usually between 3-5 years. The cost of renewable energy generally varies between 150-250 per kilowatt capacity. How will the required standards be met? Who will determine the same?

क्या इसके लिए आपका कोई स्पेशलिस्ट है? क्या यह रिकल हमारे देश में है? आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स भी नहीं हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब मिनरल्स एलायंस हुआ था तो उसमें हिन्दुस्तान को बाहर रखा गया था। निकेल, कोबाल्ट, लिथियम और इनके साथ-साथ जो 17 रेयर मिनरल्स हैं, उसमें चाइना का डोमिनेंस काफी ज्यादा है। अमेरिका और यूरोप उससे बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्होंने मिनरल्स एलायंस बनाया, लेकिन उसमें उन्होंने हिन्दुस्तान को नहीं रखा। आप जिस मकसद को पूरा करना चाहते हैं, उस मकसद को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं? आपके पास मिनरल्स के लिए क्या टेक्नोलॉजी है? हम टारगेट तो बनाते हैं, लेकिन टारगेट को बनाने के लिए जो संसाधन चाहिए, वे हमारे पास नहीं हैं। इसलिए इस मुद्दे को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए।

सर, दूसरी बात यह है कि after Section 2(d) of the original Act, the Bill adds two definitions relating to Carbon Credit Certificate and Carbon Credit Trading Scheme to the List. It rationalizes the definition of energy in clause (h) of the same Section by amending it to include fossil fuel, non-fossil fuel as well as renewable sources of energy.

The purpose of the Bill has been stated as bringing in a framework for the Carbon Credit Trading Scheme. However, the definition, as stated in the Bill, simply mentions that it shall mean scheme meant for carbon emissions as notified by the Central Government. There should be more clarity as to the details of the Carbon Credit Scheme, its structure, implementation or any inkling of its framework.

It gives the Government unbridled powers to decide on the modalities as well as the details. यह बात रखी गई है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई है, 20 से बढ़ाकर 31 की गई है। I would like to tell to the hon. Minister that there is a proverb in our country 'too many cooks spoil the broth'. While on the face of it, this may seem innocuous, it may create problem because adding several departmental Secretaries on the Governing Council, there is an increased chance of red tape and slow implementation of the Act. The 25th Report of the Parliamentary Standing Committee on Energy states that the Bureau of Energy Efficiency has been lagging with respect to financial performance. Given the massive volume of savings that can accrue in terms of money as well as CO₂ emission, the Committee noted that the underutilization of fund by the Bureau is unacceptable, and called for reform to ensure full utilization of allocated fund in order to achieve energy efficiency targets. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो ढांचा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। A new sub-Section 13 (a) has been added after Section 13 of the principal Act through these amendments. This clause will prohibit any person from using any name that even nearly resembles the name of the Bureau or likely to deceive the public. It also bars any registering authority

from registering any company, firm, or other body of persons with a mark or name resembling that of the Bureau. However, this Section sheds no light on what is to be construed as nearly resembling the name of the Bureau as such. It provides a wide leeway to the authority from preventing and registering any company even with legitimate interest. This is opposed to the general concept of ease of business approach, and even ease of living and will give rise to the nightmare of red tape for the common people. यह ताज्जुब की बात है कि रिसेम्बलिंग होने पर, आप यह फैसला कैसे करेंगे कि वह रिसेम्बलिंग करता है या नहीं? ये दो-तीन मुद्दे मैं रखना चाहता हूँ। सर, अब मैं दूसरे एक मुद्दे पर आता हूँ। The issuance of carbon credit certificate would be on a voluntary basis and the success of the scheme would require an enterprising approach from private players in the economy to participate voluntarily in the carbon market. Purchasing from a carbon neutral company aligns with the goals of the Paris Agreement. However, while a carbon neutral company may have deployed energy efficiency sources to develop its product or commodity, there is no certainty that they also source their raw material from a carbon neutral company as well.

In the absence of a governance body, private entities often form non-governmental organisations and tend to determine the standards of the commodity. This could lead to distrust of the quality of the carbon credits. While the Bill proposes to provide certificate and to consult entities through the Government mainly, it does not provide for determining the quality of the commodity.

Sir, in the Bill there is a provision for a State designated agency. The Standing Committee has found that most State designated agencies do not have the required dedicated physical and financial resources in order to carry out their functions and work towards energy efficiency goals. Standalone State designated agencies tend to perform better in comparison to those which are clubbed with multiple entities.

Thus, the Standing Committee recommended to the Centre to support States in the creation of standalone SDAs. हम सब जानते हैं कि वर्ष 2021 से सोलर प्रोजेक्ट में जीएसटी बढ़ाया गया। इसमें 5 से 12 प्रतिशत जीएसटी बढ़ा दिया गया। It is projected that this GST hike could result in increased production costs, which will in turn result in increased tariffs for consumers of clean energy. हमारे देश में मिनरल्स की कमी है, रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट की कमी है, इंस्टीट्यूशनल डेफिसिएंसी है, लेकिन हम बढ़े-बढ़े दावे करते जा रहे हैं। Subsidies for the renewable energy sector have reduced by a massive 59 per cent since financial year 2017. Subsidies seem to have remained focused on electric vehicles, for which subsidies grew by 205 per cent. सारा पैसा सिंह साहब से गडकरी साहब ले रहे हैं, आप कहां रहेंगे? Enhancing subsidies in the renewable energy sector will be more beneficial to the economy, particularly in the short-term, as compared to increasing fossil fuel tax. हमारे हिन्दुस्तान में सात महारत्न पीएसयूज़ हैं। ये सात महारत्न यहां ज्यादा निवेश नहीं करते हैं। India's seven 'Maharatna' PSUs which have the potential to become multinational companies, invested up to 11 times more in fossil fuel projects than in renewable energy in financial year 2021. PSUs should be required to diversify into clean energy and formulate plans for phasing down investments in fossil fuels. इसलिए इसको इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए। इसमें प्राइवेट

इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा देना चाहिए । Even among public finance institutions, annual disbursements towards fossil fuel was three times more than towards renewable energy in financial year 2021.

Clean energy targets of such lending institutions should therefore be enhanced and they should also formulate plans for phasing down lending to fossil fuel projects. There is also a need for greater data transparency of the Government and its entities with respect to reporting on clean energy. This will ensure that the Government remains accountable as well as it will help to implement evidence-based policies on clean energy. आप यह बताइए कि क्लीन एनर्जी पर क्या इन्वेस्टमेंट है? In 2022, the Institute of Energy Economic and Financial Analysis published a report in which it estimated that India's current levels of investment in the renewable energy sector needs to be doubled to around USD 30-40 billion per year if it intends to meet its target of 450GW of renewable energy capacity by 2030. आपने तो टारगेट रख दिया है । आपने 175 गीगावाट का जो टारगेट रखा था, उसका क्या हुआ? सोलर में 100 गीगावाट का क्या हाल हुआ, वह आपको खुद पता है । वर्ष 2022 निकला जा रहा है और हम वर्ष 2023 की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका टारगेट पीछे रह गया है । आप कहेंगे कि कोविड था, यह था, वह था । इस दुनिया में बहाना बनाने में आपका कोई जोड़ीदार नहीं है ।

सर, मैं आपको बताता हूँ । The Government has failed to strengthen India's capacity for domestic production of solar panels, इसे मंत्री जी खुद स्वीकार करेंगे, with around 80 per cent of panels being imported from China. Experts have stated that more than 30 indigenous firms should already exist by now, but instead, the industry has been plagued by the lack of a coherent policy framework, inadequate

funding, import of cheap panels from China, and issues with energy storage and other infrastructure.

An independent report from 2020 also found that in addition to the solar manufacturing capacity, the production of raw materials such as cells and polysilicon are also lagging. आप कहां जाओगे? यह मैं नहीं कहता हूँ। चीन हमसे कितना आगे बढ़ चुका है, क्योंकि उसके पास सारे संसाधन हैं। कंसन्ट्रैटेड सोलर पावर में आप पीछे रहे गए हो। आप कंसन्ट्रैटेड सोलर पावर के बारे में बताइए। हिन्दुस्तान में कुदरत की वजह से सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है, फिर हम कंसन्ट्रैटेड सोलर पावर में पीछे रह गए।

आप खुद इसको जरूर मानेंगे।... (व्यवधान) मोदी जी चारो तरफ पंचामृत की बात करते हैं। अभी हिन्दुस्तान में अमृत की ध्वनि गुंजती है - अमृतकाल, पंचामृत, वगैरह-वगैरह।... (व्यवधान) हम चाहते हैं कि हमारी चीजों के दामों पर अगर अमृत की कुछ बरसात हो जाए, तो हिन्दुस्तान के लोग बच जाएंगे।... (व्यवधान)

हर जगह अमृत होता है, लेकिन आम लोगों की रोजमर्रा की चीजों पर गरल गिरता है, यह फर्क है। एक तरफ अमृत, चारो तरफ गरल, हम लोग कहां जाएं, हम सरल आदमी हैं। अब महंगाई पर गरल डालते हैं, मोदी मतलब मुमकिन है। आप कहते हैं कि मोदी जी हैं, तो मुमकिन है। मैं कहता हूँ कि मोदी जी हैं, तो महंगाई है। हम कहते हैं कि मोदी हैं, तो गरल है, अमृत नहीं है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अधीर दा, आपने विषयांतर कर दिया।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह कहते हैं कि, as of 30th April, 2022, India's installed capacity for power from renewable sources stands at 111.39 GW despite a previous target of achieving 175 GW by 2022. Thus, the Prime Minister's commitment of 500 GW seems tokenistic. Reports have pointed out that it is a

mere rehashing of India's existing commitment to achieve 450 GW capacity by 2030. ... (*Interruptions*) सर, मैं एकदम अंतिम में पहुंच गया हूं।... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: आप अंतिम में पहुंच गए!... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : नहीं, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराने के लिए दो मुद्दे यहां रखना चाहता हूं। Many scientists, economists and NGOs believe that carbon trading is a dangerous distraction from the need to end fossil fuel use and move to a low carbon future. We do not have time to wait for a high price on carbon. We must shift to a low carbon energy, agriculture, transport and industrial world now. The best way to do this is through direct regulation. यह मेरा नहीं, बल्कि एक्सपर्ट का मानना है। There are many downfalls to the Carbon Trading System. It has become a source of windfall profits for polluters through its failed mechanisms, offshore carbon offsets, and it has, in fact, led to emissions not being reduced, but only regulated in a manner which ensures profits for the polluters with very little pay off to the environment. ... (*Interruptions*) मंत्री जी ध्यान से सुनते हैं। उनकी जानकारी अच्छी लगती है।... (व्यवधान) The principle of carbon markets was established in the year 1997 -- Kyoto Protocol, but to date, there have been few, if any, measurable reductions in greenhouse gas ... देखा है, इसका कोई सबूत है ... measurable reductions in greenhouse gas emissions that can be attributed to these measures. The two most important carbon markets so far – the European Union Emissions Trading System (EU-ETS) and the United Nation's carbon offsetting scheme, Clean Development Mechanism – are failures, yet, new carbon markets based on these schemes are being planned in both developed and developing

nations. मैं यह कंसर्न जताता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बिल का विरोध करता हूँ। ...

(Interruptions)

The second reason is that carbon markets have been infested by corruption and non-transparency. When studying one project in India, research team realized that the Mumbai office of a major international consultancy appeared to have copied and pasted large chunks of documentation from one CDM project to another. In fact, carbon markets have created a lot of income for consultants, carbon brokers and project developers, not to mention the validators, policy makers, NGO professionals and academics who have made a living from these markets. There is very little independent and democratic oversight in the system. Instead, there are many revolving doors between the business, policy, NGO and university worlds, fuelling accusations of corruption.

HON. CHAIRPERSON: Okay. Thank you.

श्री अधीर रंजन चौधरी: आज नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर जी का तिरोधान दिवस है। उन्होंने कुदरत को मानते हुए एक समय कहा था कि, "Trees are the earth's endless effort to speak to the listening heaven." पेड़ बचाओ, पौधे बचाओ, कुदरत बचाओ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने गुरुदेव की पंक्तियों से अपनी बात को पूर्ण किया।

DR. PON GAUTHAM SIGAMANI (KALLAKURICHI): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to express my views and my Party's views on the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022.

India stands at the forefront of addressing climate change and has committed to ambitious nationally-determined contributions. There is no doubt

that we need to adopt a bipartisan approach to this issue as it is a question of the survival of our species.

Our Prime Minister has reiterated India's commitment by aiming to install 500 GW of non-fossil energy capacity by 2030, reduce emission intensity of GDP by 45 per cent over 2005 levels, source 50 per cent of electricity from non-fossil sources by 2030, reduce carbon emission by one billion tonnes till 2030, and achieve net-zero by 2070.

India is the largest exporter of carbon credits. Therefore, it makes obvious sense that we setup our own national market and frame the necessary regulations for it. Media reports indicate that the Prime Minister may launch a national carbon trading platform on 15 August as India presses ahead with its climate commitments, and what better an occasion than the Independence Day.

This amendment seeks to mandate the use of non-fossil sources including green hydrogen, green ammonia, biomass and ethanol for energy and feedstock, and I welcome this. This move must also be backed by support for promoting research and innovation in this field. There is a need for incentivizing actions for emission reduction leading to increased investments in clean energy and energy efficiency areas, and this Amendment will be seen as a positive step in that direction.

Currently, only commercial buildings are required to follow the energy efficiency code. The attempt to bring large residential buildings within the fold of the Energy Conservation regime and to enhance the scope of Energy Conservation Building Code is also welcome. The proposal is expected to

increase the cost of construction by two-three per cent, but the recovery takes place within 4-5 years through reduced electricity bills. Estimates say that this is likely to save Rs. 1,20,000 crore worth of electricity by 2030 by avoiding generation of three billion units.

While the proposal of the Act to include larger residential buildings is with an aim to promote sustainable habitats, we must ensure that this does not create a regulatory quagmire that causes the industry to run from pillar to post. Let us ensure that we are creating an easy single-window system that does not make the process of compliance difficult. We must make this. You also want to increase members in the Governing Council of the Bureau of Energy Efficiency, but once again why is the representation of States so poor? Why do you not accommodate more members from the States?

I welcome the move to empower the State Electricity Regulatory Commissions to make regulations for smooth discharge of its functions as I believe that the State Governments will have a very vital role to play in achieving the goals of energy conservancy.

Many highly industrialized States are ready to take the lead in increasing generation of renewable energy and imposing strong green laws. For example, Tamil Nadu, under the able leadership of our hon. Chief Minister, Thiru M. K. Stalin, is exploring avenues and opportunities to develop our renewable energy infrastructure. I sincerely hope that the Union Government will strengthen our efforts and support us in this regard.

Our CM, Thiru M. K. Stalin, has repeatedly urged the Union Government to come out with strong viable policies to boost renewable energy generation and promote energy conservancy. Tamil Nadu has been a pioneer in promoting renewable energy sources, which are eco-friendly and non-exhaustive. The State is blessed with hot weather, vast coastline and strong wind potential that are yet to be fully exploited to meet its energy requirement. So, I seek the support of the Union Government in ensuring that this Bill provides sufficient autonomy to the State agencies to draft policies and frameworks to mandate a shift to green energy.

While I welcome this Bill and the ambitious endeavour to protect our environment, we must also be aware of the fact that simply imposing rules and regulations on energy consumption alone will not suffice. The spirit and policy of this Bill must also be a platform for us to discuss how mere energy conservation alone would not help us to tackle climate change.

India is committed to creating an additional carbon sink by increasing tree and forest cover to reduce CO₂ emissions to 550 metric tonnes by 2030, but where does that stand? Where do we stand on moving to electric vehicles and creating the infrastructure for them? We have been discussing ways to move to electric mobility for ages now, but have yet to see concrete steps to expand the necessary infrastructure and charging stations across the nation?

When are we going to push for all government offices and buildings to lead the way in being energy-conscious?

Take, for example, the Central Vista project. Reports say the Secretariat will be served by highly energy-efficient and sustainable infrastructure. Sir, as much as I support and welcome any measure that is affirmative action to tackle climate change and to minimize our impact on our environment, we must also remember that this is a goal that needs the constant effort and support of all sections of the Government and society. We need to work towards making this a people's movement. Only then will it truly achieve remarkable growth and sustainability.

Thank you, Sir.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I stand here to support the Energy Conservation Bill. This entire journey of energy is a long-drawn journey, globally. I appreciate all the inputs made on Friday by the hon. Minister where he talked about the mixed basket that we are creating. As a concerned citizen and parliamentarian of this august House, I only seek a few clarifications from the hon. Minister.

There was a story in the newspaper last week, and I stand corrected. According to the report, India has abandoned its goal of establishing 500 GW of renewable capacity by 2030, giving it the flexibility to generate 50% of its power from non-fossil fuel sources. This is the commitment. The Cabinet on Wednesday approved India's updated NDC - to be communicated with the UNFCCC—proposing about 50 per cent of cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based resources, dropping the 500 GW absolute target, committed at the COP26. It also did not include the commitment to reduce one billion tonnes

of carbon emissions. This is what has been reported in the newspaper. I would like to seek a clarification from the hon. Minister. Is this a factual situation? What is the policy of the Government? I am very concerned because I follow Parliament very closely. I am fortunate enough to be here and to hear very illustrious Ministers speak exceptionally well.

In the last few weeks during the Question Hour when the House functioned, renewable energy has been talked about in a very positive manner. But at the same time, the Coal Ministry has also been very energetic and enthused by the work they are doing. They were talking about coal; they were talking about the mines. How well are they doing? How much more generation has to be done? There are ultra-projects by the Government. So, I humbly ask the government, what is the true policy? Here, you are going into coal and mines aggressively and telling us how transparently this is being done, which is wonderful. Transparency is good for the nation. But I think, they are misleading the hon. Prime Minister because both the *mantralayas* are giving completely conflicting information because they are contradicting each other. So, I feel very concerned. You could kindly give a clarification.

I come from a background of a rural and urban constituency. Actually, this entire story of energy started from the sugar factories in Maharashtra, where renewable energy started. In the Statement of Objects and Reasons, you have said that you are looking at Green Hydrogen, Green Ammonia, Biomass and Ethanol for energy and feedstock, which is all wonderful. I would like to seek clarification on biomass. I have very little knowledge of power, but I would like to

seek clarification on biomass, which has seen a lot of NPS in investment. There is a lobby globally for this kind of matter, according to magazines and information. So, what is the position of the Government of India on biomass because you have talked about this. Somehow, biomass has not delivered the superior results that we have seen in ethanol. So, you could kindly clarify in the larger interest of the nation.

The other aspect is solar power. We are all for solar. We are very happy to know that we are working so much on solar. I have to seek a little clarification from the hon. Minister.

Regarding land acquisition for solar plants, you normally give one year to a project. It takes six to nine months to just acquire the land because it is thousands of acres taken directly from the farmers. It is so hard to do land acquisition. So, why does the Government of India not work closely with the States like we used to do for MIDCs? Why does the Government not use MIDC model for land acquisition to improve the scheme? This is just a suggestion. What happens is that the Government gives one year or eighteen months to the person who is doing it. In your own reply that you gave last week in Parliament, you said that most of the renewable energy projects in this country are done by private sector and they are selected through a transparent bidding process. This Government is very transparent. We are very proud and we compliment them on this. But at the same time, is the policy really helping the person who is putting his own money? So, land is a big challenge. What intervention will the Government make to

ensure that the help from the Government like in the case of MIDC or if something similar is possible?

Secondly, during this Covid time, they gave a blanket extension to the windmills which is a very good thing. It is because of the supply chain distribution. If you have given it to the players and the investors of wind energy, why did you not give the same to the investors of solar energy? They have also been similar. They are into renewable energy. Why is this step-motherly treatment given to solar energy sector? Everybody should be treated the same way. Everybody has been through challenges. So, why should the solar energy sector not get the same?

Another policy intervention is there. This Government initially was doing a great job in all these bids. In the last six to eight months, the Government changed the policy. This clipping is purely from the newspaper. I can table wherever I got this information from. When you get an L-1, normally, you give it to the L-1. You have started reverse bidding. Because of that, the viability has become a big issue. Already, he has delayed because of the land acquisition and in the last six or eight months, the Government changed the policy. Most of the private developers are there. The reason I am saying private players because you yourself in your reply have said that only private people are into this business. It is not that I am speaking for some private agency. I am going purely by the policy of the Government and what has been said in the Question Hour. What is your stand on this? What is the point of L-1 if you are doing reverse bidding? The

country and the consumer are going to get affected. Please give me an answer on this policy issue.

What happens is that in this reverse bidding, please correct me if I am wrong, if it does not work out for the private players, it comes back to NTPC which means the Government. Then the private players will say कि हम देश में क्यों करें, हम बाहर जाकर करें, policy is more friendly there. So, why are you pushing people who want to work in India today because of this one policy that has come only in the last eight months? It was not there before. My request is that if you could clarify, it will be in the larger interest of the nation and it will be for all the people who want to work with the Government.

Sir, even Adhir ji talked about R&D, and you are talking about hydrogen. In your very introductory speech, you spoke very well about green ammonia and green hydrogen. It all sounded wonderful and very encouraging. What is the R&D that this Government is doing? From the information that I have got from a reply given by you, the Central assistance has consistently been coming down.

In 2018-19, it was Rs. 4,414; in 2019-20, it was Rs. 3,000; in 2021, it was Rs. 2,800; and in 2022, it is Rs. 2328. Your Government has not reached a single target since it has come to power. People talked about GST. I am not going into that.

Regarding PM-KUSUM Scheme, you have not reached the target. I am just quickly reading through it. You talked about Solar Rooftop Programme. In that, you have only reached 15 per cent. Off Grid Decentralisation of solar programme has been stopped. Bioenergy programme has been stopped. Small hydrogen

programme has been stopped and the shortfall is there. I am just rushing through these points. I would like to speak a little more. Further, out of target of renewable energy, not even 60 per cent target is achieved. I am not asking why you have not achieved it but the whole thing is that when the hon. Minister opened, he said 60:40. Sir, we all know that. When there is renewable energy done, we lose a lot in transmission. If about 100 per cent is invested, only 20 per cent gets used of it. We do need that. What has this Government done for transmission and distribution specifically of renewable energy? You have invested so much money in making this renewable energy but what have you done?

The same thing goes about Carbon Credit Trading. It is wonderful but it is all up in the air. Have you spoken to the stakeholders? Have you consulted the States or the industry? Nothing is there to the best of my knowledge.

One last point, Sir, is about discoms. In the morning, the hon. Minister was slightly agitated because of what happened in the House. But, Sir, this needs serious discussion. Why did Government of India give money to the States in the UDAY scheme? If I am not wrong, they gave it to the States so that we would reach the last mile. गरीब जो शोषित है, पीड़ित है, जो दूर गाँव में रहता है, उसे बिजली मिले, उसके लिए आपने उदय स्कीम बनाई, स्टेट्स को पैसा दिया। जब राज्यों को पैसा दिया तब ऐसा नहीं कहा कि यह गरीब के लिए मैं दे रहा हूँ।

The States thought that it was a scheme which was given to encourage the States to support the poor people. लोन माँगा है, हमने माँगा तो नहीं था, आपने सामने से दिया, स्टेट तो माँगने नहीं आया था, आपने कहा बहुत अच्छी स्कीम है, ले लो पैसा। When they gave the money, they did not say it is the scheme.

Now they are saying that no freebies are allowed. How will it work like that? आप अगर किसान को बिजली दे रहे हो तो उसमें दिक्कत क्या है? See the double standards of this Government, Sir. It really pains all of us. If they give Rs.6,000 to the *kisan*, it is allowed; if the State gives free electricity to the *kisan*, it is a freebie! आप करो तो अच्छा, हम करें तो सब बुरा। सर, ऐसा नहीं हो सकता है। If you are giving Rs.6,000 to them, we are happy. We compliment you; we congratulate you. अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ कि 6 हजार रुपये का 12 हजार रुपये करो, 12 हजार रुपये का 18 हजार रुपये कीजिए, कोई बात नहीं है, यह अच्छी बात है। You give it in their accounts. But why is this Government anti-electricity only in the States? I hope he would could kindly clarify all these points.

My last point, Sir - I have cut all my other points – is this. What the Government really needs to do is to have a clear-cut policy. They keep changing policies every few months. That is why people are very anxious. We need a wind and solar hybrid model. The models that we are working on are not going to work. We need a hybrid model, and that is what this Government needs to come up with. We are willing to work with them. But the hon. Minister may please give clear clarifications in the reply at policy level.

Thank you, Sir.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, धन्यवाद।

सर, जब भी आपको हमें रोकना हो तो उसके 10 मिनट पहले हमें बता दीजिएगा।

माननीय सभापति: अच्छा। क्या अभी बोलना पड़ेगा? इतना तो समय है ही। आप बोलिए।

एक माननीय सदस्य : सर, 15 मिनट दीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, यह सदन की माँग है।

माननीय सभापति : आप प्रारम्भ तो कीजिए ।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, यह एनर्जी कंजर्वेशन बिल है । औसतन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो कोई बड़ा निर्णय करके आते हैं । सरकार लौटकर आती है और सो जाती है । कई बार इंटरनेशनल कन्वेंशंस 20-20 साल के बाद हम लोग रेक्टिफाई करते हैं । आज एक ऐसी सरकार इस देश में है और ऐसा नेतृत्व है कि 6 महीने पहले सरकार, देश के प्रधानमंत्री ग्लासगो समिट में जाते हैं और लौटकर 3 से 6 महीने के भीतर एक कानून में संशोधन ले आते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा कमिटमेंट है, वह देश के सवा सौ करोड़ लोगों के बीच में है । शायद एक ही व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं, क्षमा कीजिए पहले भी हम लोग सदन में बैठते रहे हैं, हमने देखा है, लेकिन जिस महीनता के साथ, जिस गंभीरता के साथ भारत की सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री करते हैं, शायद यह अपने आपमें एक अनोखा है । यह कानून बनाने और इसमें संशोधन करने का जो मूल रूप से विषय है और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही है और कॉप-26 के समिट के बाद से, जो ग्लासगो में हुआ था और देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के साथ किया था और उसके बाद लौटकर उन्होंने और देश के प्रधानमंत्री जी की यह खासियत है कि वे एक फॉर्मूला दे देते हैं । फॉर्मूला इतिहास में चला जाता है, सरकार के लिए नीति बन जाता है, उसके बाद सरकारें काम करती हैं, उसका कार्यान्वयन होता है और उसका लाभ देश के अंतिम किसान और गरीब को मिलता है । शायद यह पृष्ठभूमि है, जिसका लाभ पूरा देश उठाता है । इसीलिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वे बिहार से हैं, भारत सरकार के गृह सचिव भी रहे, उसके बाद आज भारत सरकार के मंत्री हैं, मेरे राज्य के हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बड़े शौक के साथ काम करते हैं । हमें गर्व है कि भारत की सरकार ने बिहार से एक ऐसे मंत्री को इस कुर्सी पर बिठाया है, जो देश की सेवा में और खासकर के पर्यावरण से जुड़े एक बड़े विषय को आज विधेयक के रूप में लेकर आए हैं । नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट 500 गीगावाट हमें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है, लेकिन उससे एक बड़ी बात है और यह एक ऐसा लक्ष्य है, औसतन जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो अपना लक्ष्य 5 साल, 10 साल, 15 साल का रखते हैं और एक ऐसा लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, शायद उस लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान हममें से

यहाँ कोई न रहे, वह लक्ष्य वर्ष 2070 का है। यह विजन होता है देश का और देश की उस लकीर को खींचने का कि हम रहें न रहें, देश रहेगा, भारत माता रहेगी, देश चलता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सदन में बैठकर इतने सारे माननीय सांसद आज इस भरी दोपहरिया में निर्णय कर रहे हैं।

15.00 hrs

यह सही बात है और यह विधेयक में दिया है, तो स्वाभाविक रूप से देश की प्रगति हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। स्वाभाविक रूप से उसमें कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, क्योंकि अगर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करता है तो कार्बन कंजम्प्शन बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि देश के विकास में चारों तरफ जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उससे टोटल इलैक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स में 24 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एक तरफ मानक है, लक्ष्य है कि देश की प्रगति का, गरीबों के लिए घर बनाना, मध्यवर्गीय लोगों के लिए घर बनाना, समृद्ध लोगों के लिए घर बनाना, हमारे लिए तो सवा लाख रुपये वेतन में घर बनाना शायद सम्भव नहीं हो पाएगा, लेकिन गरीबों के लिए घर बनाना और उसे पहुंचाना एक बड़ा लक्ष्य है। उसके साथ-साथ यह भी लक्ष्य तय कर देना कि इसके साथ-साथ अगर इतने घर बनेंगे तो हम 300 बिलियन यूनिट्स सेव कर लेंगे। 300 बिलियन यूनिट्स सेव करेंगे तो कार्बन ट्रेडिंग करेंगे और पूरी दुनिया को बतायेंगे कि देश के प्रधान मंत्री जी ने कॉप26 में जो लक्ष्य तय किया था, उसको हम प्राप्त कर रहे हैं।

महोदय, वर्ष 2014 में हमारी सरकार आई थी और हमारी बिजली का उत्पादन अमुक था। वर्ष 2018 में 1 लाख 64 हजार मेगावाट, वर्ष 2019 में 1 लाख 77 हजार, वर्ष 2020 में 1 लाख 83 हजार और वर्ष 2022 में 2 लाख को पार कर चुके हैं। हमारा एक तरफ लक्ष्य है कि सवा सौ करोड़ लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाना, उसके घर में उस रोशनी को पहुंचाना, ताकि छोटे बच्चे-बच्चियां घर में किताब पढ़ सकें, टीवी देख सकें, वीडियो देख सकें और जीवन बढ़िया बना सकें। लेकिन दूसरी तरफ भी हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और बड़े देश का यह सब चिह्न होता है कि बड़े लक्ष्य के साथ-साथ हम दुनिया के स्तर पर भी अपना मानक स्थापित करके अचीव करते हैं, इसलिए आज यह एनर्जी कंजर्वेशन बिल सरकार लेकर आई है। हर गरीब के घर में और दूर-दराज के इलाकों में बिजली

का कनेक्शन पहुंचाना, किसान के खेत तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाना तथा दुनिया के पटल पर कार्बन एमिशन कम करना, यह लक्ष्य साथ लेकर चलना, यह नीतिगत फैसला देश के प्रधान मंत्री जी ने किया है। इसको हम अचीव कर रहे हैं।

महोदय, आज देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो बिजली का उत्पादन कर रहा है। सबसे अधिक चीन 6875 बिलियन किलोवाट, अमेरिका 4 हजार बिलियन किलोवाट और भारत सिर्फ 1200 किलोवाट। लेकिन यह भी देखना होगा कि पावर जनरेशन में जिस तरह से लगातार 60 प्रतिशत की वृद्धि प्रत्येक वर्ष हो रही है, यह अपने आप में प्रामाणित करता है कि हम कहीं भी अपने विकास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। विकास से कॉम्प्रोमाइज न करने की स्थिति में एक बड़ा अद्भुत तथ्य उभर कर आ रहा है। हम लोगों ने देखा है कि पहले जब इंसान चलता था तो वह सूर्य की रोशनी से तय करता था कि जब सूर्य की किरण बाहर आएगी तो उससे पहले उठ कर हम काम कर लेंगे और 6 बजते-बजते घर में पहुंच जाते थे। उस समय हम सूर्य, लकड़ी, स्ट्रॉ और गोबर पर निर्भर करते थे। उसके बाद दूसरा एनर्जी का सोर्स था— muskels.

हम घोड़े का इस्तेमाल करते थे, विंड्स का और पानी का, इस प्रकार से एक बैलेंस बना था। लेकिन जब सब लोगों को जरूरत हुई तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वर्ष 1752 में बिजली का निर्माण किया। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि बिजली अपने आप में एक प्रगति का कारण है, वह पर्यावरण के संकट का भी कारण बन सकती है या नहीं। न्यूयार्क टाइम्स को वर्ष 1752 में पहली बार बिजली का कनेक्शन न्यूयार्क में दिया। आज से तीन सौ वर्ष पहले जब वह निर्णय हुआ होगा, इस एयर कंडीशन सभा में इस बिजली के साथ, माइक्रोफोन के साथ वहां से चलकर हम यहां तक आये हैं। इस दौरान हम भूल गये हैं कि इसकी एक भरपाई भी करने की जरूरत है। देश के प्रधान मंत्री जी ने उसकी भरपाई करने का निर्णय दुनिया के पटल पर रख कर भारत में सब लोगों को इससे जोड़ा। लेकिन लोग कहते हैं कि भारत इसमें कंट्रीब्यूट कहां करता है? महोदय, मैं जरा वह पन्ना निकाल लूं, जो बहुत ही इंटरस्टिंग है। ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लोग पर्यावरण के प्रति सजग नहीं हैं। दुनिया में पर्यावरण और कार्बन एमिशन का जो टैक्स है— एनवायर्नमेंटल टैक्स, वह दो प्रतिशत है।

भारत में हम सब सवा सौ करोड़ लोग आज एक प्रतिशत देते हैं, कोई कम नहीं देते हैं। हम देते हैं और नीतिगत रूप से मुफ्त बिजली भी देते हैं और टैक्स भी देते हैं। दुनिया में यह समकक्ष संतुलन कोई बनाकर नहीं चलता है।

अगर इसके आगे देखें, यूरॉपियन यूनियन में 70 प्रतिशत बिजली को टैक्स करते हैं तो भारत में हम 50 प्रतिशत करते हैं। यह बात दूसरी है कि डिस्कॉम्स फेल्योर में हैं, लेकिन आज भी हम पर्यावरण के प्रति टैक्सेशन में गंभीर हैं और यह ओईसीडी की रिपोर्ट है। हम एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं, हम इसमें कमजारे थे और इस विधेयक के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आज यहां खड़े हो कर यह कहना है कि सोच क्या होती है और देश के प्रधान मंत्री का विज्ञान क्या है। जब हम पर्यावरण संतुलन की बात कर रहे हैं तो यह हो रहा है कि देश के प्रधान मंत्री जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी किया कि अगर यूरोप में अंधेरा रहेगा, अमेरिका में अंधेरा रहेगा तो भारत में रोशनी रहेगी क्योंकि भारत की बिजली इस रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगी। हम उसे चीन को पहुंचाएंगे, अमरीका को पहुंचाएंगे। देश के प्रधान मंत्री ने दुनिया के पटल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रख दी है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है।

महोदय, अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो सबसे रोचक विषय यह है। ... (व्यवधान) महोदय, हमारा दायित्व क्या है? कार्बन एमिशन और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात करें तो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब कहा करते थे और पूरी दुनिया में यह प्रचलित हुआ – पॉल्युटर्स पे। साहब, अमेरिका का पॉल्युशन क्या है? विकसित देश है, उनका पर कैपिटा पॉल्युशन 20 मिलियन मीट्रिक टन पर हैड है, रशिया का 11 है, ईयू का 9.4 है, जापान, 9.87 है और भारत का कितना है? भारत का 1.4 है और दुनिया का 4 है। हम तो इसमें सब अनुपालन कर रहे हैं। दुनिया के सामने है। लेकिन अगर साथ ही साथ देखा जाए, क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है। चीन आज दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है that is about 10,175 million tonnes of carbon dioxide.

Then comes the United States of America, with a figure of 5,285 million tonnes. Of course, India stands at third place with 2,616 million tonnes. Russia

emits 1,678 million tonnes. If you take per capita, it is the lowest in our country. As per the OECD Report, nations across the world emit around 35,000 million tonnes of carbon dioxide. Yes, it is a challenge, and we need to control it. यही सवाल है, क्योंकि मैं इसको वहां तक इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए वह हमेशा एक विषय रहा है, जिसको मैं इस सदन में भी कहता हूँ और वह है क्लाइमेट चेंज। यह समय है फिर से देश के लोगों को बताने का कि आखिर में कारण क्या है। इसका निर्णय हमें क्या करना है? हो सकती है कि इसकी थोड़ा कॉस्ट हमारे ऊपर ज्यादा आए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के बारे में यदि सोचना है, if we have to think about the posterity, we have to decide about it in this House. We have to decide under the visionary leadership of our Prime Minister.

I will tell you why I am saying this. सन् 1950 में अगर प्री-इंडस्ट्रियल समय में जब हम टैम्प्रेचर राइज़ की बात करते थे, उससे ज्यादा हम बढ़ चुके हैं और हम लोगों का लक्ष्य है क्योटो प्रोटोकॉल के पैरिस एग्रीमेंट में हमने कहा है कि इसको दो डिग्री तक करेंगे। क्यों? आज हमारी आबादी दुनिया की लगभग 7.2 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर गई है। परिणाम क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है, दुनिया का फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है। यह इसका परिणाम है। इसका प्रभाव आज नहीं तो कल हम पर पड़ेगा। पानी का अभाव हो रहा है। वैसे भी पूरी दुनिया में सिर्फ 3 प्रतिशत पानी ही पीने लायक है, 97 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है। 3 प्रतिशत में से भी 1 प्रतिशत ही पीने योग्य पोटैबल वॉटर है और बाकी 2 प्रतिशत तो समुद्र में है, पहाड़ों की चोटियों पर है या धरती के नीचे है। पानी का अभाव है, ऐसी स्थिति में यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो आने वाली पीढ़ियों में हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है।

पौराणिक रूप से कहते थे कि पीपल का पेड़ लगाएं। लेकिन एक पीपल का पेड़ चार दिन में एक पूरे व्यक्ति के ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है, इसीलिए कहा गया है कि पीपल का पेड़ लगाया जाए। एक मधुमक्खी 80 किलोमीटर घूम कर आती है और एक चम्मच शहद बनाती है। मधुमक्खी और बाकी सब जो पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर हम देखें तो लगभग 400 मिलियन छोटी-छोटी तितलियां,

छोटे-छोटे पतंगें, छोटी-छोटी मधुमक्खियां कभी भी हम लोगों से आ कर कुछ मांगती नहीं हैं। वे यह कहती नहीं हैं कि मेरा पेमेंट क्या हुआ, मैंने इतनी मेहनत कर के शहद बनाया है। वे यह कहती हैं कि हमारे बचाने का, हमारे संरक्षण का, पर्यावरण का संरक्षण कर दो, हम मुफ्त आपकी सेवा करते रहेंगे, कभी तुमसे मांगने नहीं आएंगे।

महोदय, आज यह सदन यहां बैठकर यह तय कर रहा है कि मधुमक्खियों को हम कैसे बचाएंगे, तितलियों को कैसे बचाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी यहां सुख-सुविधा से रह सके।

महोदय, मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं। 300 मिलियन पशुओं की मौत होती है। पिछले दस वर्षों में 75,000 गिद्ध मर गए। इसका परिणाम क्या हुआ? जब पशु मरते हैं तो उन्हें पहले वल्चर्स खाते थे।

वे अब उन्हें खा नहीं रहे हैं। वे वहां पड़े रहते हैं, प्यूट्रीफाई कर जाते हैं और उसमें से जो विष निकलता है, उसे एन्थ्रैक्स कहते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो वह एन्थ्रैक्स पूरी दुनिया में फैलता है। जैसे सहारा डेज़र्ट से हवा चली तो भारत की तरफ राजस्थान से होते हुए दिल्ली के ऊपर भी आएगा। वे ऐसे छोटे-छोटे कीटाणु होते हैं कि अगर वे आपके शरीर में प्रवेश कर जाएं तो आपकी नर्वस सिस्टम को हार्म कर सकते हैं। ये सब चीजें 100 सालों में होंगी। इसे रोकने के लिए हम आज काम कर रहे हैं और इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था हम सब यहां कायम कर रहे हैं।

महोदय, मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं। मैं इस विषय पर बहुत कुछ रखना चाहता हूं। लेकिन, आपने मुझे समापन से पूर्व दस मिनट का समय दे दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। लेकिन, यह नियम आज भर के लिए ही है और यहीं तक लागू है, इसके आगे लागू नहीं होगा।

माननीय सभापति: जी। अब से दो मिनट पहले बताएं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, यह मेरे लिए स्पेशल रूप से है, क्योंकि जो प्रस्तावना देता है, उसे इसकी थोड़ी-सी रियायत मिलती है।

महोदय, पर्यावरण के प्रति देश के प्रधान मंत्री जी का और हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी सोच है। माननीय मंत्री जी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं माननीय मंत्री जी को आभार देना चाहूंगा

कि इन्होंने बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। बिहार में तो विशेष रूप से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बिहार का विज़न-2025 है। आने वाले दिनों में बिहार को परिवर्तित कर देना है।

महोदय, मेरे लिए चिंता का एक ही विषय है कि पूरे देश में बिहारी आगे हैं और बिहार पीछे है। माननीय मंत्री जी, इसका रास्ता हम लोगों को बिहार में निकालना है।

महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार।

***SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM):** Hon Chairman Sir, Vanakkam.

Thank you for allowing me to speak on The Energy Conservation Bill, 2022. The Union Government has woken up now at least after 6 years of signing the Paris agreement. I urge that by knowing the importance of Green Energy, this Union Government should concentrate and focus more on that at least from now onwards. This Government is known for false promises and uncertain commitments. Keeping in view the future of our younger generation and showing concern towards protecting our environment and nature, I urge that this Government should focus more on achieving the targets set as part of the nationally determined contributions mentioned in the Paris Agreement. It is a matter of concern that the target set by our Government is not up to the mark or in tandem with the severity of the nature. Twenty-nine per cent of the world's Green House Gas emissions are from USA and European Union. USA and EU have set the target of achieving zero neutrality as regard Green House Gas Emissions. Moreover China, having 27 per cent of world's Green House Gas Emissions, too has set up a target of reaching zero neutrality as regards Green House Gas Emissions by the year 2060. Hon Prime Minister talks about new and emerging India time and again. But India has set a target of achieving this zeroneutrality as regards Green House Gas Emissions by 2070. India contributes only 6 per cent of world's Green House Gas Emissions. But it has set a lengthy period of reaching the target by the year 2070. The irony is that India making less contribution of Green House Gas Emissions has set up the target to be reached

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

by 2070 as a matter of lagging behind all other high polluting countries of the world. If the highly polluting countries of the world can be able to reach this target well before us. Why can't we reach this target well before them? I want to raise this question. We should ponder over this issue as to why we are lagging behind other countries. This shows the lethargic attitude of this Union Government. The Objectives of the Energy Conservation Bill states among various things such as increased use of renewable energy in Industrial set-ups and transport sector infrastructure. But it is a great disappointment that there is no specific scheme with the Government for use of up-to-date technology in this field. This Government says that it is trying to increase the demand for new and renewable energy in our country; to reduce carbon emissions and to fulfil the set targets and commitments made as part of Paris agreement before the year 2030. We should also think of the fact that we had set up a target of achieving zero neutrality as regards Green House Gas Emissions by the year 2070 which is a lengthy period. Our Hon Prime Minister at the Conference of Parties- CoP 26, announce about the Panchamrita. To change this as a real 'Panchmritam', something should be done. Otherwise it will remain as mere announcement. So your actions will be responsible for fulfilment of these commitments. Hon Prime Minister in his commitment expressed as part of Panchamrita Scheme, has stated that by the year 2030 the non-fossil fuel capacity of our country will be increased by 500 Mega Watt. Moreover he has stated that 50 per cent of the nation's energy demand will be fulfilled through renewable energy by the year 2030. What is the new technology you have? What is the alternative source of energy you are trying

to provide? How will you implement this? I want you to clarify in this regard. I urge that your targets should not be mere targets. You should devise concrete schemes for implementing these proposals. You are spending the tax money paid by the general public. You should not waste our tax payer's money if you fail to achieve you set targets. You should go for effective use technology with prudent financial policies. Sectors such as Agriculture and transformed use of land contribute to 15 per cent of Green House Gas Emissions. What is the Governmental plan for reduction of GHG Emissions from these sectors? I think that there is no scheme you have in this regard. This Government is said to focus on solar energy. But 80 per cent of the solar energy components are imported from China. Government has put forth 2.6 billion dollar scheme for reducing this dependency on China. But a major chunk of this money will go to Adani and Ambani, the friends of Hon Prime Minister. You are fulfilling these targets of favouring your friends. Tamil Nadu is a pioneering State in the field of renewable Energy. Tamil Nadu ranks No. 1 in India on wind energy production. Tamil Nadu contributes as much as 45 per cent of wind energy production of our country.

I urge that Union Government should allocate funds and incentivise States like Tamil Nadu which are faring well in renewable energy sector particularly of wind energy. As regards Tamil Nadu, feasibility of producing solar energy is also good. It should be utilised as well. In my Ramanathapuram constituency as well in the coastal areas like Thoothukkudi, Tirunelveli, Kanniyakumari and particularly in the southern districts of Tamil Nadu, the feasibility study should be carried out for setting up of wind mills to produce renewable energy without affecting the

environment. Similarly, there is a feasibility of setting up of wind mills in Western and Eastern Ghats particularly in areas like Pollachi and Coimbatore. The Union Government should work on this. Similarly biomass should be exploited so as to produce renewable energy in all the Municipal Corporations and 140 Municipalities. Our dependence on Coal as fuel should be brought down. With these few words I conclude. Thank you.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, I stand in support of the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022. Some of the objectives of the Bill as spelt out are to mandate use of non-fossil sources including green hydrogen and green ammonia biomass, establish carbon markets, bring residential buildings within the fold of the energy conservation regime, and enhance the scope of energy conservation.

Sir, for long, industry has taken the global place to be the dumping ground for carbon emissions. This Bill is aimed at promoting energy conservation and putting an end to pollution. As a matter of fact, this Bill is an extension of 'polluter pays' principle and it combines all the three responses that we must adopt for energy conservation, that is, use of market forces, use of regulatory framework and also extra focus on renewable energy.

Sir, all the three have to work together if we have to achieve the targets. This Bill is also in the nature of commitment to Treaty obligations. While use of market forces and market framework is a welcome step, much depends on how this framework is put to use and work. If this framework does not work as expected, then it cannot bring about the desired results. Whatever is being done

today is being done a little late here, because in the rest of the world, this use of market framework started much before. It started just after the Earth Summit of 1972. If we have started today and if we want to employ market forces and market framework to control carbon emission, then it is a welcome step. We must expect that whatever framework is provided under this Bill that is made to work efficiently and we are able to achieve our targets. At the same time, we should not bid goodbye to our regulatory framework. Both should work together.

As I said, last of all, we must have extra focus on renewable energy. We must encourage use of renewable energy so that we can have less and less emissions. When we make mention of renewable energy, what is depressing to note is that the Government has not taken adequate steps to encourage use of renewable energy. Government has not incentivised the use of renewable energy.

In lower Himalayan States, particularly in the State of Jammu and Kashmir, it is very important to incentivise use of solar energy and renewable energy because we know that forests constitute carbon VI, apart from six seas and oceans. Depleting forest line is a cause of concern for everyone. If we do not have forests, if our forests are in danger, then the important carbon sink that is available to us which absorbs part of the emissions that we make will no longer be available. So, I would like to request the hon. Minister to provide incentives in the State of Jammu and Kashmir, just not to Jammu and Kashmir but to all the States in the lower Himalayas, so that the forest cover that is available in the country is saved, which in turn will help reduce emissions that are otherwise a

cause of concern, not only in our country but to entire humankind, and will not play a role in climate change and ozone layer depletion.

While taking every step to make the market framework, that is sought to be employed, a success, industry should not be given a freehand. It is because dependence only on market framework without a regulatory framework is not going to bring about the desired results. We cannot give industry a freehand in making emissions only because they pay for it. Carbon trading is all right. But carbon trading has failed elsewhere because the only focus was placed only on carbon trading. Carbon trading has to work side by side with the regulatory framework. We should not downplay the importance of regulatory framework. If we put a cap on emissions, then only we will be able to achieve the objectives as spelt out in the Bill. At the same time, as I requested, we must place extra focus on use of renewable energy so that it is encouraged. In absence of this, the objectives of the Bill may not be achieved.

Thank you.

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Sir, first of all, I would like to thank hon. Sonia Gandhi Ji and Shri Rahul Gandhi Ji for giving me this opportunity to speak on the Energy Conservation Bill.

There are two types of energy, as we all know. One is the green energy and the other is the grey energy. Grey energy will give carbon and ash but green energy is derived from hydro, solar, and tidal sources, and many other factors. This Bill mainly motivates the use of non-fossil renewable energy and discourages the use of fossil fuel. As we all know, this universe has a limited

source of fossil fuel and according to the Paris Agreement, hon. Prime Minister has also promised that, by 2030, around 33 per cent to 35 per cent of reduction of carbon emission will be achieved by India. We appreciate it.

Now, let us see the salient features of the Bill. The first point is on the usage of alternative fuel like green ammonia, green hydrogen, bio mass and ethanol. At this point of time, I would like to say that the world's largest and the cheapest producer of green hydrogen is Adani. It is a fact. Where is the Government heading? There is no doubt that the Bill has to be passed. Conservation is important and carbon emission should be restricted but where? We have to see who is this Bill going to ultimately favour. Hindustan should not become ... * (*Interruptions*) Sir, it is a fact.

माननीय सभापति: यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (*Interruptions*) ... *

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सौगत दा, इनको बोलने दीजिए।

DR. M.K. VISHNU PRASAD: This Bill again proposes to give Carbon Emission Certificates which we appreciate. Thirdly, there is a provision of increase of members of the Governing Council of the Bureau of Energy Conservation from four to seven. We appreciate it. The fourth provision is very important which is giving a chance to the carbon neutral companies. We all appreciate these provisions. But there are some grey areas where we have to focus.

* Not recorded.

Construction of green buildings is the first area. Of course, the investment is very high. It is around 15 per cent more and time consuming with special design and architect. Who is skilled in India to do it and how are you going to achieve this? It is a million dollar question.

Then, the carbon neutral companies will give energy. We welcome it but from where will these carbon neutral companies find sources to produce this energy? Obviously, they will be buying from some other company and how far are they going to be carbon neutral companies is again a space of ambiguity into which we have to go into depth. If that is going to emit more carbon like production of steel is giving 35 per cent carbon, then the idea gets defeated. Moreover, the Governing Body is giving the Carbon Certificate. It is not the Government which is giving it. Some NGOs may give it. Then people will have to believe the authenticity of this certification.

Lastly, the members of the Governing Body of the Bureau of Energy Conservation have under-utilised the funds by around 50 per cent in the last two years. This has to be taken seriously.

Most importantly, we are talking about clean energy. I would like to quote from Ramayana which you will not object to..... (*Interruptions*) In Ramayana, Rama was feeling very weak to defeat Ravana. So, he went and prayed Aditya. “यतो युद्ध परिस्थातम समरेष्टि याच्छितम” This was recited by Agasthya Muni to Rama as he had to derive energy from solar or Sun, Ravi or Hari. When that is the case, this Government has reduced the budget for Solar Energy Corporation, which is

the only PSU run by the Ministry of New and Renewable Energy, from Rs. 1800 crore last year to only Rs. 1000 crore this year.

Where is the balance? What is the justification that the Government is going to give? You have to increase the solar energy; you have to increase the generation of solar power. But you are reducing the fund allocation. At the same time, around 60 per cent subsidy on solar panels is being reduced by this Government and GST on it has been increased from 5 to 12 per cent. Where is the justification? The import duty for the solar panels has been increased. I appreciate that the Government wants to encourage the domestic manufacturing companies.

All appreciate that. But the domestic manufacturing companies have to import certain components from abroad. This import duty is going to cost them very heavily. So, these things have to be considered.

Sir, TATA is going to invest around rupees 311 billion in phased manner to achieve the carbon neutral status. Their two electric cars are having almost 70 per cent share. What is the Government of India doing? Why are they not promoting the electric vehicles to be manufactured by Government PSUs? Why are they keeping quiet? This Bill will be passed only to favour certain private companies. If they are contributing to the zero emission, I have no objection.

Ambani is going to invest around rupees 78 billion. Adani is going to invest around rupees 70 billion. Seeing that Adani is going to invest in zero carbon emission status, TotalEnergies, a French company, has invested around rupees 20 billion. It has taken 20 per cent stakes. Why are these things happening? Why

can the Government not support a PSU for this? Around seven Maharatna companies have invested 11 times more on fossil fuel energy. Why can they not invest in this green energy? The Government has to clarify these things. I strongly oppose this Bill for all these things. The concept of energy conservation is very good.

Today, the hon. Minister is going to pass this Bill without considering our viewpoints because of mammoth majority. He has exhausted a lot of energy on Electricity Bill. He has to conserve the energy in order to save our country. I strongly oppose the Bill.

Thank you.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, I, on behalf of my Party, Biju Janata Dal, rise to support the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022 which seeks to enable the provisions to make use of clean energy including green hydrogen mandatory and to establish carbon market.

This Bill seeks to mandate the use of non-fossil sources including biomass and ethanol for energy and feedstock along with the use of green hydrogen and green ammonia. It also proposes to enhance the scope of Energy Conservation Building Code and bring large residential buildings within the ambit of energy conservation regime.

It is important to note that the Energy Conservation Act, 2001 was last amended in 2010 to address various new factors which had emerged over a period of time and to provide for more efficient and effective use of energy and its conservation. A need has, thus, arisen to further amend the Act to facilitate

climate targets committed at COP26 Summit for promotion of renewable energy and development of domestic carbon market to battle against climate change.

Now, I would like to highlight some features of this Bill and our observations. One of the unique features of the proposed amendment is that it introduces the concept of carbon trading. Carbon trading is a fairly effective mechanism towards reducing carbon emissions and involvement of private players in sustainable climate change. It was adopted by the European Union to slow down the climate change. However, there are various drawbacks to it. Carbon trading involves high transaction costs, as each farm pollutes at varying levels and it is difficult to calculate the extent of pollution. Hence, there is a dire need to propose the parameters on the basis of which fair and accurate computation of carbon emissions will take place. Further, a mechanism to regulate carbon trading and ensure transparency is missing and it needs to be set up.

Sir, this Bill also introduces the 'concept of sustainable buildings', a phrase, which had been missing in the words of the Act. It provides norms and standards in the building code for energy conservation, and efficient use of renewable energy. This is a commendable feature as it fills the gap in the existing Statute, and is a progressive step in the direction of achieving sustainable development.

Another important feature in the proposed amendment is that it allows the State Commissions to make regulations and decide the fees payable for various applications. The Bill will also empower the State Governments to make rules regarding fees to be charged, services by the designated agency for promoting

efficient use of energy along with the preparation of the budget of the designated agency. This accords the flexibility to States to make rules as per their specific requirements.

In conclusion, Sir, I would like to state that promotion of renewable energy conservation as well as efficient use of energy and carbon credit trading are the need of the hour to achieve the sustainable development goals in line with the Paris Agreement.

For India to battle climate change, we must mandate the use of non-fossil resources and ensure that we reduce our dependence on carbon, which is very, very important. It is remarkable that this Bill also recognises vehicles and vessels as sources of energy exploitation. Carbon credit market comes at a high transaction cost. So, accurate parameters as well as transparent mechanisms for regulation of carbon trading need to be set up.

Sir, in the words of our hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik, Sir: “Sustainable management of our natural resources and bounties of Mother Earth is deeply linked to human health and better future. Let us all learn to live in harmony with nature and keep it healthy for future generation.”

This push for carbon markets is especially essential as India aims to turn carbon-neutral by 2070. We wholeheartedly support this Bill, and at the same time hope that the Government looks into some of the concerns highlighted by us on behalf of our party, the Biju Janata Dal.

Thank you, Sir. Jai Hind, Vande Mataram.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill.

The hon. Power Minister is one of the good learned friends of mine. But I am still in utter confusion whether to support this Bill or to oppose this Bill. Why? It is because this Bill is ambiguous, vague and unclear. Also, the intent of the legislation is not manifested in the Bill. That is the basic reason why I am in a confusion whether to support this Bill or oppose this Bill.

I will explain it. The basic and the most important ingredient to be followed in a legislative process is: 'what is the intent of the Bill? What are the aims and objects of the Bill by which they are to be achieved?' Here, it is quite unfortunate to note that the intent of the amendment proposal is not manifested in the Bill.

If we look at the original, principal Energy Conservation Act, 2001, it was enacted to provide for the efficient use of energy and its conservation, for which a Bureau of Energy Efficiency was established to enforce the measures of this efficient use of energy and its conservation.

Sir, none of us in this House will oppose the basic concept of efficient use of energy and its conservation. Nobody opposes it; and we fully support it because it is the need of the hour. Not only for the present generation, but for the future generation also, it is highly essential. So, we fully support it.

Further, Sir, it was our commitment in COP 26, Glasgow Climate Change Conference. We have the "Panchamrit" having the five important elements, the five principles which the Government of India had committed in that Conference. By this amendment, as per the Statement of Objects and Reasons, the

Government intends to (i) facilitate the achievement of “Panchamrit”— as five nectar elements presented by India in COP-26 (Conference of Parties -26) in Glasgow 2021; (ii) promote renewable energy and development of domestic Carbon market to fight climate change; (iii) introduce a new scheme of Carbon trading and mandate use of non-fossil energy sources.”

Sir, here, I do support the aforesaid three provisions. They are: (i) mandate use of non-fossil energy sources by prescribing minimum consumption of non-fossil energy sources; (ii) bring large residential buildings under regime of Energy Conservation regime; and (iii) strengthening the Bureau of Energy Efficiency by increasing the number of Board Members . I do support them.

Sir, there is a new concept of carbon market. I have a very serious apprehension, for which, I am seeking a detailed clarification from the hon. Energy Minister. This is a new concept incorporated in this Bill. I reasonably apprehend that this Amendment Bill is designed with the sole objective to facilitate carbon trading. I draw your attention to one thing. It is very interesting to note the meaning of carbon trading or carbon market. It is not defined in the Bill. That is my strong objection. According to my limited knowledge or information or on the basis of my reference or homework, I could understand what is carbon trading. The carbon trading is a system of country's meeting the national carbon dioxide reduction by buying carbon credit as earned when a firm funds a project for a technology that is less polluting than the other options. For example, carbon emission is less polluted from the gas-based power plants than the diesel-based. I would like to know whether the amount of carbon saved is the

credit. This is my information or my knowledge. Here, in this Bill, I would like to ask or seek one clarification from the hon. Minister. Was the carbon trading or the carbon credit scheme explained? Nothing is being explained. Then, what for the Parliament? The Parliament has the authority to know what is meant by carbon credit scheme.

Sir, Section 2(db) is the definition clause or the explanation clause for the carbon credit scheme. It means, a Scheme for the reduction of carbon emission notified by the Central Government under Clause (w) of Section 14. In Section 2(db), it is stated that it will be specified in Clause (w) of Section 14. What Section 14(w) says? It says that the Central Government may in consultation with the Bureau of Energy Efficiency specify the carbon credit scheme. Who knows what is the carbon credit scheme? The Parliament has the authority. It is the prerogative of the Parliament to know what is the carbon credit scheme. In Section 13, it is also explained. In Section 13 sub-Clause (te), the Bureau of Energy Efficiency has the power to recommend to the Central Government on the requirements to be specified in the carbon credit scheme. What are the requirements to be explained or incorporated in the carbon credit scheme will be recommended by the Bureau of Energy Efficiency. Section 14(w) will explain or specify a scheme and definition says that it will be as per Section 14(w).

I would like to know from the hon. Minister what is carbon credit scheme according to this legislation. According to this legislation, there is no specific, clear-cut definition as far as the carbon credit scheme is concerned.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.

... (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I will conclude with two suggestions.

That means, you are putting the Parliament in darkness. My apprehension is that there are some ulterior motives and for which I would like to seek a clarification from the hon. Minister.

Sir, I am putting two suggestions. One is that it is very important to distinguish between trade 'within the country' and 'between the countries'. I caution the Government not to lose our control over the forests to corporates in the name of carbon trading. Secondly, I urge upon the Government of India to use the UN forums to argue for the carbon reduction. Please remove the shortcuts like carbon trading. It is because climate change is a very serious issue. The world requests actual reduction in carbon emission to resolve this issue. The carbon emitters may avoid actual reduction in carbon emission in the name of carbon trading. That will further worsen the climate change. So, subject to this strong reservation on this carbon trading, I support other provisions of the Bill. I am seeking a crystal-clear clarification from the hon. Minister regarding this aspect.

With these words, I conclude. Thank you very much, Sir, for giving me this much of time.

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : महोदय, मुझसे पूर्व जो वक्ता था, उन्होंने कार्बन मार्केट और कार्बन ट्रेडिंग पर कई बातें रखी हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। ये सच है कि इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स और कंसर्न्स हैं, तो शायद बेहतर रहेगा कि सरकार इस बिल को

आने वाले समय में स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करे। हम भारत में किस प्रकार से कार्बन मार्केट और कार्बन ट्रेडिंग लागू कर पाएं, ताकि उसके प्रति हम विचार-विमर्श कर सकें।

मेरी सबसे पहले सरकार से ये गुजारिश होगी कि जब वे इमिशंस ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो सरकार लेजिस्लेशन के द्वारा इमिशंस पर एक कैप बनाए।

आप एक हार्ड कैप इंट्रोड्यूस करें, ताकि जो हाई इमिशंस एनटीटीज़ हैं, उनको पता चल जाए कि वे कौन से कैप तक इमिट कर सकते हैं और किसके बाद वे कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में इंडस्ट्रीज़ इस कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म को अपनाए तो हमें इंडस्ट्रीज़ को यह पहले से बताना पड़ेगा कि ग्रीनहाउस इमिशंस के लिए हार्ड कैप क्या होना चाहिए। इवन, कहीं न कहीं ये इमिशंस ट्रेडिंग दुनिया में सफल हुए हैं तो कहीं पर ये विफल हुए हैं। इसलिए हमें इस पर जोर देना है, क्योंकि न सिर्फ इसमें क्लाइमेट चेंज जुड़ा हुआ है, बल्कि इसमें वायु प्रदूषण भी जुड़ा हुआ है।

दूसरी बात यह है कि जो कंपनीज़ वास्तविकता में कार्बन ट्रेडिंग अच्छी तरह से कर सकती हैं, उनको हमें इंसेंटिव देना चाहिए और जो कंपनीज़ नहीं कर पा रही हैं, इसमें वे चोरी कर रही हैं, उनके लिए भी आप इस लेजिस्लेशन में स्ट्रिक्ट पैनल्टी लाइए, जो कि वर्तमान लेजिस्लेशन में नहीं है।

तीसरी बात यह है कि हमने कार्बन ट्रेडिंग को देखा हुआ है। खासकर पावर जनरेशन में देखा है। पश्चिमी देशों में यह देखा गया है कि वहां पर जब भी कार्बन ट्रेडिंग या किसी प्रकार की नई पॉलिसीज़ से कंपनीज़ पर एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन आता है तो वह पूरा का पूरा बर्डन ग्राहकों को दे देती हैं। ऐसा बहुत हुआ है। The power sector transfers the burden of these emissions to the consumers. इसलिए हमें कहीं न कहीं डर उस इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी है कि अगर आप पूरी तरह से इसे प्राइवेटाइज कर देंगे और आने वाले समय में अगर कोई निजी कंपनी अपना बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ा देती है तो हम उससे गरीब और किसानों को कैसे बचा पाएंगे?

चौथा, सरकार की तरफ से यह सुझाव है कि आपको रेवेन्यू मिल सकता है। इमिशंस ट्रेडिंग के साथ आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है, लेकिन आप इस रेवेन्यू को लेकर कहां जाएंगे? रेवेन्यू से आप सिर्फ स्टेट फिस्कल या फिस्कल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से आज

जो सबसे गरीब लोग हैं, जो कृषक हैं, उनकी आप इस रेवेन्यू से मदद कर सकते हैं। आज दुनिया में एनर्जी कोस्ट बढ़ गई है। अगर आप गांवों में जाएंगे या किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वे सब बोलेंगे कि आज इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है। आज ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए आपको जितना भी रेवेन्यू मिले, उससे गांवों में या छोटे-छोटे कस्बों में लोगों को सहायता मिले, उसे आप देखिए।

सर, मुझे तीन पॉइंट्स के बारे में और बोलना है। आखिरी के जो तीन पॉइंट्स हैं, उसमें यह है कि आपने सबसे पहले पावर जनरेशन की बात की है कि यह हमारे पावर रिन्यूएबल्स आएंगे, ये विंड्स आएंगे, ये सोलर्स आएंगे, ये हाइड्रो पावर्स आएंगे, लेकिन ग्रिड का क्या होगा? क्या आज हमने उस प्रकार के ग्रिड्स बनाए हैं, जो हाइब्रिड मॉडल में चल पाए, जिसे हाइड्रो पावर से चलाया जाए, जिसे थर्मल से चलाया जा सके, विंड से चलाया जा सके या सोलर से चलाया जा सके? इस प्रकार के ग्रिड्स पर क्या हमने रिसर्च की है या इन्वेस्ट किया है? क्या हमने किसी तरह का पायलट किया है? यदि हम सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे और ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान नहीं देंगे तो यह सिर्फ आपका प्रोडक्शन ही रह जाएगा। आज हम समुद्र से घिरे हुए हैं। इंडियन ओसियन हमारे दक्षिण में है। आज एक टाइडल एनर्जी को लेकर भी बातें होती हैं। It is a huge form of renewable energy. आज ऐसे कुछ छोटे-छोटे देश हैं, जो टाइडल एनर्जी में सबसे आगे हो गए हैं। आज स्कॉटलैंड जैसा छोटा देश टाइडल एनर्जी में बहुत आगे हो गया है। हम कब आगे होंगे, यह हम जानना चाहते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दें। नई एनर्जी तथा नए स्टार्टअप्स पर जोर दें। यह जिम्मेदारी न केवल केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की बनती है, बल्कि हमारी जो निजी कंपनियां हैं या जो स्टार्टअप्स हैं, उनको भी हम तंदुरुस्त कर सकते हैं।

मैं लास्ट में यह बोलना चाहूंगा कि आपने अमोनिया की बात की है। आप कहीं न कहीं ग्रीन मेथेनॉल की भी बात कीजिए, क्योंकि इस देश में मेथेनॉल पर बहुत बातचीत हो रही है। पूरा बायोमास बेस मेथेनॉल है, वह भी बहुत कार्बन इमिटिंग है। हम बायोमास बेस मेथेनॉल जनरेशन की बात कर रहे हैं, वह भी बहुत हाई इमिटिंग है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स से जो ग्रीन मेथेनॉल आए, उस पर भी आप जोर दीजिए।

लास्ट में मैं यह बोलना चाहूंगा कि हमने जो भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स देखे हैं, उसके लिए हमें अच्छा लगता है कि वह तमिलनाडु में है, अच्छा लगता है कि आपके स्टेट राजस्थान में है, लेकिन हमें भी यह चाहिए कि उत्तर पूर्वांचल में, जहां पर सोलर इंटेंसिटी है, आप वहां पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी स्थापित कीजिए, जिससे उत्तर पूर्वांचल में भी हम रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन कर पाएं। हमने हाइड्रो पावर के साथ उत्पादन किया है, लेकिन हम हमारे एन्वायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी के साथ बहुत कन्सर्न है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप रिन्यूएबल एनर्जी और बायोमास पर अच्छी तरह से रिसर्च करके उत्तर पूर्वांचल को भी ग्रीन इंडिया में भाग लेने का एक मौका दें।

माननीय सभापति: डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे – उपस्थित नहीं।

डॉ. मनोज राजोरिया जी, आप दो मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

डॉ. मनोज राजोरिया(करौली-धौलपुर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

महोदय, मैं आज एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, 2022 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वर्ष 2014 में सरकार आने के बाद देश के प्रत्येक व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में किया जा रहा है, उसी की एक कड़ी के रूप में यह विधेयक आज लोक सभा में लाया गया है।

महोदय, इस विधेयक में बहुत से ऐसे सुधार हैं, जो देश को आज से 100 साल बाद भी रिन्यूएबल एनर्जी किस तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं, उसको आगे लेकर जाएगा। जो पेरिस का समझौता, 'कॉप-26' समझौता किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो समझौता किया गया था, उसको भी प्राप्त करने में यह महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमने जो 'वन नेशन वन ग्रिड' बनाई है, उसके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से किस तरीके से देश रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों को बढ़ाता जाएगा और जो फॉसिल एनर्जी है, जो पारम्परिक ऊर्जा का स्रोत है, जिससे कॉर्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, उसको कैसे कम किया जाएगा, इस क्षेत्र में यह बिल बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। महोदय, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कार्बन मार्केट की बात हमारे कुछ मित्र कर रहे थे। किसी भी चीज की ऊर्जा की जब ग्रेडिंग की जाती है, आज शिक्षा के क्षेत्र में भी 'नैक'

की ग्रेडिंग की जाती है, इसी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में जब कार्बन मार्केटिंग की जाएगी, तब उसका एक सर्टिफिकेशन भारत सरकार या उसकी किसी अथोराइज्ड एजेंसी द्वारा किया जाएगा, तब किसी संस्था को यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उसकी जो ऊर्जा उत्पादन शक्ति है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कितना योगदान है और फॉसिल एनर्जी का कितना योगदान है।

सभापति महोदय, मुझे लगता है कि इस बिल के माध्यम से भारत राज्यों के साथ अच्छा समन्वय करेगा, क्योंकि इसमें राज्यों को शक्ति दी गई है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी का अधिक से अधिक उपयोग करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत सरकार यह कानून लेकर आई है, इसके माध्यम से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को, रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकताओं को अगले 100 वर्षों में पूरा करके, न सिर्फ प्रत्येक भारतीय व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का काम किया है, बल्कि दुनिया में भारत का नाम और भारत की लीडरशिप किस तरीके से स्थापित की जाए, प्रत्येक व्यक्ति के घर में रोशनी की जाए, उस रोशनी को पहुंचाने का काम भी इस बिल के द्वारा किया जाएगा।

सभापति महोदय, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आज इस देश में इतना बड़ा काम किया जा रहा है, अगर मैं पिछले 8 वर्षों की बात करूं तो वर्ष 2014 से अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विद्युत सुधार के काम किए गए हैं, मैं सिर्फ इन कामों का नाम लेना चाहूंगा। अगर मैं विद्युत के क्षेत्र में लाई गई जनकल्याणकारी नीतियों की चर्चा करूंगा तो मुझे लगता है कि कई घण्टे कम पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे दो मिनट का समय दीजिए, मैं इन नीतियों का सिर्फ नाम बताना चाहूंगा।

वर्ष 2014 के बाद में जिस तरीके से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाई गई, इसके माध्यम से देश में 83 नए सब-स्टेशन लगाए गए और 284 का संवर्धन किया गया, ट्रांसमिशन की स्थापना की गई है। एकीकृत विद्युत विकास योजना लाई गई है, सौभाग्य योजना लाई गई है, जिसमें हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया गया और स्मार्ट मीटरिंग का काम किया गया। आज देश में 19 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटरों की स्थापना की जा चुकी है। जल के माध्यम से, विद्युत के माध्यम

से, सोलर एनर्जी के माध्यम से, हाइड्रोजन एनर्जी के माध्यम से और ऐसे ही अनेक ऊर्जा के नए स्रोतों के माध्यम से देश के अंदर ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो, उससे कॉमर्शियल उत्पादन हो, रेजिडेंशियल उत्पादन हो, कृषि क्षेत्र में हो और न सिर्फ भारत की आवश्यकता को पूरा किया जाए, बल्कि विदेशों में भी कैसे निर्यात किया जा सकता है, इसका प्रयास किया गया है। मैं यह विश्वास करता हूँ कि ऊर्जा के माध्यम से यह देश, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।

माननीय सभापति : डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, आप दो मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था :

“When the well is dry, we know the worth of water.”

उनकी कही हुई यह बात आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन पूरे देश में चर्चा का एक विषय है।

इसका सबसे प्रमुख कारण फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने ग्लासगो सबमिट में भारत का पक्ष रखा, जिसके अंतर्गत हमारे एमिशन टारगेट्स क्या होंगे, किस प्रकार हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कैसे भारत जलवायु परिवर्तन के विषय पर एक अग्रणी भूमिका में रहेगा। हमारी प्राथमिकता अब यह होनी चाहिए कि किस प्रकार इस लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाए और हमारा वर्तमान तथा भविष्य सुरक्षित किया जाए। आज इस सदन में हम एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा कर रहे हैं, जो सबसे पहले वर्ष 2001 में लाया गया था और वर्ष 2010 में अमेंड हुआ था। आज 12 वर्ष बाद इस कानून में संशोधन किया जा रहा है। देश में ऊर्जा का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी हो गया है। वर्तमान में ऊर्जा का संरक्षण करने से भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कई प्रकार की समस्याएं कम हो जाएंगी। यदि वर्तमान में ऊर्जा संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऊर्जा या एनर्जी की बात करें तो इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद

जैसे हमारे शास्त्रों में ऊर्जा का वर्णन है। हमारे देश में ऊर्जा हर एक्टिविटी का स्रोत है, चाहे वह अर्थव्यवस्था से संबंधित हो या आम आदमी के जीवन से हो। इसलिए आज यह बिल और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारा भविष्य तय करेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है, उसके गोल को भी हम अचीव कर सकेंगे।

महोदय, क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है, उसमें बाढ़ तथा सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं और भीषण होती जा रही हैं। उसमें 90 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नुकसान होता है। यह हर साल की कहानी है। इसमें बहुत से लोग, जिनमें किसान, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति एक नकारात्मक ढंग से प्रभावित होते हैं। आज सदन में चर्चा और संवाद हो रहा है। मुझे भरोसा है कि सरकार एक सकारात्मक एक्शन प्लान की संरक्षा करेगी, क्योंकि यह विषय राजनीतिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित और हमारे विकास से संबंधित है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ला रही है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन एक डायनेमिक और इवॉल्विंग सब्जेक्ट है तथा टेक्नोलॉजी के साथ हम क्लीन एनर्जी की तरफ भी भर रहे हैं।

सर, मेरे कुछ सुझाव हैं। इस विधेयक में क्लोज थ्री के माध्यम से सरकार ने एनर्जी एफिसिएंसी के सदस्यों की संख्या 26 से बढ़ाकर 37 कर दी है और इस कमेटी में मेजर कंपोजीशन ब्यूरोक्रेट्स का है, लेकिन एनवायरनमेंटलिस्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। इस संसद में हमारे ऐसे कई साथी हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं।

मेरा सुझाव है कि इस कमेटी में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कि ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसे लोगों को भी डालें। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस का दायित्व सबसे मैक्रो लेवल पर एनर्जी कंजर्वेशन करना है तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें यूएलबी और पंचायत को भी भागीदार बनाया जाए।

मेरा इसमें एक और सुझाव है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत सबसे ज्यादा शेयर सोलर एनर्जी का है, लेकिन वर्तमान में सोलर एनर्जी का प्रयोग सिर्फ इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एंटीटीज द्वारा किया

जा रहा है, लेकिन रेजिडेंशियल सेक्टर में अभी भी यह स्कीम पॉपुलर नहीं है। इसका प्रमुख कारण है कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में सोलर प्लांट या रूफटॉप ग्रिड लगाने के लिए किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। जिस प्रकार से आज इस बिल के माध्यम से आप ऑफिस बिल्डिंग और रेजिडेंशियल एरियाज़ को एनर्जी कंजर्वेशन कोड के अंतर्गत ला रहे हैं, वैसे ही रेजिडेंशियल सोलर सब्सिडी या इंसेंटिव के लिए भी सरकार कोई योजना लाए।

महोदय, इसके अलावा मेरा एक और सुझाव है कि सरकार द्वारा 50 में से सिर्फ 39 सोलर प्लांट्स को स्वीकृति दी गई है और उसमें से सिर्फ 8 पावर्स का काम पूरा किया जा सका है और 6 पावर्स ऐसे हैं, जिनका पार्शियल कंप्लीशन हुआ है। हमारा 40 गीगावाट का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे मिशन मोड में पूरा किया जाए। सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सबसे बड़ा इश्यू जमीन की उपलब्धता का है। इसके लिए सरकार को पीएसयू की सरप्लस लैंड को यूटिलाइज करने की योजना बनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसे कोचीन एयरपोर्ट फुली सोलर पावर प्लांट पर चल रहा है, वैसे ही अन्य एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन्स को भी सोलर प्लांट्स पर चलाने की योजना बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमारा फोकस अभी तक सिर्फ स्टैटिक सोलर प्लांट्स पर है, लेकिन अब हमें फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खाण्डवा में नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। मेरा सुझाव यह है कि देश के अन्य राज्यों में भी नदियों पर ऐसे सोलर पावर प्लांट्स लगाने की आवश्यकता है।

16.00 hrs

क्योंकि ये न सिर्फ एनर्जी जेनरेट करेंगे, बल्कि इन्हें हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरह विकसित कर सकते हैं।

मेरा अगला सुझाव हाइब्रिड मॉडल से संबंधित है। अब हमें हाइब्रिड मॉडल ऑफ रिन्युएबल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सरकार ने सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट की एक योजना बनाई है, लेकिन अब आवश्यकता है कि सोलर एनर्जी के साथ अन्य रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेज को भी

हाइब्रिड मॉडल पर शुरू किया जाए। जैसे वेस्ट अफ्रीका में नॉर्वे सरकार एक सोलर हाइड्रो हाइब्रिड प्रोजेक्ट बना रही है, घाना, वेस्ट अफ्रीका में चार सौ मेगावाट के हाइड्रो सोलर प्लांट्स का निर्माण हो रहा है।

कल मिथुन रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश में सोलर हाइड्रो पावर प्लांट का एक उदाहरण दिया था। मुझे लगता है कि दिन में सोलर पावर प्लांट काम करेगा और रात में ग्रेविटी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन होगा। यह एक अच्छा मॉडल है, इसे पूरे देश में रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी है।

हम स्मार्ट मीटर्स लगाते हैं, लेकिन उनसे हमें केवल रीडिंग का अनुमान मिलता है। हमें यह अनुमान नहीं मिलता है कि कौन-सा एप्लायंस कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? स्मार्ट मीटर्स सिर्फ एनर्जी रीडिंग के लिए न हो। पहले के पुराने मीटर्स को चेंज करके केवल डिजिटाइज किया गया है और उनको स्मार्ट मीटर्स कहा गया है। मुझे लगता है कि जैसे विदेशों में है कि कौन-सा एप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी सेविंग के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Thank you Dr. Shinde.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Sir, I will make one last point.

Coming to international best practices bringing in here learning outcomes from other countries on energy efficiency measures could be relevant to maximise the gains from energy efficiency. For example, Japan has developed a carbon reduction reporting system for small and medium enterprises which involves both mandatory and voluntary reporting to the Tokyo Municipal Government. Based on these inputs, the Tokyo Municipal Government then educates the SMEs about e-strategies to gear them in a desirable direction.

If you look at Brazil, an improved public transportation system has led to one of the lowest per capita gasoline consumptions in Brazil despite the second highest car ownership rate.

इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यह बहुत अच्छा विधेयक है। इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है।... (व्यवधान)

THE MINISTER OF POWER AND MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI R.K. SINGH): Thank you, Chairman Sir. I want to first thank all the hon. Members who spoke – Jagdambika Pal ji, Mahua Moitra ji, Jayadev Galla ji, P.V. Midhun Reddy ji, Santosh Kumar ji, Girish Chandra ji, G. Ranjith Reddy ji, Adhir Ranjan Chowdhury ji, Supriya Sule ji, Rajiv Pratap Rudy ji, K. Navaskani ji, Hasnain Masoodi ji, Pon Gautham Sigamani ji, M.K. Vishnu Prasad ji, Anubhav Mohanty ji, N. K. Premachandran ji, Gaurav Gogoi ji, Manoj Rajoria ji, Shrikant Eknath Shinde ji. The debate was poised and most of the members have supported this Bill.

16.04 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

Hon. Speaker, Sir, in the power sector there are many things which we can be proud of as a country.

इस सेक्टर में हमने जो काम किया है, उस पर हमें दुनिया भर में गर्व करने का अधिकार है।

When we connected every village in just about 987 days – the Prime Minister had given us a target of 1,000 days – at that time, the International Energy Agency came out with a tweet saying that this was the best news in the energy sector in 2018. We connected 28.6 million homes. Now, the figure stands at 28.8 million homes. हम लोगों ने हर घर को कनेक्ट किया है। The direction still stands that अगर कोई घर छूटा हुआ है, तो हमें उसे भी कनेक्ट करना है। If any house is left out, that also has to be connected. When we connected 28 million homes in just about 18-19 months,

the International Energy Agency said that this was the largest expansion of access in the shortest time frame ever in the history of the power sector.

We have done this as a country. In one stroke, we connected every village, every home. We converted our country from power deficit to power surplus. Today, we have about 4,00,000 MW installed capacity. We connected the whole country to one grid, converting our grid into the largest grid in the world. These are the things one should be proud of. We should be proud of it. This is not me saying it. All the countries say it. We can be proud of our record in energy transition in the installation of renewable energy capacities. We can be proud of it as a country.

Mr. Speaker Sir, our per capita emissions are one-third, the lowest in the world. Our per capita emissions are the lowest in the world. Despite that, we have emerged as the only large economy, and the only G-20 country whose energy transition is in consonance with the goal of maintaining a sub two-degree rise in global temperature. हमारा पर-कैपिटा एमिशन दुनिया में सबसे कम है। लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन में और एमिशन कम करने का जो टारगेट है, उसमें हम दुनिया के लीडर्स में एमर्ज किए हैं। अभी रिन्यूएबल एनर्जी कपैसिटी की बात हो रही थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि आज हमारी नॉन-फॉसिल फ्यूल की स्थापित क्षमता 1,67,000 मेगावॉट की हो गई है और लगभग 82 हजार मेगावॉट अंडर-इंस्टॉलेशन है। जिस गति से रिन्यूएबल एनर्जी में नॉन-फॉसिल फ्यूल की बढ़ोतरी हुई है, अगर उसमें से न्यूक्लियर निकाल दें, तो हमारी स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी कपैसिटी, जो 1,61,000 मेगावॉट है और 72 हजार मेगावॉट अंडर-इंस्टॉलेशन है। लोग कह रहे थे कि, we had promised that by 2022, we will establish 175 GW of renewable energy capacities, and we have

missed it. But this is the position, we have not missed the target. We are not only on the target, but in fact, we are ahead of the target. We would have been much ahead of the target if COVID-19 had not intervened. Remember, I am only talking about renewable energy capacity. I am not adding nuclear. My installed renewable energy capacity is 161 GW and 72 GW is under installation. We have had the fastest rate of growth of renewable energy capacities in the world. जिस गति से हमने रिन्यूएबल एनर्जी कपैसिटी को जोड़ा है, यह दुनिया में सबसे तेज गति है। यह हम नहीं कह रहे हैं, the whole world says it. So, as a country, we can be proud of it. One of our NDCs we have fulfilled nine years in advance, is capacity. Now, our established non-fossil capacity is more than 41 per cent of my total capacity

(Interruptions) Let me complete. ... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। मैं सभी मंत्रियों और सभी सदस्यों को कहता हूँ। अगर कोई माननीय सदस्य बीच में बोलने के लिए उठ जाएं, तो आप उनका जवाब मत दीजिए।

SHRI R.K. SINGH: Thank you, speaker Sir. so, as I said, our rate of renewable energy capacity has been the fastest in the world. It is not me saying it, the whole world says it. We have emerged as the most attractive destination for investments in renewables. This is not me saying it, the whole world is saying it. This is something which has happened, by shall we say, a consensus. Now in many countries, you will find that there is not much of a consensus as far as energy transition is concerned.

In many developed countries, there is no consensus. In our country, there is a consensus. हमारे देश के सभी राज्य इस बात पर सहमत हैं कि हाँ, हमें रिन्यूएबल एनर्जी

कपैसिटी लगानी चाहिए, हमको एनर्जी ट्रांजिशन करना है, हमको अपने एमिशंस कम करने हैं। जैसा कि हमने कहा कि one NDC we have achieved nine years in advance. दूसरा एनडीसी हमने पेरिस में प्लेज किया था। दो प्लेजेज किए गए थे। एक यह था कि हम वर्ष 2030 तक अपने पॉवर जनरेशन कपैसिटी का 40 प्रतिशत नॉन-फॉसिल से कर देंगे। वह हमने वर्ष 2021 में कर दिया। दूसरा, हमने कहा था कि हम अपने एमिशंस इनटेंसिटी को घटाएंगे as against 2005 levels by 33 to 35 per cent by 2030. ऑलरेडी हमारा जो एचीवमेंट है, it is nearing 30 per cent. उसे भी हम लोग समय के पहले अचीव कर लेंगे। यह सभी लोगों की सहमति से हुआ।

यहाँ पर मिसिंग टारगेट्स की बात हो रही थी। We are ahead of the target. Please be proud of it. The whole world understands this and accepts this. We are ahead of the target, forget about missing targets. This is one thing which we have done. We can be proud of it in the energy sector.

Now, basically, people talked about how the Bureau of Energy Efficiency has fallen short of utilization of its Budget. The purpose is not cent per cent spending the money. The purpose is to ensure achieving what one had set out to achieve, and they have achieved it. As I said, हमारा जो एमिशन्स रिडक्शन हुआ है, that is because of the Bureau of Energy Efficiency. एमिशन्स रिडक्शन कैसे हुआ है? हम लोगों ने इंडस्ट्री में CO₂ एमिशन्स की स्कीम के अंतर्गत Bureau of Energy Efficiency ने एमिशन्स रिडक्शन अचीव किया है, of 106 million tonnes of CO₂ per annum. ... (व्यवधान) हर साल जो हम लोगों ने जो स्टेप्स लिए हैं, उनसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है। ... (व्यवधान) बहुत सारे सेक्टर्स में एनर्जी यूटिलाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, वह 20 परसेंट से लेकर 24 परसेंट तक बढ़ी है। इसी कारण दुनिया में हमारी बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज कॉम्पेटिटिव हो गईं। क्यों कॉम्पेटिटिव हो गईं?

They have become competitive because of the increase in efficiency और इन्होंने जो टारगेट सेट किया, यह उसके कारण हुआ। सिर्फ इंडस्ट्री में 106 मिलियन टन CO₂ एमिशनस रिडक्शन पर-एनम के बारे में मैं आपको पूरे तौर पर बता देता हूँ कि इसमें कैसे-कैसे हमारा अचीवमेंट रहा है। इनका जो स्टैन्डर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम है, उसमें CO₂ एमिशनस रिडक्शन 51 मिलियन टन पर-एनम रहा। जो उजाला स्कीम है, जो कि एलईडी स्कीम है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 129 बिलियन यूनिट्स की एनर्जी सेविंग अचीव की। आज हमारा टोटल कन्जम्पशन 1,400 बिलियन यूनिट्स है।

जो हमारी उजाला स्कीम है, इसके अंतर्गत CO₂ एमिशनस का रिडक्शन हमने 105 मिलियन टन पर-एनम किया। इसी कारण हमने जो टारगेट दिया था कि वर्ष 2030 तक हम अपना 30-35 परसेंट एमिशनस रिडक्शन कर देंगे, इसी कारण तो हम अचीव कर रहे हैं। वर्ष 2015 में पेरिस में हमने आप के लिए जो पहले टारगेट दिया था, उसे हमने अचीव कर लिया। इसलिए, हमने ग्लासगो में वर्ष 2030 का अपना टारगेट बढ़ा दिया। हमने कहा कि वर्ष 2030 तक हम अपनी नॉन फॉजिल फ्यूल केपेसिटी को 40 परसेंट से 50 परसेंट पर ले जाएंगे और जो एमिशनस रिडक्शन है, उसको हम 33 परसेंट से बढ़ाकर 45 परसेंट कर देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं?

We are the only country, which has increased our target by this much. No other major economy has done it. We have done it because we have not only achieved our target, but hon. Members, we have achieved our target before time. So, the hon. Member who said that we have not achieved our target is not aware of the fact. We have achieved our target before time and that is why we have enhanced our targets for 2030, and we shall achieve those too. Do not worry.

One question, of course, was that we have reduced the pledge, which was made by the hon. Prime Minister in Glasgow. The hon. Prime Minister had made a pledge that by 2030 we shall install 500 GW of non-fossil fuel capacity. We

stand by that, but as far as NDCs are concerned, the language of NDCs is different. हमने कहा था कि वर्ष 2022 तक हम रिन्युएबल एनर्जी केपेसिटी 1 लाख 75 हजार मेगावॉट करेंगे। वह हमारा प्लेज था, लेकिन वह एनडीसी नहीं थी। एनडीसी, जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वह एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता है, वह परसेंटेज टर्म्स में होता है। परसेंटेज टर्म्स में हमने कहा था कि हमारी जो पावर जनरेशन केपेसिटी होगी, उसे 40 प्रतिशत हम नॉन-फॉसिल फ्यूल एनर्जी से करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसमें रिन्युएबल और नॉन-रिन्युएबल नहीं होता है। इसमें फॉसिल और नॉन-फॉसिल होता है। नॉन-फॉसिल से एमिशन नहीं होता है, फॉसिल से इमिशन होता है। रिन्युएबल एनर्जी उसमें नहीं आती है, वह नॉन-फॉसिल होता है, जिसमें रिन्युएबल प्लस न्यूक्लियर रहता है। हमने कहा था कि नॉन-फॉसिल से वर्ष 2030 तक बाय 40 परसेंट हमारी केपेसिटी होगी, जिसे हमने नवंबर, 2021 में अचीव कर लिया है। अब इसी 40 परसेंट को बढ़ाकर हमने 50 परसेंट कर दिया है। इसमें एब्सोल्यूट टर्म्स में 500 गीगावॉट या 450 गीगावॉट की बात नहीं कही जाती है।

What you read in the newspapers was actually our pledge being translated into action in terms of the United Nations Framework on Climate Change. This is the language, which is followed. Similarly, the other language that is followed is emission's intensity, which we have again increased from 33 per cent to 45 per cent.

So, our progress in renewable energy and energy transition is something to be proud of. I am proud of it, and every Indian can be proud of it because we have done something, which other major economies have not done and despite the fact that our per-capita emissions are the lowest in the world. Why did we do it? It is because we believe in it. It is not only the Government, but I believe that

every Indian believes in the environment. We are the only society, which worships nature, trees, water and sun -- the giver of energy.

We believe in energy conservation and the environment. That is why we are doing this. This set of amendments has been brought before you. This will take that forward. And the world is changing. Every country has realised that it is necessary to take action; otherwise, global warming will damage our environment irreversibly. Therefore, every country is taking steps. Let us say that we have not introduced this Bill. You know what is going to happen? The European Union has already decided to levy a carbon tax on the import of steel products, which are not green. If we don't convert our industry, our industry will not be competitive. It is not able to sell in the foreign market. That is why the world is changing. They are going to put a carbon tax on every product that we try to export. If we don't make those green products, the future is going to be green products.

The second is, of course, the fact that this is our golden opportunity to change from being a net importer of energy to being a net exporter of energy. We have all the advantages. We are one of the largest established renewable energy capacities in the world. We have trained manpower; we have the land; we have the sun. So, we can emerge as the global supplier of green hydrogen and green ammonia, and that is going to be the future. Different European countries and developed economies have already started tying up green hydrogen, green ammonia; we are missing the bus. We can't afford to miss the bus this time. We missed the bus when the Industrial Revolution took place. This time, we will not miss the bus. We shall emerge as exporters of green hydrogen and green

ammonia. I am happy that many of our industries have come up with a policy to facilitate production of green hydrogen and green ammonia.

I am happy that many industries have gone abroad and tied up for the export of green hydrogen and green ammonia from our countries to those countries in need, like Japan, the European Union, etc.

That is what our objective is. Our objective is two-fold. One objective is that we shall green our industry; that is for the environment and that is also to remove our dependence on imported sources. We import 9.1 million tonnes of urea. Why? We don't produce natural gas. We also import grey ammonia. We import natural gas. Thereafter, we make ammonia and fertilizers from that. We will do away with our dependence on imports and we shall make green ammonia here, from the sun and our solar and wind energy. Similarly, in petrol refining or wherever feedstock we use, we are going to shift from imported feedstock to indigenous feedstock, which we get from renewable energy.

This is the way in which we are going to be world leaders. This is the future, and we shall emerge as world leaders. These amendments would facilitate that. That is why we have put an enabling provision in the amendment that we will prescribe the replacement of imported fossil fuel sources by renewable sources or non-fossil fuel sources made in India. That is why we have provided for the carbon market. Now, questions have been raised about the carbon market. We already have some species of carbon markets. Our industry is making sure that it becomes efficient. We have already started putting limits for energy efficiency; we put limits on specific energy consumption under the Energy Conservation Act. If

any industry achieves a higher efficiency than the limit we have set, we give them an energy saving certificate, which they can sell to other industries that also have a target but which have not managed to meet the energy efficiency target. So, they have to buy this or pay a penalty. So, we already have a species of carbon market. For example, even renewable energy. If somebody has an obligated entity and puts more renewable energy or consumes more renewable energy than he is obligated to do, then they get a renewable energy certificate, which can be bought by other obligated entities that have an obligation to consume renewable energy but have not been able to meet that target. They can avoid paying a penalty by buying RECs.

Now, the Carbon Credit Scheme will combine all these into one. These Carbon Credits are not going to be exported. There is no question. We are very conscious about it. I will tell you why carbon credits are not going to be exported. We have made commitments in COP-21 and COP-26 about our NDCs. So long as we do not meet those commitments, we shall not allow any export of carbon credits. Those carbon credits will have to be generated by domestic industries and bought by domestic industries. The logic behind it is that if a target is fixed on somebody to reduce its emissions or the carbon content, and he is not able to meet the target, there has to be a penalty. ... (*Interruptions*)

A system of penalty is there but there has to be a system for giving incentive also. Suppose, I do not only meet the target but I overachieve the target, what is the incentive? The incentive is that I will get the carbon credits which I can sell. So, this incentivises industries in our country. The industries or

the obligated entities which are not able to meet the target of reducing carbon emissions will have to buy carbon credits or pay the penalty. That is a construct which is already there. We are only combining it and making it clear.

There was some discussion about bringing residential buildings into the purview of this Act. Hon. Speaker, Sir, we are only bringing in large residential buildings which means the residential buildings which have a connected load of more than 100 KW. A normal middle-class house is connected to 3 KW. I am talking about the buildings which are larger than 35,000 or 40,000 sq.ft. Only those buildings will be mandated to become green buildings and sustainable buildings. Now, that is again part of our energy conservation and energy efficiency. That is possible. Now, what we do is that we lay down the norms. We say that, okay, if you construct a large building, these are the rules that you have to follow. This is what you have to do. Now, that is the building code of the State. The State absorbs it in its building by-laws and it is implemented as a part of the building by-laws. So, the State implements it. All the implementation is done by the States and by the designated agency of the State.

Now, this Bill also provides for providing finances and resources to the designated agencies of this thing.

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, यह छोटा बिल है।

SHRI R.K. SINGH: That is what this Bill does.

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, समाप्त कीजिए।

SHRI R.K. SINGH: So, by and large, this Bill has been welcomed by everybody. This is a Bill for the future. Hon. Speaker, Sir, I would recommend it to the House that this Bill may be passed.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

Clause 2

Amendment of Section 2

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I would like to know from the hon. Minister after hearing his complete reply that it is mandatory on the part of industry and the establishments to abide by the carbon emissions. One industry is not able to comply with the directions. Sir, I beg to move:

Page 2, line 6,-

after “constructed”

insert “, as per the permit issued,”. (11)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

Page 2, line 18,-

for “any agency”

substitute “any competent agency”. (12)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप खड़े होकर बोला कीजिए। आप बैठकर मत बोला कीजिए।

प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Not moving.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य खड़े होकर बोला करो, बैठकर मत बोला करो।

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I am not moving my amendment. यह आपने ठीक बोला।

आज कल आप थोड़ा एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3

Amendment of Section 4

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट ए.एम. आरिफ जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. A.M. ARIFF(ALAPPUZHA): Sir, I am not moving my amendments.

माननीय अध्यक्ष : श्री एम. के. राघवन – उपस्थित नहीं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश – उपस्थित नहीं

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष : श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 24, 25, 26 और 27 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, as it is he has formed a very omnibus and cluttered Bureau of Energy Efficiency. I think it should be less bureaucratic than bureaucratic. Sir, I beg to move:

Page 3, for lines 33 to 36,-

substitute ““(o) one expert in power sector and the Principal Secretary of Ministry of Power or if there is no Principal Secretary, the Secretary in-charge of Ministry of Power and one official each from the power department of the major states including West Bengal, to be appointed by the Central Government—member;”’. (24)

Page 3, line 38,-

for “seven”

substitute “five, amongst them one from Central Government and one each from states of West Bengal, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and

one from North Eastern states". (25)

Page 3, line 41,-

after "industry,"

insert "environment,". (26)

Page 3, *after* line 42,-

insert "(q) not more than seven technical

experts from the field of energy conservation, of which four

belonging to states including West Bengal and the rest three on

rotation basis as per the proposal of concerned States;". (27)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 24, 25, 26 और 27 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4

Amendment of Section 13

माननीय अध्यक्ष : श्री एम. के. राघवन जी – उपस्थित नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, the Bureau of Energy Efficiency should authorise any agency in the country, not outside the country. Let the companies be inside the country. Domestic companies may be authorised. Foreign companies have to be omitted. I beg to move:

Page 4, line 9,-

omit "or outside the country". (16)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6

Amendment of Section 14

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 17, 18, 19 और 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN(KOLLAM): Sir, all the amendments are relating to extension of period. I beg to move:

Page 4, line 45,-

for "six months"

substitute "three years". (17)

Page 4, line 47,-

for "two years"

substitute “five years”. (18)

Page 5, line 4,-

for “six months”

substitute “three years”. (19)

Page 5, line 5,-

for “six months”

substitute “two years”. (20)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17, 18, 19 और 20 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 28 और 29 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendments.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7

Amendment of Section 14 A

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN(KOLLAM): Sir, let ‘any agency’ be a competent agency. This is a positive amendment. This can be very well accepted if the hon. Minister desires. I beg to move:

Page 5, line 25,-

for “any agency”

substitute “any competent agency”. (21)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8

Insertion of New Section 14 AA

माननीय अध्यक्ष : श्री एम. के. राघवन जी – उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर व्यवस्था दे दूँ। यह वोट वॉइस वोट से होते हैं, इसलिए आप हाथ खड़ा करने की तकलीफ मत करो। आप मुंह से भी बोल सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 8 विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 10**Insertion of
New Section 15 A**

माननीय अध्यक्ष : श्री एम.के. राघवन – उपस्थित नहीं ।

श्री रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I beg to move:

Page 6, *after* line 12,-

insert “Provided that the appropriate government shall financially support through its various programmes, policies, and subsidies, or by arranging a mechanism through appropriate loans for individuals, communities, public buildings, residences, companies, commerce, industries and agricultural units that intend to buy equipment or necessary infrastructure for using renewable energy for the purpose of personal consumption.”. (30)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 10 विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11**Substitution of
New Section for Section 16**

माननीय अध्यक्ष : श्री एम.के. राघवन – उपस्थित नहीं ।

श्री रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I beg to move:

Page 6, *after* line 30,-

Insert “(4) Regional Renewable Energy Funds shall also be established by the Central Government as per population of a particular region as notified by the appropriate government, to be operated by the Central Government through the Ministry concerned.

(5) Funds for Regional Renewable Energy Funds shall come from the appropriate government, CSR or any other source as deemed fit, which may additionally be supported through appropriate cess/levy and through international finance and funds received under any climate agreement.

(6) Any penalty received under this Act shall be credited to these Funds.

(7) The Fund may be used for supporting all the objectives of this Act.”. (31)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खंड 11 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 11 विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12

Substitution of New Section for Section 26

माननीय अध्यक्ष : श्री एम.के. राघवन – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 12 विधेयक का अंग बने”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 13 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

SHRI R.K. SINGH: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

16.33 hrs

**NEW DELHI INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE
(AMENDMENT) BILL, 2022**

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 25, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता केन्द्र (संशोधन) विधेयक, 2022 – माननीय मंत्री जी ।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपने वक्तव्यों को संक्षिप्त में रखें । पांच बजकर पंद्रह मिनट पर मंत्री जी वक्तव्य देंगे और साढ़े पांच बजे मैं अपनी बात को कहूंगा ।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJU): Hon. Speaker, Sir, I beg to move:

“That the Bill to amend the New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 be taken into consideration.”

I am moving this amendment Bill with the intention of having a world-class Arbitration Centre in India. In 2009, we all are aware that we had passed the New Delhi International Arbitration Centre Act. After that, we had already established this said Centre on 13th June, 2022.

16.34 hrs

(Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

In this regard, we have started a process of the appointment of Chairperson. In the meantime, as the situation is dynamic, and we see the situation globally, we felt that an amendment is very important to ensure that the objective of the Act which we have passed is taken to its logical end. In the process, we are today making a very, very short amendment. The proposal of today's amendment is one, the name of New Delhi International Arbitration

Centre be changed to India International Arbitration Centre and two, enable the New Delhi International Arbitration Centre to specify, by way of regulations, the manner of its discharge of various functions.

As the hon. Speaker has given us a very limited time, I would be responding to the queries and observations made by the hon. Members. I would like to explain in detail, whatever is possible, while I respond to the debate in the end. I would like to tell the hon. Members that this is a very specific Bill with a specific objective to ensure that India becomes an international hub of arbitration. As the country is growing, we would like our business to grow, and in the process the support and views of all the hon. Members are important. So, I expect that without much objection all the Members will support this Bill unanimously.

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill to amend the New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 be taken into consideration.”

HON. CHAIRPERSON: Dr. Amar Singh to open the discussion. Please be brief.

DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB): I will be very brief.

As the hon. Minister has explained, the amendment in the 2019 Act has been brought before the House, firstly to change the name of New Delhi International Arbitration Centre to India International Arbitration Centre, and secondly, to bring an amendment in Section 15 to frame rules and regulations to run the Arbitration Centre. Arbitration is a good alternative to disposal of cases or you can say dispute resolution. It has been going on in the country before Independence, even before the British era. Our elders, panchayats, all used to

follow it. Britishers tried to bring laws in this regard in 1889, and 1940. The Government of India had also brought a law in 1995 with regard to establishment of an International Centre. The New Delhi International Arbitration Centre Act came in 2019. We all support having the Arbitration Centre and having an alternative mechanism for disposal or resolution of disputes between parties. Principally, it is a very good thing but there is a question, which I think has not been addressed in the amendment. We all know what has happened in the last 75 years or even before that. Sir, your Government has formed Srikrishna Committee, which gave its report. Before that, there were two very strong judgements given by the Supreme Court, in 1989 and 2009. In 2009, there was the Supreme Court judgement in the Union of India vs M/s Singh Builders Syndicate, and it was said that there were very unfortunate delays, high cost, frequent and sometimes unwarranted judicial interruptions at different stages which were seriously hindering the growth of arbitration in India. This is the Supreme Court Judgement given in 2009. Srikrishna Committee Report also tells us the same thing; we do not have statutory back up; there is a lack of experts in the country; and generally, the Arbitration Tribunals do not stick to the cap on time for the disposal of cases. Various departments in the Government of India and State Governments appoint their own officers as arbitrators which leads to litigation.

In contrary to the belief that arbitration perhaps is the end of the issue, unfortunately, in India, as the order is not mandatory and binding, people can still go for appeals -- अपील-दर-अपील, अपील-दर-अपील. Unfortunately, we all know, there

are over four crore cases pending in various courts of the country. You are a Law Minister and you would be knowing much more than me. So, we have to bring some end to litigation and arbitration.

We are supporting everything. But I would like to make two or three suggestions here. At least, certain legal or civil disputes could have only been delegated to this India International Arbitration Centre. There should be some clause in the law that the order would be mandatory. There should also be a clause in the law that there would be one or two appeals to the hon. High Court or hon. Supreme Court and the litigation cannot go on. There is no binding and you are keeping it still open. In 1995, there were three International Centres in the country which were already operational in Mumbai, Delhi and in some other place. Not many results are coming. People are preferring Singapore International Arbitration Centre as a centre for arbitration. Why are they preferring Singapore International Arbitration Centre? It is because the orders are mandatory, international experts are sitting on those Tribunals, and the disposal of cases is quite quick. Even Indian businessmen and corporates are all going to Singapore for their disposal of cases. But we are not touching upon those issues because of which people are going outside the country. People are going to Paris and London.

Your intention is very good. But I do not find anything in the amendment which would really lead to a solid result in the country. That is what my point is. The name changing is good. New Delhi could have given a city-centric impression. That is good. But what happens to the orders. There is not finality of

the order. There is no time-limit. In the Act, you have given a period of sixty days. But no order is passed in sixty days. What is the provision to finish it in sixty or seventy days? I mean, there are so many practical problems in the arbitration issue. Unless we take up all those issues, by simply changing the names, I do not think that it will work.

Especially in disputes resolution, the real sufferers are the weaker sections of the society and also, those people with less money and those who are not big corporates because they cannot afford those lawyers who go to London and Singapore.

Please bring this law again and bring those amendments which are really needed to make this law effective. Thank you, Sir.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, मैं बहुत ही ब्रीफ में बोलूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता वाले स्टेप को आज हमारे कानून मंत्री रिजीजू जी द्वारा उठाया गया है। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति जी, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अब इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। वर्ष 1952 से सरकारें चल रही हैं। मैं अमर सिंह जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जूडिशियरी जिस प्रकार से मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन वह मजबूत नहीं हुई। अगर जूडिशियरी मजबूत होती तो हमारे देश के अंदर आज भी अदालतों के अंदर दो करोड़ केस लंबित पड़े हुए नहीं होते। आर्बिट्रेशन के जो मामले होते हैं, वे जूडिशियरी के होते हैं और दूसरे, सिविल के होते हैं, क्रिमिनल वगैरह नहीं होते हैं।

इन केसों को समाप्त करने के लिए लोगों को 10-15 साल तक अदालतों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। आर्बिट्रेशन के माध्यम से ये केस सोर्ट आउट हो जाएं, वह तो ठीक है, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के तहत विश्व का केंद्र आज यह बन रहा है। इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, जैसा

अमर जी ने दोहराया भी था कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को हमारी कंट्री से और दूसरी कंट्रीज़ से भी सिंगापुर जाना पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या रहा? जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जुडिशियरी को देना चाहिए था, वह उसे नहीं मिल पाया। जो जगह मिलनी चाहिए, वह लंबे समय तक नहीं मिल पाई। इसका नाम न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के नाम से लोग समझते होंगे कि यह दिल्ली या राज्य के ही आर्बिट्रेशन के मामलों को निपटाने में सक्षम होगा। साइक्लोजिकली भी इंटरनेशनल लेवल के लोगों पर इसका फर्क पड़ता है। हमारे देश में लेजिस्लेशन, जुडिशियरी और एजुकेशन, इन तीन संस्थाओं के द्वारा लोकतंत्र की संचालना होती है। 1980 का दशक अगर याद करें तो वह काला अध्याय ही कहा जाएगा। 1980 के दशक में तब की प्रधान मंत्री जी ने अदालतों को अपने हाथ में काबू करने का प्रयास किया। जो मैरिट है, उस मैरिट से छोड़कर अपने जूनियर चहेते लोगों को, अभी देश में शोर मचा था जिसमें अवार्ड वापसी गैंग बहुत सक्रिय हुआ था, वह उन्हीं प्रकार की सरकारों द्वारा ऑब्लाइज किए हुए लोग एहसान उतारने के लिए अवार्ड वापस कर रहे थे। उनके जूनियर लोगों को सीनियर के ऊपर जज बनाने का मामला आया तो जुडिशियरी को वर्ष 1993 में आदेश करना पड़ा। उस आदेश के तहत जज भी हम ही अपॉइंट करेंगे और लोकतांत्रिक पद्धति को वर्ष 1980 में धक्का लगा। मैं झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की अगर बात करूं, तो वहां पर जजेज़ के पास उनके कानून, जो वे मुकदमे लड़ रहे हैं, उन मुकदमों को निपटाने के लिए, हम बात करें उनके स्टाफ की, इन्फ्रास्ट्रक्चर की, तो वे आज भी पूरे नहीं हैं। राज्यों में जाकर कई अदालतों में देखेंगे कि जजेज़ के दफ्तरों में एसी तक नहीं है। ये जो सिविल मैटर्स हैं, आर्बिट्रेशन के माध्यम से निपटाये जाएं और जल्द तरीके से निपटाये जाएं, इसीलिए इसका नाम बदलकर यह रखा गया, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। आर्बिट्रेशन क्यों लाया गया, आर्बिट्रेटर की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारी जो अदालतें हैं, वे लोगों को समय पर न्याय देने में सक्षम नहीं थीं।

इससे एक मैसेज चला गया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिले हो रहे हैं, तो लोग यह समझकर बैठ जाते थे कि 10 साल, 15 साल हो गए। अगर 15 साल के बाद अगर न्याय मिला तो वह न्याय न के बराबर ही हो गया। ऐसी स्थिति देश में लंबे समय तक बनी रही। इसके

जिम्मेदार कौन हैं, यह भी पूरा देश जानता है। 66 वर्ष तक राज करने वाले लोग इसके जिम्मेदार हैं। जुडिशियरी को इन्फ्रास्ट्रक्चर देने की बात हुई तो आर्बिट्रेशन वर्ष 1995-96 में बनाया गया। उससे पहले इतने लंबे समय तक वर्ष 1940 का अंग्रेजों का बनाया हुआ आर्बिट्रेटर कानून देश के अंदर चल रहा था।

माननीय सभापति : रमेश बिधूड़ी जी।

श्री रमेश बिधूड़ी: सर, मुझे पांच मिनट बोलने दीजिए।

माननीय सभापति : पांच मिनट हो गए।

श्री रमेश बिधूड़ी: सर, मैं आपसे पांच मिनट और मांग रहा हूँ। मेरी पार्टी के दूसरे सदस्यों का टाइम मुझे दे दीजिए।

माननीय सभापति : यह पार्टी का टाइम नहीं है, स्पीकर का डायरेक्शन है।

श्री रमेश बिधूड़ी: मैं कह रहा था कि स्टेनोग्राफर, टाइपराइटर की व्यवस्था न होने के कारण से, लोगों को वरीयता के आधार पर व्यक्ति को उनके सिविल मैटर्स के अंदर जो न्याय मिलना चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए इसका नाम बदला जा रहा है।

अब मैं असली पाइंट पर आता हूँ कि इसका इंडिया इंटरनेशनल नाम रखने का लॉजिक क्या रहा होगा? मैं दोहराना चाहता हूँ कि यह माननीय प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शिता है कि वह इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल नाम से भारत में अगर बनेगा, भारत में जैसे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर सैक्टर 24, द्वारका में माननीय प्रधान मंत्री जी ने बनाया, जहां भारत के पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दुनिया की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनके डिस्प्यूट्स हैं, वे सोर्ट आउट कराने के लिए क्यों सिंगापुर जाएं, क्यों लंदन जाएं और बाहर की कंपनी क्यों न इंडिया में आए? अगर यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो इंटरनेशनल्स का नाम पूरी दुनिया में जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के तहत बड़ी कंपनीज़ अपने आर्बिट्रेटर, क्योंकि दो पक्षों में झगड़ा होता है, तो आर्बिट्रेशन के अंदर एक जज उसके अनुसार हो, एक जज दूसरे के अनुसार हो और एक जज तीसरे के अनुसार हो। इसमें यह व्यवस्था होती है कि तीनों मिलकर उस समस्या को सुलझा लें।

अगर वे यहां आएं, हमारे यहां के लोगों को चाहे होटल हो, एयरपोर्ट या ड्राइविंग के बारे में बात हो, बाहर की इकोनॉमी हमारे देश में आएगी। भारत की क्रेडिबिलिटी दुनिया में बढ़ रही है, उसके अनुसार भारत आने के लिए प्रयास करेंगे। भारतीय इकोनॉमी को बाहर की मुद्रा अच्छी खासी संख्या में मिलेगी।

माननीय कानून मंत्री जी ने इस कानून को लाने की बात की है। मैं इसके लिए एक सुझाव देना चाहूंगा। आर्बिट्रेशन के अंदर जो मुकद्दमें चल रहे हैं या जो मुकद्दमें लंबित पड़े रहते हैं, वे कम से कम टाइम बाउंड होने चाहिए।

जो मुकद्दमें अदालतों के द्वारा आर्बिट्रेशन को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर्स के माध्यम से मुकद्दमें लंबे समय तक लटकते रहते हैं। आर्बिट्रेशन के मुकद्दमें समय सीमा में निपटने चाहिए। धन्यवाद।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, I shall be very brief. There is something known as 'superfluous legislation'. इस लेजिस्लेशन की दरकार नहीं है। This is such a legislation. This Government does not know its mind. In 2019, Shri Ravi Shankar Prasad, who is now a Member and was then the Minister of Law and Justice, converted the name 'International Centre of Alternative Dispute Resolution' into 'New Delhi International Arbitration Centre'. Now, Shri Rijju, who is the Law Minister, though he is not a practising lawyer himself like Shri Ravi Shankar Prasad, wants to leave his stamp on the Ministry and so has called this 'International Arbitration Centre Act'. Sir, the moot question is that there is neither any objection, nor any support. It is because, as I said, it is a superfluous legislation. Has the Government been able to make India centre of arbitration? Singapore is such a small place, a city State, but one will find that most of the companies go for international arbitration to Singapore, including the

Ambanis and the Adanis. They have got international connections and they go to Singapore? Why has the Government not made any progress in the last three years to make New Delhi a major centre of arbitration? This is because arbitration is an alternative way. In our country, courts take years and years to decide on a case. Courts are there only to benefit lawyers, not the litigants. So, arbitration is a shorter form. If it is a perfect law or not, I do not know. They appoint a retired judge as an arbitrator and judges as arbitrators make more money, than they used to make as judges. ... (*Interruptions*) Ultimately when the arbitration award comes, then somebody goes again in litigation to court. So, I would like to know from the hon. Minister – you are changing a name, that is all right. You will leave your stamp on the Ministry – what it is that the Government is doing to make India a better centre for international arbitration. Which are the companies that are there? Now, there are big law firms like Khaitan and company; Amarchand Mangaldas. These companies are there and people go to them. But none of the top international law firms has set up big offices in India. Our big lawyers have gone abroad. Shri Harish Salve, who often pleads for this Government, stays in London and sometimes does his pleading through video conferencing.

I would like the hon. Minister to develop this arbitration as an alternative. This will reduce the burden on the courts. It will give quick relief to litigants.

With these words, I say again that I have nothing to say either in favour of the Bill, or against the Bill.

Thank you.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill, 2022.

There is no doubt that we require a Bill of such a nature. We definitely need an International Arbitration Centre in India. Right now, the disputes that exist which go into several thousands of crores of rupees are being heard in Singapore because we do not have a robust arbitration mechanism in India. This Bill was actually brought in 2019 and in that Bill, they had said that the Act will allow the Central Government to make provisions for removing any difficulty in implementing the Act up to two years. From 2019, within three years, they have found that they have several drafting errors in this Act. The lackadaisical manner in which they have been preparing the Bills has already been referred to by the Supreme Court Chief Justice. He has said that the Parliament is passing Bills without taking complete details into consideration and there is not adequate number of debates happening or referring them to the Standing Committees to make sure that the Bill has all the provisions which need to be taken into consideration. The CJI of Supreme Court has mentioned that passing Bills without all these considerations creates havoc in the judicial system. The judges are facing immense trouble in interpreting these Bills and subsequently, we come back. It is very sad to note that a Bill which was brought in 2019 is brought again for an amendment within three years. Can we not even make a Bill which can last for at least a few decades before you want to seek an amendment?

Similarly, we have seen problems with the farm Bills and other Bills which the Government has brought in without taking into consideration the Opposition voices or the voices of the people.

I request that the Government may take adequate time to ensure that all the provisions are contained in this Bill.

In this Bill, we are not talking about any provision. We are only talking about international arbitration where these disputes involve several thousands of crores. But there are many companies which have disputes which can be much meagre. It can be about fifty crores or ten crores who cannot afford to go to these kinds of Centres. I would request for some kind of an arbitration provision for those people.

Similarly, when we are asking people to keep shifting from Chennai to Delhi every time, travelling and other things are becoming a problem. In fact, our hon. Chief minister has also asked for a Supreme Court Bench to be constituted in Chennai. I would request the Minister of Law to consider that so that a Bench may be made available in Chennai, and, if possible, in regions like Kolkata and Mumbai also.

We wish that there can be a provision for virtual arguments. During the pandemic, we have found that several courts have been functioning virtually. This can be taken as a definite positive aspect by the Minister of Law to consider.

Thank you.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I thank you for allowing me to speak on the New Delhi International Arbitration Centre Bill.

As Prof. Saugata Ray has said, there is not much in this Bill. There is just the change of name of the Centre.

I believe that this is the second or third time that we are speaking about arbitration in the last three years. We speak about it again and again but the Arbitration Centre does not come up in Delhi. No business is happening in Delhi whereas arbitration actually happens in either London or Singapore. Even the best of the lawyers are going and practising overseas but not coming to Delhi to do it.

We totally support the Bill in terms of change of name but Sir, when we speak about arbitration, we are only talking about higher level arbitration like corporates. Last time also, I spoke about it. It is not just the corporate level arbitration that is required in this country. With the number of cases that are pending in this country, there needs to be a thinking about it.

As Shri Kiren Rijju is a very capable Minister, there should be a thought wherein we can have arbitration at the lower level also so that the pending cases are dealt with at that level itself. We have Lok Adalats and other institutions but they do not have enough power to do arbitration at the lower level. That is why, such a pendency is there in the District Courts and High Courts.

With these words, we support the Bill but we want to see some activity happening in Delhi.

Thank you very much.

17.00 hrs

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे The New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill, 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आर्बिट्रेशन करना है तो पहले हमारा जो जूडिशियल स्ट्रक्चर है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से करोड़ों की तादाद में केसेज पेंडिंग हैं। उसके लिए सरकार को जो करना चाहिए, वह नहीं कर पा रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट बने हुए एक डिक्केड से ज्यादा समय हो गया है, वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बिलडिंग नहीं है।

यह इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को क्रिएट करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग कई दशकों से हो रही है, लेकिन आज तक वह नहीं हो पा रही है। कुछ न कुछ बहाना मिल जाता है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर दिल्ली में बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह बनना चाहिए, लेकिन यहां आजकल क्या हो रहा है? मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि जो बड़े-बड़े लॉयर्स हैं, आपदा में अवसर तलाश लिया गया, मुझे माफ कीजिएगा, मैं लॉ मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो बड़े लॉयर्स हैं, वे लंदन में और दूसरी कंट्रीज में भी बैठकर वीडियो कांफ्रेंसिंग से काम कर लेते हैं। लेकिन, जो हमारे यहां पर हैं, मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो गरीब आदमी है उसको आज की तारीख में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है।

वह बड़े लॉयर्स को हायर नहीं कर सकता है। जो किसान की और गरीब की समस्या है, जुबैर जैसे जर्नलिस्ट लोग या दूसरे जर्नलिस्ट, जो इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेलों में रखा जाता है। वे बड़े लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जूडिशियल सिस्टम के अंदर लॉ मिनिस्टर साहब को आर्बिट्रेशन अच्छे से करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। यह ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन इंडिया में हो, उसके लिए हम समर्थन करते हैं। लेकिन, हमें अपने गिरेबान में झांककर देखने की जरूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया।

[کنور دانش علی (امروہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill 2022 پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آرbitrیشن کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا جیوڈیشیل اسٹرکچر ہے، اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کس طریقے سے کروڑوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں۔ اس کے لئے سرکار کو جو کرنا چاہیے، وہ نہیں کر پا رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ڈسٹرکٹ بنے ہوئے ایک ڈیکیٹ سے زیادہ ہو گیا ہے، وہاں ڈسٹرکٹ کورٹس کی بلڈنگ نہیں ہے۔ یہ انفراسٹرکچر گورنمنٹ کو کریٹ کرنا ہے۔ مغربی اتر پردیش میں ہائی کورٹ کی بینچ کی مانگ کئی دہائیوں سے کی جا رہی ہے، لیکن آج تک وہ نہیں ہو پایا ہے۔ کچھ نہ کچھ بہانہ مل جاتا ہے۔ انٹر نیشنل آرbitrیشن سینٹر دہلی میں بنے اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ بننا چاہیے، لیکن یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ میں معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو بڑے بڑے لائرس ہیں، آپدا میں اوسر تلاش کیا گیا، مجھے معاف کیجیئے گا، میں وزیر قانون سے کہنا چاہوں گا کہ جو بڑے لائرس ہیں، وہ لندن میں اور دوسرے ممالک میں بیٹھ کر ویڈیو کانفرنسنگ سے کام کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے یہاں پر ہیں، میں کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن سچائی یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کو آج کی تاریخ میں انصاف ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ بڑے لائرس کو ہائر نہیں کر سکتا ہے۔ جو کسان اور غریب کے مسائل ہیں، زبیر جیسے جرنلسٹ لوگ یا دوسرے جرنلسٹ، جو اس ملک میں جمہوریت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ وہ بڑے لائر ہائر نہیں کر سکتے ہیں۔

میں آپ ک ذریعہ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ملک کے اندر جیوڈیشیل سسٹم کے اندر وزیر قانون صاحب کو آرہٹریشن اچھے سے کرنا چاہئیے اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہئیے۔ یہ ٹھیک ہے انٹر نیشنل آرہٹریشن انڈیا میں ہو، اس کے لئے ہم سمرتھن کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ - بہت بہت شکریہ -

(ختم شد)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I stand here just to ask two very small questions to the hon. Law Minister of India. I cannot believe that he has brought in this Bill just to change the name. There is really nothing else in this Bill. I think this is really a colossal waste of time of the Parliament. It is just appalling. I have just two questions. This Bill is not for the common man. This is for New Delhi international Arbitration Centre. So, this is obviously for the big boys. A reply from the Government of India in Rajya Sabha states that high net worth individuals of India are leaving India. My friend, Shri Pinaki Mishra also spoke at length last week about it that most high net worth individuals are leaving this country and they prefer a foreign passport over an Indian passport. That is point number one. The point number two is that a lot of my colleagues talked about all the big lawyers, the big boys, who are leaving our country and they prefer arbitration in England. They prefer to live in England. It is not just that all the big investors are leaving, but there is the problem of brain drain also. All the big lawyers are preferring to leave India. Have you ever thought of that for a moment? While you are trying to make an international centre, why are the so-called crème de la crème of India, be it the intellectual lawyers, be it the industrialists, leaving India? Let us not take the socialist line. Let us take, for a moment, the capitalist line which our Government likes. Why are all these people who generate wealth and jobs in this country leaving this country? I am giving you two small examples. Look at Cairn Energy and Reliance. This has happened in your duration. Was it just because of a petroleum issue or the Amazon Future Group and the Reliance dispute? They have not chosen India as an option.

Unfortunately, the Future Group has almost become an NPA, which was one of the finest companies in this country. So, why do the big companies like Reliance choose Singapore or Britain as an arbitration centre and not India? Why do you not introspect on this to improve and strengthen the system instead of bringing the law just for changing the name? अपने गिरेबान में झाँककर देखिए, कुछ तो कम पड़ रहा है । इसलिए, सब छोड़कर जा रहे हैं । It is very easy to do all the jingoism that this Government does. It is all wonderful. But you are bringing in an international centre for the big boys, the big industrialists who you expect to be a part of this arbitration centre. But they are preferring Singapore over India. Then, why are we wasting our time on this? I need a reply on this. Thank you.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

An efficient adjudicative mechanism has a key role in promoting investment, industrial growth and generation of employment, and the overall development of a country.

Sir, the investors – domestic and foreign – feel encouraged and confident to invest in a country if they find that country has an efficient justice delivery mechanism. The Alternative Dispute Resolution mechanism, over the years, has emerged as a main source of main tool, a key role in adjudication of the disputes. In that background, this Bill is a right step in the right direction because most of the hon. Members have voiced their concern why people should flock to other places for arbitration. It is because we did not have an efficient mechanism here in the country. If the change itself may not convey much, it does give an

impression or it does, at least, bely that impression that: "No, we do not have an efficient adjudicative mechanism or an alternative dispute mechanism of arbitration in the country.

When our people flock, go to Hong Kong or Singapore, or London or other places, they go there because there is a clause in the agreement, 'jurisdiction at London' etc. Why do they insist on it once they enter into an agreement with our investors or collaborate with them? It is because they say that we do not have an efficient dispute resolution mechanism in the country. So, we also readily agreed upon it. It has now been proposed by the hon. Minister. Section 15 tells us that the Centre will facilitate arbitration. Once it is there, that argument or that plea will no more be available to our foreign investors.

I think, this is a right step in the right direction. I support this Bill. Thank you.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर एक आस्था का केन्द्र खाटू श्याम जी है, उस मंदिर के प्रांगण में दर्शन को लेकर भगदड़ मच गई। लाखों लोग थे, वहां की इंटेलीजेन्स फेल थी, तीन लोगों की मौत हो गई, कई दर्जन लोग घायल हो गए। मेरा निवेदन है कि केन्द्र वहां पर एक टीम भेजे। आप एक सीआई को सस्पेंड करके संदेश नहीं दे सकते।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : विषय क्या है?

... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, ... * मेहरानगढ़ के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए थे।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No. Please speak on the Bill. Nothing will go on record.

... (Interruptions) ...*

* Not recorded.

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, मेरा निवेदन है। मैं बिल पर आ रहा हूँ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You may make your submission after this. Here, you speak on the Bill only.

... (*Interruptions*)

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Beniwal-ji, you please speak on the Bill.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

... (*Interruptions*) ... *

HON. CHAIRPERSON: You speak on the Bill. Hon. Speaker has given you the permission to speak on the Bill.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: That cannot be done like this.

... (*Interruptions*)

श्री हनुमान बेनीवाल: महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ। अधीर रंजन जी, मैं आपके खिलाफ थोड़े ही बोल रहा हूँ। आप बैठ जाइए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप माध्यस्थम् केन्द्र (संशोधन) विधेयक पर बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति जी, मेरा निवेदन है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, Dr. Nishikant Dubey.

... (*Interruptions*)

* Not recorded.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, these remarks may be removed from the proceedings.

HON. CHAIRPERSON: I have already given my instructions.

... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सभी को सुन रहा था। पिछले 75 सालों में इस देश का जो माहौल शिफ्ट हुआ है, उसमें इसकी कितनी आवश्यकता है। जबसे हमने सन् 1947 के बाद स्टार्ट किया, तो लाइसेंस परमिट और कोटा राज में चले गए। एक सर्टन हाउस ही बिजनेस कर सकता है, उसको सर्टन सेगमेंट में लाइसेंस मिल सकता है, उसको परमिट मिल सकता है, कोटा मिल सकता है। मैं किसी को ब्लेम देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ।

दूसरा जो सरकार ने आजादी के बाद किया, वह यह किया कि सरकार को बिजनेस करना है। यदि स्टील बनाना है तो सरकार को बनाना है, सीमेंट बनाना है तो सरकार को बनाना है, कार बनानी है तो सरकार को बनानी है, पिन बनानी है तो सरकार को बनानी है। एक-दो जो बिजनेसमैन थे, वे 'कोटा परमिट लाइसेंस राज' में थे। इस कारण से हमारे यहां पर इस तरह के कोई भी डिस्प्यूट्स डेवलप नहीं हुए। सन् 1990 के बाद लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ। अब ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। भारत सरकार ने एक पॉलिसी के तहत यह फैसला किया है और धीरे-धीरे मुझे यह लग रहा है कि सरकार सारे बिजनेस खत्म कर देगी और इस पार्लियामेंट का जो बेसिक काम कानून बनाने का है या सरकार का जो बेसिक काम पॉलिसी में जाने का है, उसके लिए हमें लगता है कि एक-दो सेक्टर्स को छोड़कर मैक्सिमम जगह सरकार को वहीं जाना चाहिए और यही पूरी दुनिया की रीत है। ग्लोबलाइजेशन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश में एक नई क्रांति स्टार्ट की थी, उस कारण से इसकी आवश्यकता है। अब ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं होगा। जबकि स्मॉल स्केल सेक्टर से लेकर बड़े सेक्टर तक इन्वेस्टमेंट बाहर का नहीं आएगा तथा भारत के बिजनेसमैन का पार्टनर बाहर का नहीं होगा। जब यह सिचुएशन डेवलप होगी तो सारे डिस्प्यूट्स बाहर होंगे। मान लीजिए बड़े-बड़े

लोग तो सिंगापुर चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। अमेरिका में डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके जो डिस्प्यूट्स होंगे, उन डिस्प्यूट्स के लिए शायद उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, वे उस एग्रीमेंट के पार्ट नहीं होंगे इसलिए मेरा मंत्री जी से कहना है कि आप यह बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं।

मेरा एक छोटा सा सुझाव है। ये जो कंपनियां दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट करती हैं, उसमें इस पॉइंट को जरूर जोड़ा जाना चाहिए कि यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को हम इंडिया के अंदर रिजॉल्व करेंगे। हम दिल्ली के अन्दर जो आर्बिट्रेशन सेन्टर बना रहे हैं, यदि हम यह कर पाएं तो जो लोगों का कन्सर्न है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर के लोग जा रहे हैं और हमने देखा भी है कि बड़े-बड़े डिस्प्यूट्स में, चाहे एन्ट्रिक्स-देवास का मामला हो या चाहे वोडाफोन का मामला हो तथा यह जिस किसी भी सरकार ने किया हो, उस कारण से हम लोगों को काफी नुकसान सहना पड़ा है। एयर इंडिया के साथ तो ऐसा हो गया कि एन्ट्रिक्स-देवास के कारण पूरी दुनिया में एयर इंडिया के सारे एसेट्स ही जब्त होने लग गए।

इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम उसे एग्रीमेंट का पार्ट बना देंगे तो इसका फायदा हो जाएगा और जिस चीज के लिए माननीय मोदी जी इस बिल को लेकर आए हैं, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरन रिजिजू): सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने प्रारम्भ में जैसा अनुरोध किया, उस हिसाब से हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी बहुत लंबी बात नहीं रखी। हम यह भी मान सकते हैं कि इस बिल पर 100 प्रतिशत मैम्बर्स ने सपोर्ट किया है। इवन, दादा ने सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया है। हम उनके भाव को समझ सकते हैं।

सभापति जी, मैंने जैसा शुरू में कहा था कि यह एक छोटा सा अमेंडमेंट है। कभी-कभी एक छोटा अमेंडमेंट बड़ा काम कर जाता है। A small step can be a giant leap at times. आप यह मत समझिए कि यह एक छोटा अमेंडमेंट है। इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। कभी-कभी लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन कभी-कभी नाम ही सब कुछ होता है। इसलिए जब हम नई दिल्ली

इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेन्टर का नाम बदलने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में कुल 36 आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन्स हैं और सब शहरों के नाम हैं। खासकर महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, गुजरात तथा कर्नाटक में है। इसके अलावा कई जगहों पर कई सालों से एडहॉक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म चलता आ रहा है। दिल्ली में ही दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेन्टर ऑलरेडी है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन काम करता है। दिल्ली हाई कोर्ट से जिस मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रैफर करना है तो वह अपने सेन्टर में रैफर कर देता है। कभी-कभी कोर्ट अपने हिसाब से भी अपॉइंट कर देते हैं। आज जब नाम में चेंजेस की बात आ रही है तो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि कभी-कभी नाम से कंफ्यूजन भी पैदा होता है और नाम से आकर्षण भी होता है। जैसे मैंने कहा कि कई शहरों के नाम से आर्बिट्रेशन सेन्टर है। जब भारत सरकार पहल करके, संसद में बिल को पारित करके एक सेन्टर को गठित कर रही है तो उसका स्तर भी उसी लेवल पर बनना चाहिए और उसके हिसाब से ही उसकी प्रोग्रेस भी होनी चाहिए।

जब हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की बात करते हैं तो उसमें कई चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। इसमें ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि यह जो नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, this is one of the arbitration centres in the country, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि it is a centre of national importance. जब पार्लियामेंट के एक्ट से पास करते हैं तो उसका एक महत्व होता है। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि दिल्ली में दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है और उसी नाम से अगर हम और एक सेंटर बनाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन होता है। दूसरी बात यह है, कुछ सदस्यों ने कहा कि वर्ष 2019 में बिल लाए थे तो आज फिर दोबारा लाने की क्या जरूरत है। डायनामिक सिचुएशन में, जैसी परिस्थिति है, अगर हम उस हिसाब से कानून नहीं बनाएंगे तो फिर यह संसद है किसलिए? संसद इसीलिए है कि जब-जब देश के लिए कोई जरूरी कानून बनाना होता है, तो इस सदन के माध्यम से उसको पारित करके बनाना होता है। माननीय सदस्य को खुश होना चाहिए, सरकार को शाबाशी देना चाहिए कि हम सूझबूझ के साथ, जरूरत के हिसाब से आज यह अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं।

जब हम इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बोलते हैं तो यह पूरे देश का प्रतीक होता है, एक शहर का नहीं होता है, अन्यथा लोग सोचेंगे कि क्या यह दिल्ली वालों के लिए है। दूसरे कई मेंबर्स ने कई अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं सारे सुझावों को सम्मिलित करके एक साथ जवाब देना चाहता हूँ।

सबसे पहले, आप लोगों का एक प्रश्न था कि आज तक भारत में आर्बिट्रेशन सिंगापुर के तहत क्यों नहीं हो पा रहे हैं और कुछ लोगों ने यह कहा कि भारत के बिजनेसमेन कोई डिसप्यूट होने पर विदेश क्यों चले जाते हैं, लंदन, पेरिस, सिंगापुर, हाँगकांग या कहीं और क्यों चले जाते हैं। हमारे देश में भी कई आर्बिट्रेशन्स के काम चल रहे हैं, लेकिन आज एड-हॉक आर्बिट्रेशन को प्रिफर करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। उनको कम्फर्टेबल लगता है कि एड-हॉक आर्बिट्रेशन में हमारे यहां काम चलते रहना चाहिए। जो एक बड़ा वर्ग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल चुकी है कि एड-हॉक आर्बिट्रेशन से अच्छा इंस्टीट्यूशनलाइज आर्बिट्रेशन जरूरी है। इसलिए हम इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को क्लियर करने के लिए दो पॉइंट्स बता देता हूँ। Why is it an advantage to have institutional arbitration? First of all, it determines the arbitration procedures in a very formal manner. All the popular institutions globally provide for an arbitration procedure and it saves the parties' and their lawyers' efforts of determining the arbitration procedure. Some institutions also provide the service of drafting an arbitration clause. जब हमारा आर्बिट्रेशन सेंटर बनता है तो वे पार्टिज को मदद करते हैं। जैसा निशिकांत जी ने कहा कि उसमें ऐसा क्लॉज होना चाहिए, इस बिल के पास होने के बाद, चूंकि भारत सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट होता है, तो मैं मानता हूँ कि भारत सरकार के हर बड़े कांट्रैक्ट में यह क्लॉज दिया जाएगा और उस क्लॉज के तहत, जो भी केसेज उत्पन्न होंगे, वे इसी इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में तय किए जाएंगे। इसके बाद, इसके पास एफिशिएंट पैनल आर्बिट्रेटर्स होंगे और जब आपके पास क्वालीफाइड, इंटरनेशनल रिप्यूटेड पैनल आर्बिट्रेटर्स होते हैं, तो उनमें कांफिडेंस होता है और जब कांफिडेंस होगा, तब लोग आएंगे। आप चाहते हैं कि भारत टूली इंटरनेशनल सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन हब बनना चाहिए तो आपको खुले दिल से इसका समर्थन करना

चाहिए, क्योंकि यह बिल उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई और कई माननीय सदस्यों ने सिंगापुर के बारे में जिक्र किया तो मैं आपको एक-दो पॉइंट्स बताता हूँ कि सिंगापुर इतना बड़ा सेंटर कैसे बन गया है। एक, सिंगापुर की जो लोकेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग होने के साथ-साथ, लोग उसे एक न्यूट्रल वेन्यू के रूप में देखते हैं। छोटा देश है, लेकिन उसका एक हाइली एफिशिएंट सिस्टम वहां है। कोई भी पार्टी डिसप्यूट होने पर सिंगापुर जाने को प्रिफर करती है।

अभी लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैं और चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया साथ में थे। मैंने कई लोगों से बात की, ईवन वहां के हाउस ऑफ कॉमन में जो एमपीज़ हैं, मंत्री हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो मैम्बर्स हैं और बाकी लोगों से मैंने बात की। सब ने एक चीज कही है और मुझे उन लोगों की बात सुनकर अच्छा लगा कि भारत एक उभरता हुआ देश है और आर्थिक ताकत है। इण्डिया की ओर लोग देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इण्डिया ही एक मेज़र आर्बिट्रेशन का हब बनेगा, यह कॉन्फिडेंस उन्होंने जताया है। जब भारत की ओर लोग देख रहे हैं तो हमें प्रोएक्टिव होकर जो-जो कदम उठाने चाहिए तो वे भारत सरकार और इस संसद के माध्यम से उठाने चाहिए। हमने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक कल्पना ली है। वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री जी ने एक विज़न हमारे सामने रखा, मैं उसे कोट करना चाहता हूँ। जब दिल्ली में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 'National initiative towards strengthening arbitration and enforcement in India.' उसमें प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो कहा, मैं उसे कोट करना चाहता हूँ। "An enabling alternative dispute resolution ecosystem is a national priority for India. We need to promote India globally as an arbitration hub. As Roscoe Pound famously remarked, "The law must be stable, but it must not stand still." We need to take inspiration from beyond our source." इसलिए जब हम एक इण्टरनेशनल हब की बात करते हैं तो हमारे यहां पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पास सेंटर भी बने हुए हैं और जो कम्पोज़िशन है, उसको बनाने में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

सर, कई मैम्बर्स ने इसके अलावा जो मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि पेण्डिंग ऑफ केसेज़। यह एक तरह से बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उसी तरह ये हमें एक बहुत बड़ा रास्ता दे रहे हैं। जब हम कहते हैं कि इस देश में टोटल नंबर ऑफ पेण्डिंग केसेज़ पांच करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि इसमें कई कारण हैं। इस सदन के सांसद होने के कारण, मੈम्बर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण हमें यह जानकारी होनी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह देते हैं कि जजेज़ लोग काम क्यों नहीं करते हैं? लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं कि आप कानून मंत्री हैं, पांच करोड़ केसेज़ पेण्डिंग होने वाले हैं, आप कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग जजेज़ के ऊपर अटैक करते हैं कि इन जजेज़ ने इतने केसेज़ को पेण्डिंग क्यों रखा है? वे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले के मुकाबले डिस्पोजल ऑफ द केसेज़ कई गुना बढ़े हैं। आज मान लीजिए एक जज के पास पचास केस डिस्पोज होते हैं तो सौ केसेज़ नए भी आते हैं। भारत उभर रहा है, सबको अवेयरनेस आई है, सब कोर्ट जा रहे हैं।

17.24 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

जब कहीं भी डिस्प्यूट होता है तो सब वकील को पकड़ते हैं और कोर्ट चले जाते हैं। उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि जो पेण्डिंग ऑफ केसेज़ है, यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी चिंता सबको करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए और इस सदन को भी करनी चाहिए और साथ-साथ ज्यूडिशियरी को भी इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 80 परसेंट से ज्यादा पेण्डिंग केसेज़ लोअर कोर्ट्स में हैं। लोअर कोर्ट्स के जो जजेज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेज़ हैं, सेशन कोर्ट के जजेज़ होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उन जजों की नियुक्ति राज्य सरकार से बातचीत करके हाई कोर्ट की देख-रेख में होती है। उसमें भारत सरकार सीधा-सीधा हस्तक्षेप नहीं करती है। हाई कोर्ट के जजेज़ और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ के अपॉइंटमेंट में भारत सरकार का रोल होता है। भारत सरकार उसमें बहुत बड़ा योगदान करती है, लेकिन परसेंटेज ऑफ पेण्डिंग ऑफ केसेज़ में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कितने हजार केसेज़ पेण्डिंग हैं, हाई कोर्ट में कितने हैं और लोअर में कितने हैं, इसको देखते हुए

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमारे जजेज़ मेहनत करते हैं। आजकल जजेज़ बहुत ज्यादा केसेज़ डिस्पोजल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक-एक जज ऐवरेज में कम से कम 40 से 50 केसेज़ को डिस्पोज करते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, सिर्फ भारत में होता है।

लेकिन इतनी बड़ी संख्या में केसेज़ आते हैं कि उनको डिस्पोज करने का जितना प्रयास करें, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सबको मिल कर इसकी चिंता करनी है।

इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाया गया है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अभी आंकड़ों के बारे में नहीं कहूंगा, भाषण बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं प्रश्न काल में भी बताता हूँ। वर्ष 2014 के बाद जिस स्पीड से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं, वे काफी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमने उसे पहले के मुकाबले तीन गुना बढ़ाया है। माननीय हाई कोर्ट्स से नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं, हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कई गुना बढ़ाया है। हम सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। हम वह सेंट्रल स्पाँसर्ड स्कीम के माध्यम से वह देते हैं। हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट उसकी देखरेख करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, लेकिन राज्य को बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। राज्य सरकार और हमें मिलकर इसको देखना है। यह कोई विवाद का विषय नहीं है। यह मिलकर काम करने की चीज है।

सर, आपने हमें एक निश्चित समय दिया है। मेरे पास कुछ तर्क थे, लेकिन अभी साढ़े पांच होने वाले हैं। अगर आप पांच मिनट का समय देंगे, तो अपनी बात मैं खत्म कर सकता हूँ।...(व्यवधान) दो मिनट।...(व्यवधान)

क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां आए हैं, मेरे पास तर्क और जवाब भी हैं एवं मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मेरा जवाब पूरा होने के बाद आप उस जवाब के ऊपर सवाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे तर्क मेरे पास हैं। फिर भी मुझे यहां समय की मर्यादा का ध्यान रखना है, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की इजाजत नहीं है। मुझे माननीय स्पीकर साहब ने इसकी इजाजत नहीं दी है।

फिर से, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। खासकर उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया है – डॉ. अमर सिंह जी, रमेश बिधूड़ी जी, प्रो. सौगत राय जी। मैं सौगत राय जी के बारे में जरूर कहूंगा कि आप पढ़े-लिखे जरूर हैं, लेकिन पढ़े-लिखे होने के साथ-

साथ नई-नई जो घटनाएं घटती हैं, जो अपडेट होते हैं, उनको भी पढ़िए। आप कुछ सवाल करते हैं। आपने मुझसे बिल्कुल गलत एक प्रश्न किया। आपने कहा कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ अल्टरनेटिव डिसप्यूट रेजोल्यूशन को खत्म करके एनडीआईएसी बनाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह आईसीएडीआर इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमने इसको खत्म करके ऐक्ट नहीं बनाया है। आप अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट कीजिए, क्योंकि आप कभी-कभी बोल देते हैं और मेरे क्लैरिफिकेशन को लोग सुनते नहीं हैं। आपने जो गलत बात कही है, वे उसको सच मानते हैं। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ... (व्यवधान) इसलिए हम इस सदन में जो भी कहें, सोच-समझ कर, रिसर्च करके, तर्क के साथ हमें अपनी बात रखनी चाहिए।

सर, मैं विश्वास रखता हूं कि इस अमेंडमेंट के बाद जब हम नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे, तो प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जरूर ग्लोबल हब ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बनेगा और हमारे पास बिजनेसेज बाहर से भी आएंगे। हिन्दुस्तान में इतनी ताकत है कि हम अपने बिजनेसमैन, अपने कॉर्पोरेट हाउस, अपने लोगों के दम से इंडिया की दुनिया में जो पोजिशन है, वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नेशंस के रूप में उभर कर आएगा। जिन्होंने हमें इसमें समर्थन दिया है, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, लावू श्रीकृष्णा देवरायालू जी, सुप्रिया सुले जी और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी जी, ये जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में जज रहे हैं। उन्होंने कश्मीर में जाकर उस दिन मेरे बारे में, हमारी सरकार के बारे में और प्रधान मंत्री जी के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कही हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप जज हैं। आप सच बात कहते हैं और आपने कहा है कि जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के लिए भारत सरकार ने जो भी कदम उठाया है, वह सराहनीय है। आपने यह कहा है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इनके साथ-साथ हनुमान बेनिवाल जी को बोलने के लिए मौका दिया गया था, लेकिन वे अपनी बात नहीं कह पाए। वे दूसरे विषय पर चले गए। निशिकांत दुबे जी ने अपना तर्क सरकार के पक्ष में रखा है। जो माननीय सदस्य नहीं बोले, मुझे सिर्फ मन से समर्थन दिया है, मुझे मालूम है, इसके लिए पूरे सदन को बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“ कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अधिनियम, 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 15 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRI KIREN RIJJU: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17.32 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Farewell ceremony of Hon'ble Vice-President of India

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज संध्या छः बजे संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी व राज्य सभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू जी का विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप सभी इस समारोह में सम्मिलित हों।

17.33 hrs**VALEDICTORY REFERENCE**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सत्रहवीं लोक सभा का नौवां सत्र अब अपनी समाप्ति की ओर है। यह सत्र 18 जुलाई, 2022 को आरंभ हुआ तथा 8 अगस्त, 2022 को संपन्न हुआ।

हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि 18 जुलाई, 2022 को 4 नए सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने के बाद अब सभा में कोई भी स्थान रिक्त नहीं है।

संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों द्वारा भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति श्रीमान् राम नाथ कोविन्द जी को 23 जुलाई, 2022 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में विदाई दी गई।

भारत गणराज्य की नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 25 जुलाई, 2022 को आयोजित किया गया।

माननीय सदस्यगण, इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुईं, जिनकी कुल अवधि 44 घंटे और 38 मिनट रही।

इस सत्र के दौरान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विधायी एवं अन्य कार्य किए गए। इस सत्र के दौरान, 6 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2022; वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 पर 5 घंटे 05 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें 39 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद विधेयक को सदन द्वारा पारित किया गया।

सत्र के दौरान, माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 319 मामले तथा अविलंबनीय लोक महत्व के 98 मामले उठाए गए।

संसद की स्थायी समितियों ने सभा में 41 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र के दौरान 46 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए।

मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 47 वक्तव्य दिए गए, जिनमें 2 वक्तव्य उत्तरों में सुधार से संबंधित थे तथा 3 वक्तव्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में दिए गए।

सत्र के दौरान संबद्ध मंत्रियों द्वारा 1,641 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। सभा में मूल्य वृद्धि और भारत में खेलों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के अंतर्गत दो अल्पकालीन चर्चाएं भी की गईं।

मूल्य वृद्धि पर चर्चा दिनांक 1 अगस्त, 2022 को संपन्न हुई, जिसमें 32 माननीय सदस्यों द्वारा 6 घंटे 25 मिनट तक चर्चा की गई। यह चर्चा संबद्ध मंत्री के उत्तर के साथ संपन्न हुई। भारत में खेलों को बढ़ावा दिए जाने और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी आंशिक चर्चा की गई।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों की बात करें, तो सत्र के दौरान शुक्रवार, 5 अगस्त, 2022 को गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 92 विधेयक पुरःस्थापित किए गए।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल के अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019 पर चर्चा पहले, दूसरे सातवें और आठवें सत्र के दौरान हुई, जो इस सत्र के दौरान 5 अगस्त, 2022 को जारी रही। यह विधेयक 5 अगस्त, 2022 को सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री गोपाल शेटी जी के लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019, नई धारा 29क का अंतःस्थापन पर चर्चा 5 अगस्त, 2022 को आरंभ हुई। इस विधेयक पर चर्चा अगले सत्र में भी जारी रहेगी।

माननीय सदस्यगण, 27 जुलाई, 2022 को मोजाम्बिक की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां के संसदीय शिष्टमंडल ने लोक सभा की कार्यवाही को विशेष बॉक्स में बैठकर देखा।

मैं सभा की कार्यवाही का संचालन करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए हृदय से आभारी हूँ।

मैं आप सभी की ओर से प्रेस-मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मुझे सक्षम और विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए मैं महासचिव की सराहना करता हूँ।

मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ।

मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ।

17.37 hrs

NATIONAL SONG

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हम सभी “वन्दे मातरम् की धुन” के लिए खड़े होंगे ।

National Song was played.

17.39 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die.

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.